खण्ड-376, अंक-2
गुरूवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(6 मार्च, 1986 ई0)

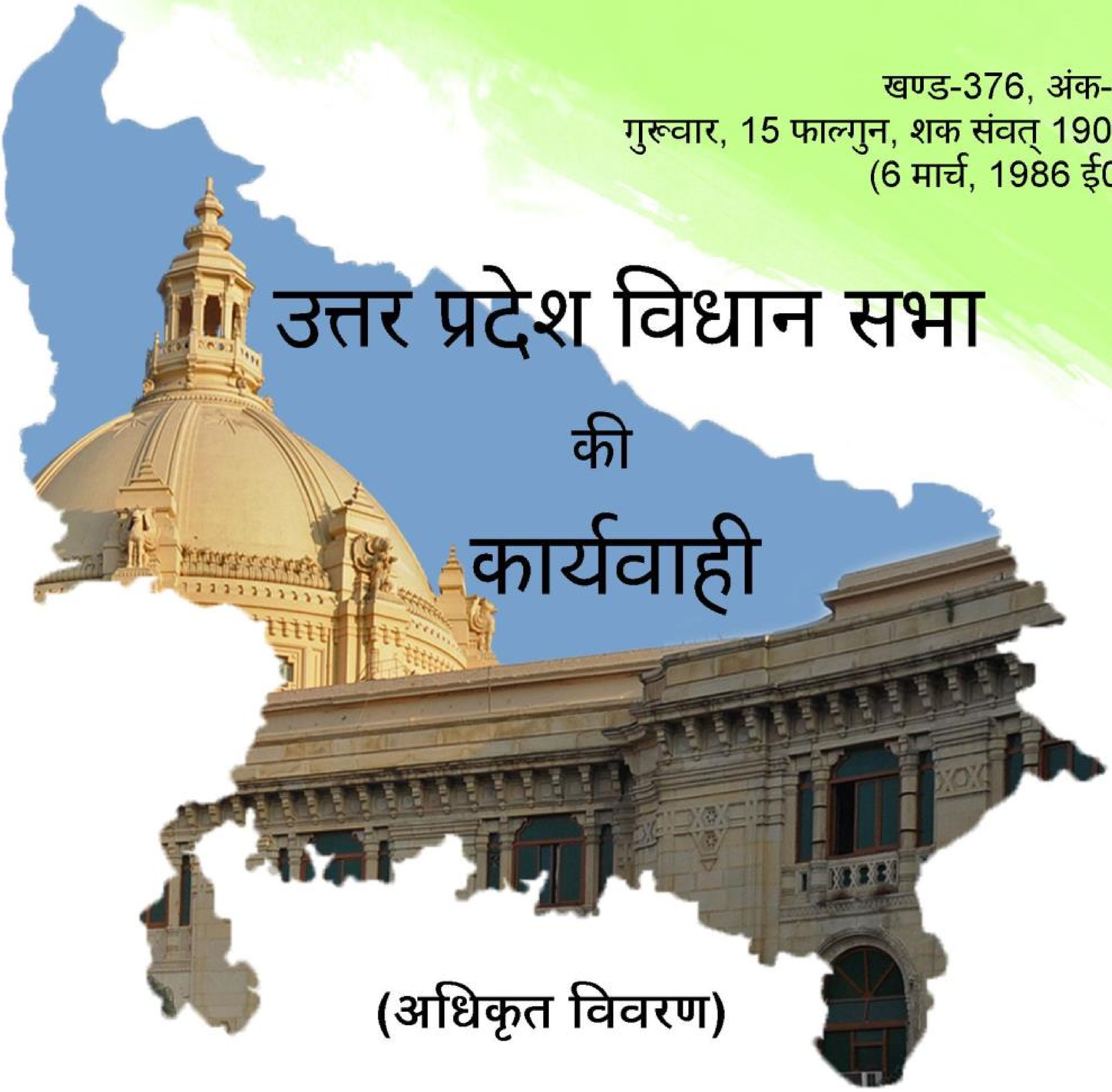

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–44
मेरठ में छीपी टैंक पर बसन्त ग्लास उद्योग से खतरा होने तथा उसे बन्द कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में एम0 एस0 सी0, एम0 काम0 तथा बी0 एड0 की कक्षाएं खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
राजकीय संयुक्त महिला एवं पुरुष चिकित्सालय, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
ग्राम दारानगर, तहसील हसनपुर, मुरादाबाद के गंगा की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45–46
राम सनेही घाट बाराबंकी में की जा रही चकबन्दी में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
गाजियाबाद के क्षेत्र में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारण के प्रश्न पर विवाद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46–47
जनपद बदायूं में मिट्टी के तेल वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	47
दिनांक 3-3-86 को उठाए गए "रामायण" के संबंध में औचित्य के प्रश्न पर शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री द्वारा कथित टिप्पणी का खण्डन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	47–48
12 जुलाई, 1985 के अता0 प्र0 13 तथा उसी विषय पर 28 फरवरी, 1986 के तारांकित प्रश्न 3 के संदर्भ में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में विरोधाभास होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	48–50
जनपद बलिया में 400 शैय्या युक्त एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	50
राजकीय बालिका विद्यालय, पिहानी, जिला हरदोई के भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	50
फिरोजाबाद को जिला बनाए जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	50
श्री शत रुद्र प्रकाश द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिए जाने की मांग	50–51
बलिया जनपद के ग्राम जैतपुरा में हुए हरिजनों की हत्या के संबंध में वक्तव्य ..	51–55
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	55–65

विषय	पृष्ठ-संख्या
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 10-- ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	65-113
वर्ष 1986-87 के लियेविधान सभा की विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम निर्देशित करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	113
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	114-122
मद संख्या 16 जनपद बांदा में हुई भीषण ओला बृष्टि तथा मद संख्या 17 अतरौली जनपद अलीगढ़ में पुलिस द्वारा फायरिंग के संबंध में चर्चा को स्थगित किए जाने की सूचना	122
तत्थियां	123-127

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 6 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
जागन सिंह, श्री	रामपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बैजनाथ, श्री	देवरिया
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
मलिक मोहम्मद, कमाल	बस्ती
यूसुफ, श्री	
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
राम सजीवन, श्री	बांदा
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

नोट:---श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 6 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(स्वास्थ्य मंत्री के बुलाये जाने पर तथा स्वास्थ्य मंत्री या किसी अन्य मन्त्री के उत्तर देने के लिए न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, यह फिर लिया जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

यह सदन का अवमान है । जब तक प्रश्न स्थगित करने की सूचना न हो, ऐसे नहीं हो सकता है । मंत्री जी गैर हाजिर हैं ।

श्री अध्यक्ष --

वह आ जाएंगे ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारी के रुप में होम्योपैथिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति

*1---श्री कौशिक रमाशंकर---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारी के रूप में होम्योपैथिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति करने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो उक्त पदों हेतु विज्ञापन, साक्षात्कार आदि कब तक होने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)-

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा---

इसके अलावा कोई हथियार ही नहीं है ।

श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि वह देर से आये । जब वह रहते हैं तो ट्रेजरी बेंचेज पर शोभा बनी रहती है इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा रहा करें ।

मान्यवर पिछले, 1985 के दूसरे सत्र में भी यही उत्तर आया था । मैं जानना चाहता हूं । वर्ष के दौरान में क्या कार्यवाही की गयी है ? दूसरी बात मंत्री जी ने पिछल सत्र में बताया था कि जो चुनाव होम्योपैथिक डाक्टरों के लिए हो रहा है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनको नियुक्त करने के लिये वह लिस्ट बना लेंगे । तो मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

मान्यवर इन चिकित्सकों के लिये अधियाचन लोक सेवा विभाग को भेजा जा चुका है । कार्मिक विभाग के अन्तर्गत उनका विचार जानने क लिय भेजा गया ह कि क्या इनकी तदर्थ रूप से नियुक्ति की जाय ? जब इसकी स्वीकृति आ जायगी तब यह किया जायेगा और पुन: इसका विज्ञापन निकाला जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि जो नियुक्ति करने जा रहे हैं उन नियुक्तियों में डिग्री और डिप्लोमा धारियों के बीच कोई फर्क तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, 4 और 5 साल का कोर्स है । फर्क दोनों में है, यह माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, डिग्री का वही कोर्स है और डिप्लोमा धारियों का वही कोर्स है । मंत्री जी की नीयत साफ हो जाती है कि वह कुछ फर्क करने जा रहे हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि फर्क करने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, जो डिग्रीधारी हैं उनको साल भर इन्टर्नशिप करनी पड़ती ह और डिप्लोमा धारियों को इन्टर्नशिप नहीं करनी पड़ती

है। भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् और आपके सदन ने होम्योपैथिक का 5 साल का कोर्स नियत किया है। डिप्लोमाधारी वह हैं जो भूतपूर्व विद्यालयों में पढ़ रहे थे। तो अवश्य अन्तर रहेगा, क्या रहेगा यह समय पर बता दिया जायेगा।

काली नदी से मेरठ मेडिकल कालेज तथा बुलन्दशहर के कतिपय गांवों में भयंकर प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय

*2--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि मेरठ में काली नदी जो मेरठ मेडिकल कालेज के पास होकर जनपद बुलन्दशहर तक अनेकों गांवों से होकर गुजरती है, भयंकर प्रदूषण फैला रही है? क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो वह क्या है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

जी हां।

जी हां।

काली नदी में जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़ ऐटा मैनपुरी तथा फर्रुखाबाद जनपदों में स्थित 17 प्रदूषणकारी मुख्य औद्योगिक इकाइयों का उत्प्रवाह आता है। इसके अतिरिक्त इन नगरों के गंदे नालों का पानी भी नदी में प्रवाहित करने से नदी का जल प्रदूषित होता है। बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत इन औद्योगिक इकाईयों को नोटिस देकर प्रेरित किया गया है कि वह प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था करें। बोर्ड के प्रयासों से एक इकाई ने पूर्ण शुद्धिकरण तथा दो ने आंशिक शुद्धिकरण की व्यवस्था कर ली है। 4 उद्योगों ने शुद्धिकरण योजना प्रस्तुत की है। दो उद्योगों द्वारा लगातार अधिनियम के प्राविधानों का पालन न करने के आरोप में उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही न्यायालय म चलाई गई है तथा दो उद्योगों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही बोर्ड के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन इकाइयों ने कोई भी कार्यवाही प्रदूषण बोर्ड के नियमानुसार नहीं की है उनके नाम क्या-क्या हैं?

श्री रामऔतार दीक्षित--

मोदी वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग, मोदीनगर, मोदी शुगर मिल, मोदीनगर, नवभारत बोर्ड पेपर मिल, मोदीनगर, मोदी पोन लिमिटेड, मोदीनगर और किसान सहकारी चीनी मिल, अलीगढ़।

श्री गजराज सिंह--

हमारे यहां एक हड्डी से खाद बनाने का कारखाना है और दूसरा हापुड़ शहर में मेरठ मंडल का चमड़े का पैठ लगता है, जिसके कारण से नगर में और 20 करोड़ की लागत से बनी आवास कालोनी में भारी प्रदूषण फैलता है, तो क्या मेरी जानकारी को सही मानते हुए मंत्री जी उसे दूर कराने की कृपा करेंगे?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या काली नदी के जल का परीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और काली नदी में कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके कारण वहां पर प्रदूषण हो रहा है?

श्री रामऔतार दीक्षित--

परीक्षण कराया गया है, इसीलिए तो उसे प्रदूषणकारी पाया गया। जहां तक इसका सवाल है क्या-क्या तत्व पाये जाते हैं, इसकी जानकारी इस समय नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

रिपोर्ट तो आई होगी, वह क्या है? यह तो मंत्री जी बताने का कष्ट करें?

श्री रामऔतार दीक्षित --

परीक्षण न कराया होता तो पता कैसे चलता। यह तो मैंने बता दिया है और उसके कराने के बाद ही इसमें प्रदूषणकारी जल पाया गया है और इसीलिए कुछ इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही की बात उठी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

आप इसकी रिपोर्ट बता दें ?

श्री राम औतार दीक्षित---

रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मान्यवर, क्या सरकार ऐसा कोई अधिनियम बनाने की सिफारिश करेगी जिससे उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं उन पर रोक लग सके ? मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस नदी के किनारे मेरठ शहर में मेडिकल कालेज है, सारे छात्रावास हैं और अस्पताल भी इसके किनारे हैं । तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या सरकार ऐसा कोई अधिनियम बनायेगी कि जिससे ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, यह तो हो रहा है । इसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुछ उद्योगों के नाम गिनाये जिनसे काली नदी का जल प्रदूषित हो रहा है । तो इस जन स्वास्थ्य से संबंधित विषय की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इन उद्योगों के लाइसेन्स तुरन्त निलम्बित करके उनमें तालाबन्दी कराने का काम करेंगे जिनके द्वारा काली नदी में प्रदूषण हो रहा है ? जब तक यह उद्योग प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक इनको बन्द करने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, माननीय सदस्य को दोनों ही पक्ष देखना चाहिये । जिन उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है अगर उन सब को बन्द कर दिया जाय तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने आदमी बेकार हो जायेंगे । प्रदूषण नियंन्त्रण के लिये समुचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

इनका सुझाव है कि काली नदी को बन्द कर दीजिये । (हंसी)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

परिवार नियोजन विभाग के डाक्टरों एवं कार्यकर्त्ताओं द्वारा जबरिया नसबन्दी के विरोध में हड़ताल

*1---श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 86 के तृतीय सप्ताह में परिवार नियोजन विभाग के डाक्टरों एवं कार्यकर्त्ताओं ने जबरिया नसबन्दी किये जाने के विरोध में कोई हड़ताल किया था ? यदि हां, तो हड़ताल किये जाने के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या हैं तथा मांगों के संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश के कतिपय जनपदों में 21 जनवरी, 1986 को कुछ चिकित्सा अधिकारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे । मेरठ जनपद में परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता भी उस दिन परिवार कल्याण के व्यक्तिगत अभिप्रेरण लक्ष्यों के निरस्त करने की मांग के समर्थन में हड़ताल में रहे । हड़ताल के संबंध में चिकित्साधिकारियों की निम्न मुख्य मांगे थी: --

1--परिवार कल्याण के व्यक्तिगत लक्ष्य समाप्त करना ।

2--पोस्ट मार्टम शुल्क का भुगतान ।

3--चिकित्सालयों में तैनात, वरिष्ठ व उससे उच्च वेतनमान के अधिकारियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा देना ।

4--1-7-1979 से 29-9-1981 के मध्य प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की वसूली रोकना ।

5---समयबद्ध वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ देना ।

6--प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की सम्पूर्ण राशि को रु0 2700 की वेतन सीमा से मुक्त रखना।

7--8-3-81 के पूर्व का स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत करना।

8--दन्त चिकित्सकों की प्रोन्नति हेतु 30:5:1 के अनुपात में अतिरिक्त पदों का सृजन।

इस प्रकार यह कहना गलत है कि जबरिया नसबन्दी के मुद्दे पर हड़ताल की गई थी। डाक्टरों की अनेक मांगे थी।

प्रथम व छठी मांग अस्वीकृत कर दी गयी है। मांग संख्या 2 के सम्बन्ध में रु0 10.00 प्रति पोस्ट मार्टम स्वीकार कर लिया गया है। अन्य मांगों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मित्रसेन --

माननीय मंत्री जी मंत्री परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने पिछली 7 फरवरी को अपने उत्तर के संदर्भ में कहा था कि इस संबन्ध में उत्तर प्रदेश में कोई हड़ताल नहीं हुयी है और आज कह रहे हैं कि हुई है। श्रीमन्, मांग संख्या-1 परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है, उसके संदर्भ में एक शासनादेश जारी किया गया था तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह शासनादेश निरस्त कर दिया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मांग संख्या-1 के संबंध में जो शासनादेश जारी किया गया था वह आज भी बरकरार है और यह मैं अपने बजट भाषण में भी इस सदन में कह चुका हूं कि लक्ष्य निर्धारित करना हमारा दायित्व है और लक्ष्य रहेगा।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा हूं कि जिन चिकित्साधिकारियों ने 21 तारीख को हड़ताल की थी, उनके लिये माननीय मंत्री जी ने यह आदेश दिये थे कि उनका एक दिन का वेतन काट लिया जाये और उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाये, जबकि उन डाक्टरों ने वह हड़ताल उसी दिन वापस ले ली थी, तो क्या इस मामले में विक्टिमाईजेशन की कार्यवाही को वापस ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया था?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह कार्यवाही तो उसी दिन वापस ले ली गयी थी जिस दिन प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संघ के लोगो से वार्ता हुई थी।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

अर्थात् उनको एक दिन का वेतन भी दिया जा रहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो दण्डात्मक कार्यवाही थी, उसे रोक दिया गया और जो उन्होंने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, उसके तहत उन्हें 30 दिन का वेतन दिया जा रहा है, 31 दिन का नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा --

मान्यवर, आप प्रश्न को देखे, जिसमें यह पूछा गया था क्या परिवार नियोजन विभाग के डाक्टरों एवं कार्यकर्त्ताओं ने जबरिया नसबन्दी किये जाने के विरोध में कोई हड़ताल किया था, जिसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि डाक्टरों की हड़ताल हुयी, लेकिन कार्यकर्त्ताओं की मांग का कोई जिक्र नहीं किया? यदि कार्यकर्त्ताओं ने भी नसबन्दी के विरोध में कोई हड़ताल की तो इस संबंध में मा0 मंत्री जी यह भी बता दें कि अगर हड़ताल कार्यकर्त्ताओं द्वारा की गयी तो उनकी मुख्य-मुख्य क्या मांगे थी और उन मांगों पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कार्यकर्त्ताओं ने लक्ष्य न रखे जाने को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ किया था। जिन्होंने विगत 3 वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम में कुछ नहीं किया है। उनकी सेवाएं समाप्त की गई है।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर क संबंध में मान्यवर, आप यह पता लगा लें कि जिले स्तर पर जो शिविर आयोजित किये जाते हैं, उसमें जबरिया नसबन्दी कराई जाती है ? तो मान्यवर, यह जो परिवार कल्याण के शिविर के आयोजन का कार्यक्रम ह, इसे बन्द कर दिया जाय और उसके स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था कर दी जाय, ताकि वहां पर लोग जायं और अपनी स्वेच्छा से नसबन्दी करायें ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, यह जो परिवार कल्याण के संबंध में लक्ष्य निर्धारण के आदेश जारी किये गये थे, क्या उसके कार्यान्वयन को स्वास्थ्य सचिव के द्वारा वायरलेस भेज कर रोक दिया गया था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी, नहीं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि लक्ष्य निर्धारण परिवार कल्याण के कर्मचारियों पर इनका दायित्व, है, इसको मैं मानता हूं । लेकिन मान्यवर, जब यह नसबन्दी का काम राजस्व विभाग के जरिये से करायेंगे, तो निश्चित रूप से इनके विभाग के जो कर्मचारी है, वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि राजस्व विभाग के पास बहुत सी सुविधायें होती हैं, बहुत से बहाने होते है पट्टा वगैरह देने के । तो मान्यवर, क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, जो उनके रास्ते में राजस्व विभाग बाधक है, उसको इस नसबन्दी के कार्यक्रम से अलग कराने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन, अगर कोई नसबन्दी के कार्यक्रम में रुकावट है, तो उसे नसबन्दी के कार्यक्रम से अलग कर देंगे ।

प्रदेश में चार वर्षीय आयुर्वेद शिरोमणि डिग्री कोर्स को समाप्त करने से प्रभावित छात्रों एवं विद्यालयों की संख्या

*2--श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में चार वर्षीय आयुर्वेदिक शिरोमणि डिग्री कोस को शासन ने समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? समाप्ति से कितने छात्र एवं विद्यालय प्रभावित हुए हैं ? क्या शासन जनहित में इस कोर्स को पुन: शुरू करने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

भारतीय चिकित्सा संस्थान अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 प्रदेश में दिनांक 2-7-1982 से लागू किया गया जिसके अनुसार अधिनियम में उल्लिखित संस्थाओं क अतिरिक्त सभी गैर सरकारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्ब शिक्षा पाठ्यक्रम व संस्था चलाने तथा छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश देने पर प्रतिबन्ध लग गया । परिणाम स्वरुप प्रश्नगत कोर्स भी समाप्त हो गया । चार वर्षीय आयुर्वेद शिरोमणि पाठ्यक्रम केवल एक संस्था गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा द्वारा चलाया जाता था, अत: वह संस्था प्रभावित हुई । प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या शासन में उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं । उक्त अधिनियम के प्राविधानों की पृष्ठभूमि में तथा चूंकि अब केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लागू पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम ही समान रुप से लागू किया गया है, अत: प्रश्नगत कोर्स के पुन: शुरु करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*3--श्री जयदीप सिंह बरार--

(दिनांक 20-2-86 को तारा0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित)

[गुरुवार, 6 मार्च, 1986 हेत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मूंगफली के उन्नतशील बीज की बिक्रीदर

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में मूंगफली की कृषि के विकास हेतु जो उन्नत बीज विभाग द्वारा काश्तकारों को दिया जा रहा है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि काश्तकार खरीद नहीं पाता ? यदि हां, तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बीज का मूल्य सबसिडाइज्ड करके मात्र 5 रुपये पर काश्तकार को उपलब्ध कराया जाय ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मूंगफली के उन्नतशील बीज की बिक्री दर रु0 1175 प्रति कुन्तल है।

रु0 5 प्रति किलो पर बीज उपलब्ध करवाना संभव एवं व्यवहारिक नहीं है। बीज पर रुपये 200 प्रति कुन्तल का अनुदान स्वीकृत है। इसके आधार पर मूंगफली का बीज रु0 975 प्रति कुन्तल बेचा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैने सीतापुर का संदर्भ लेंकर सवाल किया था, परन्तु यह पूरे प्रदेश की समस्या है। मान्यवर, हिन्दुस्तान में राजकोट के बाद सीतापुर मूंगफली की मंडी थी। मान्यवर, आज वहां पर उत्पादन कम हो गया है और वहां पर केवल 10 यूनिटें ही चल रही हैं। उसकी क्वालिटी और मात्रा बहुत घट गयी है। शासन की नियत तिलहन और दलहन को बढ़ाने की है। मूंगफली के बीज के अधिक दाम होने की वजह से काश्तकार खरीद नहीं पाता है, जो 500 रु0 क्विन्टल की बीज उपलब्ध करा देना व्यवहारिक नहीं है, जो मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। ये काश्तकारों को चोर समझते हैं। मैं तो सब्सीडी की बात कर रहा हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इस समय बाजार में मूंगफली का मूल्य है 500 रु0 से 565 रु0 तक। अगर 5 रु0 में बीज उपलब्ध कराया जायगा, इसके माने 500 रु0 में, तो वह दरअसल में बीज में उपयोग न हो करके इसका उपयोग दूसरे कार्यों में होने लगेगा। इसलिये मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी अपना दायित्व निभाते हैं, इनको किसानों पर शक हो रहा है। मान्यवर, जब काश्तकार यह साबित करेगा कि मुझे इतना बीज बोना है, इतना एकड़ बोना है, तभी तो वह बीज लेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उसको अनियंत्रित मात्रा में दे दें। माननीय मंत्री जी इस पर पुन: विचार कर लें। सीतापुर में इसका उत्पादन घटा है। क्वालिटी भी उसकी घटी है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुन: विचार करके सस्ते मूल्य पर किसानों को बीज उपलब्ध करायेंगे ? इस बात को ध्यान में रख कर माननीय मंत्री जी की नजरों में किसान चोर हो गये। हम लोगों की नजर में किसान ईमानदार है। यह उनके परिश्रम का फल है जो उत्पादन बढ़ा है। इसमें सरकार की कोई दया नहीं है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, गुप्ता जी का यह कहना है कि मैं किसानों को चोर समझता हूं ऐसी बात नहीं है, यह आपके ख्याल से हो सकता है। मैंने तो एक व्यावहारिक बात बताई कि अगर यह बाजार मूल्य से सस्ता होगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कीमत 200 रु0 प्रति क्विंटल यानी 2 रु0 प्रति के0 जी0 के हिसाब से बीज की कीमत कम है। यह अनुदान दिया गया है। हम किसानों की मदद करना चाहते हैं।

श्री अशोक बाजपेयी—

पूरे प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन निरन्तर घट रहा है। यह कल्याणकारी सरकार प्रदेश में मूंगफली की खेती के विकास हेतु परिष्कृत बीज बाजार भाव पर किसानों को दिलाने की कृपा करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 560 रु0 के हिसाब से आप किसानों को मूगफली का बीज उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि बीज को कम कीमत पर किसानों को दिया जाता है और यह कि उसका दुरुपयोग होगा या 5 रु0 कर दिया जाय तो आज की स्थिति में यह संभव नहीं है। मूगफली के बीज की कीमत और किस तरह से कम की जा सकती है, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री गजराज सिंह--

जो मूंगफली का बीज सीतापुर जनपद में जैसा कि गुप्ता जी ने कहा और जो रेट है क्या उसके बीच में कोई और रेट किसानों के हित में माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि इस पर विचार किया जायेगा कि किस तरह से इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

श्री अवनीश कुमार सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बाहर से अच्छे बीज मंगाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह राजस्थान से मंगाया गया है। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो वह दे दें, हम उस पर विचार कर लेंगे।

*2--श्री सरदार सिंह--

[20 वें मंगलवार में तारां0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बंजर, ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने की समयबद्ध योजनाएं

*3--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित बंजर ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने की सरकार की कोई समयबद्ध योजना है ? यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

उत्तर प्रदेश में बंजर, ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने की दो समयबद्ध योजनाएं चलाई जा रही हैं। उपरोक्त योजनाओं की रूपरेखा निम्नवत् है:--

1--ऊसर सुधार योजना:--

ऊसर सुधार की योजना प्रदेश के 36 जनपदों में चल रही है जिसके अन्तर्गत 3 हे0 से कम जोत वाले कृषकों को मृदा सुधारक के मूल्य का 75% तथा अन्य को 50% अनुदान देय है। वर्ष 84-85 तक इस योजना के अन्तर्गत 1.06 लाख हे0 ऊसर भूमि का उपचार किया गया है और 7 वीं पंचवर्षीय योजना काल में 1.10 लाख हे0 क्षेत्र का उपचार किया जाना प्रस्तावित है। 7 वीं पंचवर्षीय योजना काल में दूसरी योजना भी प्रस्तावित है जिसमें 60,000 हे0 ऊसर क्षेत्र के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत मृदा सुधारक, सिंचाई व्यवस्था, जल निकास एवं हरी खाद पर अनुदान की व्यवस्था की गई है यह योजना केन्द्र सरकार की सहायता से अनुमति प्राप्त होने पर कार्यान्वित की जाएगी।

2--बीहड़ सुधार योजना:--

बीहड़ सुधार योजना वर्तमान में 3 जनपदों में चल रही है इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यों पर 50% अनुदान एवं सामूहिक कार्यों पर 100% अनुदान की व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ष 1984-85 तक इस योजना के अन्तर्गत 36,000 हे0 बीहड़ भूमि का उपचार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 2,970 हे0 बीहड़ क्षेत्र के सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दो योजनायें भी प्रस्तावित हैं:--

1--दस्यु प्रभावी जनपदों में बीहड़ सुधार की योजना:--

इसके अन्तर्गत 7 वीं पंचवर्षीय योजना काल में 30,000 हे0 भूमि को सुधारने का लक्ष्य है।

(2) चम्बल और यमुना नदी के जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की एकीकृत योजना:--

यह योजना ई0ई0 सी0 के सहायता से चलाये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 6 वर्षों में 47420 हे0 क्षेत्र सुधारने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मंत्री जी ने अपने बड़े लम्बे उत्तर के माध्यम से बताया कि भूमि सुधार की योजना चल रही है। मान्यवर, ऊसर, बीहड़ जलमग्न युक्त भूमि प्रदेश में एक करोड़ खराब पड़ी है। मंत्री जी ने सुधार का कार्यक्रम बनाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कुल कितनी भूमि प्रदेश में बकार पड़ी है, जितनी आपने उपचारित करवाया है, उसका कोई मूल्यांकन या सर्वेक्षण अपने विभाग के अलावा किसी से करवाया है। जो भूमि आप उपचारित करवा रहे हैं, उसमें कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य बन पा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

अभी तक अपने विभाग के जरिये से करवाया था, अब दूसरी एजन्सियों से इसको दिखलवा लेंगे।

श्री बद्री सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि बीहड़ सुधार योजना में क्या जनपद जालौन को मंत्री जी लेने का कष्ट करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जालौन जनपद दस्यु ग्रस्त 12 जिलों में से एक है, इसको भी इस योजना में लिया जायेगा।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, मैनपुरी डाकू ग्रस्त जिला है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊसर इस जिले में है। क्या माननीय मंत्री जी मैनपुरी के लिये कोई योजना पेश करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैनपुरी जनपद दस्यु प्रभावित बीहड़ सुधार योजना के अन्तगत प्रस्तावित है।

श्री गजराज सिंह--

गाजियाबाद जनपद में गढ़मुक्तेश्वर और मोदी नगर में जो ऊसर है उसका सुधार करायेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

गाजियाबाद जनपद ऊसर सुधार योजना के अन्तगत है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, ऊसर सुधार के लिये जो काली खाद देते हैं, उसकी बोरियां स्टोर के बार या किसी गांव में पड़ी रहती हैं।

यह हमारे यहां एटा, मैनपुरी और आगरा इनमें सबम पड़ा हुआ देखा जाता है और उनके आंकड़े भेज दिय जाते हैं कि ऊसर सुधार कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलों के नाम मैंने लिये, उनमें अपनी एजेंसी के अलावा किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराकर, उन लोगों के खिलाफ कायवाही करने और ऊसर सुधार के सही आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह किसी विशिष्ट स्टोर की बात बता दें तो उसकी जांच कराते, इन्होंने तीन जिलों के नाम लिये हैं, इनके सभी स्टोरों की जांच करा देंगे?

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया, ऊसर, बंजर भूमि के सुधार करने का, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और सुल्तानपुर में जो शारदा सहायक फीडर चैनल है, उसके दोनों तरफ की जमीन सीपेज के कारण उपयोग लायक नहीं रह गयी है, क्या इसके सुधार की कोई योजना शासन के पास है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह सही है, मान्यवर, कि इस नहर के इलाके में नया ऊसर डेवलप हुआ है। इसको सुधारने का कार्यक्रम है, जिसका मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि वहां पर इस कार्यक्रम को अच्छी गति से लागू किया जायगा।

श्री गजराज सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान

सभा क्षेत्र वाहो में बीहड़ सुधार की बहुत बड़ी योजना चल रही है। उसके अन्तर्गत बीहड़ सुधार किया जा रहा है, लेकिन जो सुधार किया जा रहा है, उसकी लागत जमीन की खरीद से अधिक किसानों को पड़ रही ह। वहां पर सिंचाई के साधन भी सुलभ नहीं कराए गये हैं। ऐसी स्थिति में जो वसूली किसानों के खिलाफ की जा रही ह, क्या सरकार उसे अनुदान में बदलने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि इस पर पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और इससे अधिक अनुदान, चूंकि साधन सीमित हैं, देने की इस समय गुंजाइश नहीं ह।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह देख रहा हूं कि मा0 सदस्य काफी इसमें दिलचस्पी रखते हैं लेकिन समय कम है।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, मैंने पहले प्रश्न में पूछा था कि इस तरह की कुल कितनी भूमि प्रदेश में बेकार पड़ी है, जितनी आपने उपचारित करवाया ह उसका कोई मूल्यांकन या सर्वेक्षण अपने विभाग क अलावा किसी से कराया ह, मैं जानना चाहूंगा कि सर्वेक्षण में क्या पता लगा कि वास्तव में जो भूमि उपचारित की गयी थी, उसका कार्य पूरा हो गया ? माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया और यह भी बताया कि इस समय शासन का जो प्रोग्राम ह और जैसा चला रहे हैं, उसमें क्लेम कर रहे हैं कि सही चल रहा है। जो आपका प्रोग्राम है ऊसर, बंजर, बीहड़ बेकार और जलमग्न भूमि का सुधार जिसमें शामिल है, जिस रफ्तार से आप कार्य कर रहे हैं, तो इस काम को कब तक पूरा कर लेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, लगभग 12 लाख हैक्टेयर ऐसी जमीन है जो ऊसर है और बारह साढ़े बारह लाख हैक्टेयर बीहड़ है और यह सही है कि करीब 40 लाख हैक्टेयर तो नहीं लेकिन 36 लाख हैक्टेयर के करीब पूरे प्रदेश में ऐसी जमीन है जो खेती के काम में नहीं आ रही है। उसके लिये हमारी बात हो रही है। इसके लिये वेस्ट लैंड डेवलपमेंन्ट बोर्ड से मदद मिल जाय तो काम को तेजी से चलना चाहिये और मान्यवर, यह जो जलमग्न भूमि है, जिसमें वाटर लॉग हो जाता है, उसके लिये भी एक अलग से स्कीम है। वह सिंचाई विभाग भी करता है और हमारा विभाग भी करता है। मान्यवर, इस तरफ प्रयास है कि जो भूमि खेती के काम में नहीं आ रही है, उसको अधिक से अधिक अपने जो संसाधन हैं उस संसाधन के तहत, रिक्लेम किया जाय। माननीय बरार जी ने एक प्रश्न किया कि दरअसल वह भूमि उपचारित हुई या नहीं और उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि किसी दूसरी एजेंसी से इसका सर्वे करवा लें। मान्यवर, हम इसका दूसरी एजेंसी से सर्वे करा लेंगें। मान्यवर, यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां-जहां सुधार हुआ है, वहां उत्पादकता में निश्चित वृद्धि हुई है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आये हैं।

*4--कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

(लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद देवरिया में केन्द्र सरकार द्वारा भारी व छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु दिये गये लाइसेन्स

*5--श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1985 के बीच देवरिया जिले में कन्द्र सरकार ने किन-किन भारी व छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंन्स प्रदान किया था ? क्या यह सच है कि उ0प्र0 में लोहिया मशीन्स द्वारा लगाये गये स्कूटर कारखाने का लाइसेंस केन्द्र सरकार ने देवरिया जिले के लिए दिया था ? यदि हां, तो उसे अन्यत्र क्यों स्थापित करने दिया गया ?

श्री राम औतार दीक्षित---

वर्ष 1980 से 85 के मध्य भारत सरकार द्वारा देवरिया जनपद में 7 आशय पत्र भारी उद्योग स्थापित किये जाने हेतु जारी किए गए जिनकी सूची संलग्न है। छोटे उद्योगों हेतु भारत सरकार द्वारा लाइसेंस नहीं प्रदान किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने मेसर्स लोहिया मशीन लिमिटेड कानपुर ने एक आशय

पत्र 2 लाख टूव्हीलर (1 लाख सलोन रायबरेली व 1 लाख देवरिया जनपद में) निर्माण हेतु दिया गया है। परन्तु इकाई द्वारा भारत सरकार से पूर्ण क्षमता सलोन जनपद रायबरेली में ही लगाने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु इकाई जनपद देवरिया में भी लगाने हेतु राज्य सरकार इच्छुक हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 123 पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, जनपद देवरिया उद्योग शून्य जिला है और उत्तर प्रदेश द्वारा उद्योगों के संबन्ध में जो पिछड़े हुए जिले घोषित हैं, उस सूची में यह जिला भी सम्मिलित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आशय-पत्र केन्द्र सरकार ने दिये, क्या उन सातों में से किसी एक की स्थापना देवरिया जनपद में हुई? दूसरे, क्या कुछ उद्योग वह स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, अभी कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, लोहिया मशीन्स को लाइसेंस दिया गया देवरिया के लिये और उन्होंने कारखाना लगाया कानपुर में। शर्तों का उल्लंघन करके, उ0 प्र0 सरकार की साजिश के कारण, क्या लोहिया मशीन्स ने स्कूटर का कारखाना कानपुर में स्थापित कर दिया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यह मेरा आरोप है कि साजिश के कारण दूसरी जगह स्थापित हुआ है।

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, माननीय सदस्य को आरोप लगाने के पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिये था। मान्यवर, सरकार उद्योग नहीं लगाती है अपितु उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिये सरकार प्रोत्साहित करती है। उस प्रोत्साहन के संदर्भ में, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसका उत्तर आप देखें केन्द्रीय सरकार ने मेसर्स लोहिया मशीन लिमिटेड कानपुर को एक आशय-पत्र 2 लाख टू व्हीलर (1 लाख सलोन रायबरेली व 1 लाख देवरिया जनपद में) निर्माण हेतु दिया है।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि 7-12-85 को जो लोहिया मशीन के प्रोपराइटर हैं नाम लेना उचित नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात की है। उसमें देवरिया के लिये कहा गया था कि शीघ्रातिशीघ्र घोषित करने हेतु भूमि के चयन के संबंध में यू0पी0 एस0 आई0डी0सी0 द्वारा शीघ्र कार्यवाही करायी जाय। मान्यवर, इस तरह से उनसे भी बात की है और इस तरफ भी निर्देशित किया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, भारत सरकार ने जनपद देवरिया में वर्ष 1980 से 1985 के बीच उद्योग लगाने हेतु कुल 7 आशय-पत्र जारी किए थे। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन 7 आशय-पत्रों के आधार पर यह सरकार उन उद्योगों को लगाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और य 7 उद्योग जनपद देवरिया में कब तक स्थापित हो जायेंगे?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ने कहा तो कि बात-चीत हो रही है और जल्दी से जल्दी लगा दिये जायेंगे।

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, माननीय तिवारी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। राज्य सरकार का सिर्फ यह कार्य है कि यदि कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए वह रिकमेन्डेशन करे। आशय-पत्र देना तो भारत सरकार का काम है। हम बार-बार भारत सरकार से कह रहे हैं कि देवरिया जनपद एक पिछड़ा क्षेत्र हैं और यह "सी" ग्रेड में आता है, यहां पर उद्योग लगने चाहिये। राज्य सरकार की जो भूमिका है, वह तो पूरी हो रही है। हम तो भारत सरकार से केवल निवेदन ही कर सकते हैं।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो हमारे तरफ के सदस्यों से कह दिया कि वे वरिष्ठ सदस्य हैं। वे स्वयं में भी वरिष्ठ सदस्य हैं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योग लगाती नहीं है, यह नीति आपकी कहां तक सत्य है। उद्योग आप अन्डर-टेकिंग्स में लगाते हैं, वह क्या चीज है ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि जो लाई-सेन्स देवरिया जनपद को दिया गया था, उसी आधार पर लोहिया मशीन को देवरिया और रायबरेली में स्कूटर का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिया गया था, लेकिन उसने वहां न लगाकर कानपुर में लगा दिया। उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं, उसका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

जो उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर उनको दण्डित किया जायेगा तो वे सब भाग निकलेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, पिछड़े जनपदों की उपेक्षा हो रही है।

यू0 पी0 एग्रो के अध्यक्ष तथा प्रबन्धनिदेशक के कार्यलय कक्ष के नवीनीकरण/मरम्मत में कुल व्यय तथा उसका औचित्य

*6---नबाव सिकन्दर अली (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के कक्ष सजावट में माह अप्रैल-मई, 1985 में रुपये 82,858.80 पैसे का व्यय किया गया और माह जुलाई, 1985 को कक्ष को पुन:तोड़कर अन्य ठेके-दार को साज-सज्जा हतु लगभग पचास हजार रुपये का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हानि के जिम्मे-दार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

यू0 पी0 एग्रो के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय कक्ष नवीनीकरण मरम्मत में क्रमश: 59,933.83 एवं 49,383.64 कुल 1,09,317.47 रु0 माह अप्रैल-मई 1985 में व्यय किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष के कक्ष की साइज बढ़ाने एवं इससे सम्बद्ध बाथरूम की व्यवस्था करके बोर्ड रूम में परिवर्तित करने में माह जुलाई 1985 में 54,923.13 रु0 का व्यय हुआ।

व्यय के औचित्य के सम्बन्ध में जांच आदेश दे दिये गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर के कतिपय ग्रामों में कालरा का भयंकर प्रकोप

*7--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद के विकास क्षेत्र राजेपुर के अनेक गल्ले जौनापुर, मूतेशपुर गांधी, डबरी, फखरपुर, सुखियापुर, तुखैर, राजेपुर, अमृतपुर आदि ग्रामों में जुलाई, अगस्त, 1985 के उत्तरार्द्ध में कालरा का भयंकर प्रकोप हुआ है और कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बीमारों के उपचारार्थ राजेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कालरा को रोकने के लिये और मृतकों के आश्रितों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर में जुलाई 85 में प्रश्नगत ग्रामों में कोई भी व्यक्ति कालरा से ग्रसित नहीं हुआ बल्कि उक्त ग्रामों में डायरिया का प्रकोप हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप ग्राम डबरी में एक व्यक्ति तथा ग्राम गांधी में 6 व्यक्ति ग्रसित हुए जिनमें से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही ग्राम डबरी तथा ग्राम गांधी में चिकित्सा अधि-कारियों का दल निरोधात्मक कार्यवाही हेतु

आवश्यक औषधियों सहित (ग्राम डबरी में दिनांक 3-8-85 को तथा ग्राम गांधी में दिनांक 8-8-85) को भेजा गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर में माह जुलाई-अगस्त, 1985 म चिकित्सा अधिकारी कार्यरत थे उन्होंने तत्परतापूर्वक चिकित्सा राहत कार्य किया भी था। राजपुर विकास क्षत्र के अन्तर्गत 181 कुंओं का विसंक्रमण कराया गया तथा डायरिया के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिये समीपवर्ती ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 1295 व्यक्तियों को टीके लगाये ये। चिकित्सा दल द्वारा ग्रसितों को चिकित्सा सुविधा तथा मृतकों के आश्रितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रथम वर्ष में छात्रों के लिये प्रवेश की सीटें

*8--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों म प्रथम वर्ष में छात्रों के प्रवेश के लिये कितनी सीटे हैं? क्या सभी कालेजों में सीटों के अनुसार प्रवेश होता है? यदि नहीं. तो क्या सरकार सीटों के अनुसार प्रत्येक राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रवेश देगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश के 10 (दस) राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रथम वष में छात्रों की प्रवेश क्षमता (सीटें) 430 हैं। उन पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से किया जाता है किन्तु निर्धारित संख्या में अर्ह छात्र नहीं मिल रहे हैं। सभी सीटों पर प्रवेश कराने के लिये शासन द्वारा कुछ आदेश दिये गये हैं जिनके कारण वर्ष 85-86 में प्रवेशों की संख्या बढ़ी है एवं भविष्य में भी बढ़ने की आशा है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, कालेज में प्रथम वर्ष की सीटें 50 हैं और माननीय मंत्री जी प्रवेश दिला रहे हैं केवल 5 छात्रों को। पढ़ाने वाले डाक्टर और प्रोफेसर जो हैं उनकी संख्या 25 से 30 तक है। इस स्थिति में माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि जब आप कम्पटीशन करा रहे हैं और जो मेरिट बनती ह क्या उसके आधार पर प्रत्यक कालेज में, आप प्रथम वर्ष के छात्रों की पूरी सीटें भरवा देंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरिट के आधार पर ही भरे जाते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सी0पी0एम0टी0 के आधार पर जो क्षमता आयुर्वेदिक कालेजों की है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर वे कौन से उपाय निकाले गये हैं जिसके तहत आप विद्यालयों की जो क्षमता है उसे पूरा कर लेंगे?

श्री लोकपित त्रिपाठी--

मान्यवर, भारतीय चिकित्सा पद्धति ने कुछ संशोधन किए है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान, फिजिक्स, कैमेन्ट्री और बाइलौजी और इसके साथ संस्कृत और अरबी नहीं है। जिसको कारण है कि छात्र नहीं मिल रहे थे। भारतीय चिकित्सा पद्धति ने संस्कृत और अरबी पढ़ाने के लिये मैरिट के आधार पर जो छोत्र चयनित किये हैं उनको यह शिक्षा दी जाय। यह संशोधन कर दिया है। इसी के अन्तर्गत यह व्यवस्था हुई है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मैंने पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया। मैंने यह कहा था कि क्या पूरी सीटें मेरिट के आधार पर भरेंगे? माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ आदेश दिये हैं तो मैं जानना चाहता हूं वह आदेश क्या हैं? क्या पूरे आदेश देकर पूरी सीटें भरेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैरिट के आधार पर जितने छात्र मिलेंगे सबका प्रवेश लिया जायगा। आदेश

भारतीय चिकित्सा पद्धति ने जो संशोधित किया है वही आदेश दिये गये हैं।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव व अन्य चिकित्साधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं सी0 एम0 डी0 स्टोर में गई खरीदारी से संबंधित जांच

*9—श्री हृदय नारायण दीक्षित —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च अप्रैल 1985 में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव व कुछ अन्य चिकित्साधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर में की गई खरीददारी से संबंधित उन्नाव के दो विधायकों के 22 मार्च, 1985 के शिकायती पत्र पर अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य लखनऊ मण्डल द्वारा की गई जांच पूर्ण हो गई? यदि हां, तो क्या जांच आख्या सदन में प्रस्तुत करेंगे ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय विधायकों के 22 मार्च, 1985 के प्रश्नगत शिकायती पत्र पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ, मण्डल लखनऊ की जांच पूर्ण हो गई है। जांच में आरोप सही नहीं पाये गये। अतः किसी अधिकारी के विपरीत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित:—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय विधायकों के 22 मार्च के पत्र में शिकायतें क्या थीं और जांच रिपोर्ट क्या ? दूसरी बात हम गम्भीर शिकायतों की जांच के वक्त माननीय विधायकों से भी तथ्यों की जानकारी हेतु क्या जांच अधिकारी ने कोई सम्पर्क किया था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

(पत्र दिखाते हुए)

माननीय विधायकों का पत्र यह है, खुद लिखा है और खुद ही नहीं मालूम कि क्या लिखा है ? अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप इसकी आवश्यकता समझते हैं तो पढ़ दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इसमें लिखा है कि—"वर्ष 1980 में स्वास्थ्य विभाग में जिस दवा घोटाला काण्ड का पर्दाफाश हुआ, पिछले वर्ष में उसी प्रकार की अनियमित दवाओं की खरीदारी में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सी0 एम0 एल0 डी0 के स्टोर आफीसर की सांठ गांठ से की गयी है।

अस्पतालों से सम्बन्धित दूध, मक्खन, मरम्मत, साइकिल स्टैण्ड व अन्य ठेके गलत एवं अनियमित ढंग से धन लेकर दिए गए एवं जो सामान आया या लगा वह निम्न कोटि का है।

सामाजिक संस्थाओं के तत्वावधान में जो अन्य कैम्प लगाए जाते हैं उसमें सरकार से प्रदत्त अनुदान से जनता को लाभ नहीं मिल पाता है जिससे सम्बन्धित शिकायतें जिलाधिकारी, उन्नाव के यहां लम्बित हैं।

आप से अनुरोध है कि आप उक्त तथ्यों को गुप्त रूप से अचानक छापा डालकर जांच कराएं तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी।"

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

तथ्यों के संबध में सम्पर्क वाली बात का आपने जवाब नहीं दिया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह पत्र जो मैंने पढ़ा है यह सदस्य, श्री सुन्दर लाल और सदस्य, श्री हृदय नारायण दीक्षित का पत्र है।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस पत्र में जितने माननीय विधायकों की ओर से शिकायत की गयी थी, जांच अधिकारी ने जांच करते समय क्या उन विधायकों से भी सम्पर्क स्थापित किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें सम्मानित विधायकों ने स्वयं ही लिखा है कि "गुप्त रूप से छापा डाल कर जांच करायी जाय।" तो फिर जांच अधिकारी का उनसे सम्पर्क करने का प्रश्न हीं नहीं उठता है।

होम्योपैथिक स्नातक छात्रों और एम0 बी0 बी0 एस0 छात्रों के इंटर्नशिप काल में देय भत्ते की विषमता को समाप्त करने का प्रस्ताव

*10---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक स्नातक छात्रों और एम0 बी0 बी0 एस0 छात्रों के इंटर्नशिप काल में शासन द्वारा देय भत्ते की वर्तमान विषमता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बारे में अंतिम रूप से निर्णयकब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

होम्योपैथी छात्रों ने यह मांग की थी परन्तु विचारोपरान्त शासन ने इसे अस्वीकृत कर दिया है

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दोनों पद्धतियों के छात्रों का प्रवेश सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा के द्वारा ही होता है तो एक ही समान न्यूनतम योग्यता के छात्रों को प्रवेश के बाद, जबकि दोनों की पढ़ाई की अवधि साढ़े चार वर्ष की है और दोनों के विषय भी कामन है लेकिन फिर भी होम्योपैथी के छात्रों को दर्शन, मैटिरिया मेडिका और फिलासफी जैसे विषय अलग से पढ़ने पड़ते है और फिर दोनों के इन्टर्नशिप काल के भत्ते में भी अन्तर है तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है ? क्या मंत्री जी इसको दूर करने का प्रयास करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन, दोनों जगह की पद्धति भिन्न है। यह ठीक है कि इण्टरमीडिएट साईन्स बाईलोजी के साथ किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी और ऐलोपैथी की अर्हतायें भिन्न हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में भौतिकी ज्ञान जो कि शरीर से संबंधित है और जिसे आजकल की भाषा में जेनेटिव से संबंधित कहते हैं, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ऐलोपैथी में भिन्नता है, इसमें शल्य चिकित्सा है जोकि होम्योपैथी में नहीं है होम्योपैथी में शरीर हीं बेस है और इसमें उनता कार्य नहीं है कितना कि ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति में होता है। इस लिये होम्योपैथी चिकित्सा से संबंधित छात्रों को इन्टर्नशिप में उतनी लम्बी ड्यूटी नहीं देनी होती है जितनी कि ऐलोपैथी के छात्रों को। इसलिये दोनों की समान इन्टर्नशिप नहीं हो सकती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, इसमें हर गरीब को ऐलोपैथी का उपचार कराने के लिये बड़ा मंहगा पड़ता है। जबकि होम्योपैथी चिकित्सा सस्ती पड़ती है तो इसलिये होम्योपैथी चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिये क्या माननीय मंत्रीजी इस पैथी के छात्रों को कुछ इनसेन्टिव देने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

लगता है दुर्भाग्यवश जिस वक्त यहां सदन में स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ था, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। इनकी इन्टर्नशिप बढ़ा दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

दूसरे प्रदेशों में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जो प्राविधान है, वह प्राविधान क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपको क्या इसकी जानकारी है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

दूसरे प्रान्तों में जो इन्टर्नशिप दी जाती है उससे उत्तर प्रदेश में कम दी जाती है, तो क्या यहां भी दूसरे प्रान्तों के समान इसे आप करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

किस रेन्ज में ?

श्री राम आसरे वर्मा--

दिल्ली को ही ले लीजिये कि जो व्यवस्था दिल्ली में है, वही व्यवस्था क्या आप यहां भी लागू करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जितना मेरा अनुदान है उसका तीन गुना दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का अनुदान है, तो फिर कैसे हम उनकी बराबरी कर सकते हैं ?

सीमेन्ट कारपोरेशन को सीमेन्ट का कारखाना मिर्जापुर में लगाने हेतु दिया गया कथित लाइसेन्स

*11--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीमेन्ट कारपोरेशन को सीमेन्ट का कारखाना मिर्जापुर में लगाने के लिये लाइसेंस मिला है ? अगर हां तो कब से मिला हुआ है और न लगने का क्या कारण है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

जी नहीं। कोई नया लाइसेंस नहीं मिला।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी जानते हैं कि सीमेंट की कमी पूरे देश में है और प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में सीमेंट के जो उद्योग लगे हुये हैं, डाला, चुनार और चुर्क में उनमें जो उत्पादन हो रहा है, वह बहुत कम हो रहा है उनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ रही है। क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि निकट भविष्य में सरकार या किसी उद्योगपति द्वारा सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे सीमेंट का उत्पादन बढ़ सके और पूरी क्षमता मिल सके ?

श्री राम औतार दीक्षित --

मान्यवर, इस समय प्रदेश में सीमेंट की कमी नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय सीमेंट का उत्पादन कितना है ?

श्री राम औतार दीक्षित --

हमारी 3 फैक्टरियां हैं--चुनार, चुर्क और डाला। मान्यवर, 350 टन प्रति दिन की क्षमता एक की है इस समय। कुल उत्पादन के बारे में प्रश्न नहीं था इसलिये इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में सीमेंट की कमी नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में कुल कितना उत्पादन है और कितनी सीमेंट की आवश्यकता इस समय प्रदेश में है तो पता चल जायेगा कि सीमेंट की कमी है या नहीं है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, हमारी सूचना के अनुसार उत्पादन 1600 टन प्रतिदिन है और जहां तक आवश्यकता के बारेमें प्रश्न है तो आवश्यकता तो कभी निश्चित नहीं रहती है, कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि कितनी आवश्यकता है और माननीय मंत्री जी को यह नहीं मालूम है तो मान्यवर, आप इसको स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बता दिया और यह भी बता दिया कि कमी सीमेंट की नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं यही तो जानना चाहता था कि कितना उत्पादन है ?

श्री अध्यक्ष--

उसकी जरुरत नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिय निर्मित वार्डो तथा स्वीकृत शैय्याओं का उपयोग

*12—कर्नल केशरी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्धारित निधि से प्रदेश के 33 जिलों के विभिन्न अस्पतालों में जो कक्ष अथवा शैय्या बनायी गयी है उनका उपयोग भूतपूर्व सैनिकों के लिये न होकर अन्य कार्यों के लिये किये जाने का कारण क्या है और क्या उन अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को विशेष सुविधायें प्रदान करके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्मित वार्डों तथा स्वीकृत शैय्याओं का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों के लिये ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को सामान्य रोगियों की भांति चिकित्सालयों में विशिष्ट सुविधा एवं निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्मित वार्डों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग उनके लिये किया जाता है और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को चिकित्सालयों में विशिष्ट सुविधा एवं निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है जो सत्य नहीं है। मान्यवर, खीरी के अस्पताल में उनके लिये दो वार्ड बने हुये हैं उनमें दो डाक्टर रहते हैं और वह उनको खाली नहीं करते हैं। कानपुर में आपरेशन थियेटर बना हुआ है और गोरखपुर में वहां पर कोई भूतपूर्व सैनिक अथवा उनका परिवार भर्ती नहीं है। जिलों में 33 वार्ड बने हुये हैं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर अब से कोई आदेश पारित करेंगे कि इन 33 वार्डों का प्रयोग भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों के प्रयोग के लिये किया जायेगा और उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी। ऐसा किया जाना क्या माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे और क्या पारित आदेश की प्रति सदन के पटल पर भी रखने की कृपा करेंगे?

(इस समय 12 बजे उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जो भूतपूर्व सैनिकों के वार्ड है अगर कोई स्थिति पैदा होती है और भूतपूर्व सैनिकों के वार्ड खाली है तभी उसमें अन्य मरीजों को रखा जाता है और अगर उसमें भूतपूर्व सैनिक मरीज है तो उनकी जगह किसी को नहीं बदला जाता है। दूसरा यह कि अगर सैनिक आ गये और वार्ड भरे हुए है भूतपूर्व सैनिकों के तो वार्ड खाली करा लिया जाता है। तीसरा आदेश यह है कि वार्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही रहें।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पर पारित आदेश को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्योंकि इन आदेशों का पालन कही भी नहीं हो रहा है। मान्यवर, लखीमपुर खीरी में जो वार्ड बने हुए है वह डाक्टरों के रहने के आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो क्या इस आदेश को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इसको दिखवाये लेता हूं अगर चिकित्सक हैं तो उनको हटवा दिया जायेगा।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिको के लिये मेरठ मेडिकल कालेज और प्यारे लाल अस्पताल में की गयी है अगर नहीं की गयी है तो करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

मान्यवर, जहां पर उनके वार्ड है वहां वहां है अन्यथा हर जगह साधारण नागरिक के समान उनकी व्यवस्था है।

श्री किशोरी लाल सकलानी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि देहरादून में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या की अधिकता को देखते हुए कोई विशेष व्यवस्था कर सकेगें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा की व्यवस्था शासेन अपने साधन के अन्तर्गत कर रहा है।

*13--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 26-7-86 को वक्तव्य होने के कारणनिरस्त]

देवरिया तथा गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर फैलने की सूचना एवं रोकथाम हेतु उपाय

*14--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष के अक्तूबर माह में देवरिया तथा गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर (एनसिफलाइटिस) बहुत जोरों पर फैल गया था और अनेकों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिये कोई कदम उठाये थे ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप की प्रथम सूचना गोरखपुर जनपद में 17-9-85 को तथा देवरिया जनपद में 19-9-85 को प्राप्त होते ही वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय तथा जनपद के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर विशेष उपचार केन्द्र स्थापित किये गये। रोग नियन्त्रण हेतु हर सम्भव उपाय किये गये। उक्त क्षेत्रों के सभी चिकित्सालयों में उपचार हेतु औषधियां कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई तथा सरकारी वाहनों से रोगियों को उपचार केन्द्रों पर लाने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार की सुविधायें तथा अन्य निरोधात्मक कार्यवाहियां सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष टीमें भेजी गई। भारत सरकार द्वारा भी एक एन्टामालोजिकल टीम भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रभावित जनपद का दौरा किया। इस टीम द्वारा तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा मेडिकल कालिज गोरखपुर की टीमों द्वारा की जा रही उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर गाड़ी जा सकती थी फोगिंग का कार्य कराया गया तथा शेष स्थानों पर डी0 डी0 टी0 और बी0 एच0सी0 का छिड़काव कराया गया। प्रचार तथा प्रसार माध्यमों से जनसाधारण को सुशिक्षित भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा तथा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप उक्त बीमारी पर शीघ्र ही नियन्त्रण पा लिया गया एवं रोग ग्रसित रोगियों की संख्या एवं मृत्यु की संख्या में कमी लायी गयी।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, पिछले कई वर्षो से मस्तिष्क ज्वर बराबर बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मस्तिष्क ज्वर से देवरिया और गोरखपुर में पिछले वर्ष कितने लोग ग्रसित हुये और कितने लोग मरे ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रान्त के अन्य जिलों में भी यह रोग फैला था। उस समय इस रोग से कितने लोग ग्रसित हुये और कितने लोग मरे। तीसरा प्रश्न यह है कि यह रोग बढ़ता जा रहा है और अकस्मात फैलता है और फैलने के उपरान्त ही इसकी रोकथाम की कार्यवाही शुरू होती है। इस बात को

देखते हुये जिन जिलों में इस रोग के फैलनें की सम्भावना बढ़ गई है वहां पर पहले से ही उसकी रोकथाम की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, गोरखपुर और देवरिया में 1100 लोग इस रोग से ग्रसित हुये और लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई। श्रीमन्, गोरखपुर और देवरिया इन दोनों जिलों में ही इस रोग का जोर था और भारत सरकार की सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेबुल डिजीजेज की एक टीम यहां आई थी। उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। वह इसकी जांच कर रही है कि यह रोग उन्हीं स्थानों में विगत 6 वर्षों से फैल रहा है इसके क्या कारण हैं, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है यह जब वे अपनी आख्या हमें भेजेंगे तब हम उस पर कार्यवाही करेंगे जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अन्तर्गत कीट नाशक दवाओं का प्रयोग वर्ष में बार वहां पर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि बुखार आने के बाद रोगी यदि तत्काल अस्पताल में आ जाता है तो उसकी सुरक्षा हो जाती है और अगर 48 घन्टे बाद पहुंचता है तो उसकी मत्यु हो जाती है। बहरहाल भारत सरकार से जो टीम आयी थी उसकी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में उन्होंने बताया कि वहां पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव हुआ, मंत्री जी का दौरा हुआ और उसकी रोकथाम हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि इस मस्तिष्क ज्वर का क्या कारण है ? क्या कोई दवा अभी तक ऐसी कारगर साबित हुई है जिससे इसका उपचार किया जा सके और इस बीमारी की रोकथाम के लिये कौन से ऐसे कारगर उपाय किये जा सकते हैं जिससे यह रोग न फैले ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने यह अनुरोध किया कि सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेबुल डिजीजेज की जो टीम आयी थी वह इस पर विचार कर रही है। वह टीम एक सप्ताह तक वहां रही। उसकी आख्या आने के उपरान्त वे बतायेंगे कि किस तरह से इसके प्रिवेन्टिव मेजर्स किये जायं जिससे यह बीमारी भविष्य में न उभरे। उसके आने के बाद ही इसकी रोकथाम का काम किया जायेगा।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में गोरखपुर और देवरिया तो इस रोग से ग्रसित था ही गोरखपुर मंडल के बस्ती और आजमगढ़ जिले भी इससे प्रभावित थे। इसकी जानकारी बराबर समाचार पत्रों में भी आयी है कि इन जिलों में भी कई सौ लोग मरे थे। मान्यवर, आप भी बस्ती स्वयं गये थे और आप स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से इस रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। इस बात को भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि सेन्ट्रल की टीम इस बार भी आयी थी, और इससे पहले भी आयी थी, पिछले वर्षों में। साथ ही आपके प्रदेश की जो टीम गई थी उन्होंने भी इसके स्थायी हल के लिये क्या सुझाव पहले दिये थे और नहीं दिये थे तो क्या सरकार की तरफ से कोई सुझाव मांगे गये थे तो उन सुझावों पर क्यों कार्यान्वियन नहीं हुआ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इस पर 1978 से खोज का कार्य चल रहा है जो भारत सरकार कर रही है, जब तक वह सही कारणों की जानकारी हमें नहीं दे पायेंगे तब तक हम उन्हीं कार्यक्रमों को चला रहे हैं और उसकी मात्रा बढ़ा दिये है जिससे मरीजों की रोकथाम हो सके। अब तक जनसाधारण की यह भावना है कि यह रोग सुअर से पोषित मच्छरों से होता है। हमारे भी चिकित्सक की यह धारणा है। मगर सही चीज क्या है जब तक वह नहीं बतायेंगे जो इस कार्य के खोज में लगे है। 8वर्षों से इस पर अनुसंधान हो रहा है। जब वह इस

में सफल हो जायेंगे तो हमें उनका मार्ग दर्शन प्राप्त हो जायेगा ।

श्री राम नरेश--

मान्यवर बस्ती और आजमगढ़ में मैंने कहा कि कई सौ लोग इससे मरे थे । तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सूचना के अनुसार कितने लोग मरे थे ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने उत्तर में कहा कि यदि मरीज 48 घंटे के अन्दर चिकित्सालयों में आ जाता है तो बचाया जा सकता है लेकिन गांवों में इस रोग के बारे में काफी दिनों के बाद जानकारी होती है जब तक मरीज मरणासन्न हो जाता है । तब क्या इस रोग के लक्षण और निदान के संबंध में प्रचार कराने की कृपा करेंगे सेमीनार के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स और सभाओं के माध्यम से जहां पर यह व्यापक स्तर पर फैल रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आकाशवाणी गोरखपुर डुग्गी, भोपू और पैम्फलेटों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में यह बीमारी हुई बतायी गयी । इसके लक्षण बताये गये और कहा गया कि जैसे ही बुखार और तेज सरदर्द हो तो ऐसे मरीज को तत्काल नजदीक के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सरकारी अस्पताल में ले जायं और पुलिस विभाग की भी इस में मदद ली गयी । उनकी गाड़ियां भी जहां पर स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों की कमी थी मदद ली गयी और कहा गया कि सदर अस्पताल तक मरीजों को पहुंचा दे । बस्ती, आजमगढ़ की बात माननीय रामनरेश जी ने कही तो खलीलाबाद तहसील के कुछ गांवों में प्रभाव हुआ था जिसमें 21 कैसेज हुये थे आजमगढ़ के किसी अंचल में मस्तिष्क रोग का प्रभाव नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री देव कुमार यादव के खड़े होने पर) इस पर काफी प्रश्न हो गये और बात साफ हो गयी है ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ था । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह मर्ज जिस तरह से फैल रहा है उसका प्रभाव बुन्देलखण्ड के बादा क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है । तो क्या उस सेंट्रल टीम से वहां का सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, बुन्देलखंड और मेरा क्षेत्र दोनों समकक्ष हैं, भगवान की कृपा से अभी वह इस बीमारी से बचे हैं ।

किसान कोल्ड स्टोरेज, बांसडीह रोड, जनपद बलिया में किसानों का रखा आलू सड़ जाने से क्षति

*15--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान कोल्ड स्टोरेज बांसडीह रोड जनपद बलिया में रखा किसानों का हजारों क्विटल आलू सड़ गया है? यदि हां, तो किसानों की क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार कौन है और सरकार आलू के सड़ जाने के कारण जो किसानों की क्षति हुई है उसकी क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

किसान कोल्ड स्टोरेज में भन्डारित 44,320.94 कुन्तल आलू के सापेक्ष 34,998.19 कुन्तल आलू खराब हो गया । उक्त की क्षतिपूर्ति शीतगृह स्वामी द्वारा की जानी है । किसी भी किसान ने प्रतिकर की मांग नहीं की है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि 44,320.94 क्विटल के अगेंस्ट 34,998.19 क्विटल आलू खराब हो गया यह किसान की सबसे बड़ी क्षति हुई ।

तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों की मांग को उचित समझते हुये क्या कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से क्षति पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि किसी किसान ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया कोई क्लेम नहीं किया। फिर भी हमने विभाग को निर्देशित किया है कि किसानों से संपर्क करके उनके क्लेम फार्म एकत्रित करके किसानों को क्लेम दिलाने की कोशिश करें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने कहा है कि एक तो क्षति-पूर्ति की बात होती और दूसरे प्रतिकर देने की बात है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति दिलाने में क्या किसानों की मदद करेंगे ? मेरी जानकारी को सही मानकर किसानों ने प्रतिकर की मांग किया है और वह नहीं दिया गया है। क्या इसकी जांच करायेंगे और प्रतिकर किसानों को दिलायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा पहले कहा है और फिर कह रहा हूं कि किसानों ने कोई क्लेम नहीं किया है बल्कि हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों से संपर्क करके क्लेम फार्म एकत्रित करके मदद की जाये।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, प्रदेश के अनेक जिलों में कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या कोई कोल्ड स्टोरेज ऐक्ट में परिवर्तन करेंगे जिससे किसी टेक्निकल गलती या मालिक की गलती के कारण यदि आलू सड़ेगा तो उसकी क्षति-पूर्ति करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर कोल्ड स्टोरेज ऐक्ट में प्राविधान है कि यदि आलू खराब हो रहा है तो जैसे ही मालिक को पता होगा तो वह इसकी नोटिस किसानों को देगा कि अपना आलू उठाले और यदि वह नहीं उठाते है और आलू खराब हो जाता है तो तमाम प्राविधान है जिनके तहत जो क्षति होती है किसानों को उसकी पूर्ति करायी जायेगी।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मान्यवर, मेरठ में पिछले वर्ष शत-प्रतिशत आलू कोल्ड स्टोरेज में नष्ट हो गया था .....

श्री उपाध्यक्ष--

यह बलिया से संबंधित है प्रश्न, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठ जायं।

बालू खनन के ठेके में निषाद केवट मल्लाह आदि जातियों को प्राथमिकता देने का आदेश

*16--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार ने जी0 ओ0 संख्या 4975/18-12-213/79 उद्योग अनुभाग-12 के तहत प्रदेश के नदी तलसे बालू निकालने व उठाने के परम्परागत रूप से काम करती चली आ रही जातियां निषाद कवट मल्लाह आदि की सहकारी समितियों के नदी बालू खनन का ठेके देने में प्राथमिकता देने के आदेश जिला अधिकारियों को दिये ? यदि हां, तो क्या जनपद आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इलाहाबाद, इटावा, कानपुर में बालू खनन के ठेके में उक्त आदेश के अन्तर्गत संदर्भित परम्परागत जातियों को प्राथमिकता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम औतार दीक्षित--

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से अगस्त, 85 से अब तक प्राप्त सूचना निम्नवत है :--

आगरा---कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मथुरा---कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अलीगढ़--जनपद में नदी तल से अथवा किसी अन्य श्रोत से बालू नहीं निकाली जाती है और न ही ठेका दिया जाता है।

मैनपुरी---जनपद की शिकोहाबाद तहसील में प्रश्नगत सहकारी समिति को पट्टा दिया गया।

एटा---व्यापक प्रचार के उपरान्त भी प्रश्नगत सहकारी समिति की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

इलाहाबाद---उपलब्ध बालू क्षेत्रों को नीलामी प्रक्रिया से वापस लेकर खनन पट्टा पर देने हेतु आवश्यक विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है ताकि प्रश्नगत सहकारी समितियों को पट्टा प्राथमिकता पर दिया जा सके।

इटावा ---कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कानपुर (देहात) ---कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

सभी जिलाधिकारियों ने कहा है कि पहले पट्टे पर उठे क्षेत्र जैसे-जैसे खाली हो रहे है उन्हें प्रश्नगत समितियों को प्राथमिकता के आधार पर देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आगरा कानपुर और मैनपुरी में रजिस्टर्ड समितियां हैं और प्रदेश भर में 500 से ज्यादा समितियां है तो इन रजिस्टर्ड समितियों के प्रार्थना पत्र मेरी जानकारी के अनुसार जिला कार्यालयों में भेजे गये लेकिन उन्हें इस कारण पट्टे नहीं दिये गये कि पहले से जमे हुए जो लोग है वह खाली करने के लिये तैयार नहीं हैं इसलिये इन समितियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं हुआ, क्या इस तथ्य की मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित---

बिलकुल करायेंगे और हम माननीय सदस्य से प्रार्थना करेंगे कि वह ऐसे तथ्यों से मुझे अवगत करायेंगे। क्योंकि जब शासन का आदेश है तो उनका पालन होना ही चाहिए। नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा ?

कृषि मंडी समिति टूंडला, जनपद आगरा हेतु ग्राम अलावलपुर में चयन की गई भूमि

*17---श्री शिववक्ष सिंह राठौर---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि मंडी समिति टून्डला जनपद आगरा के लिये जो भूमि अलावलपुर ग्राम में चयन की गई है उसमें मंडी समिति के चयन हेतु जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन नहीं किया गया है ? चयनित भूमि के बीच से होकर 1,32,000 बोल्ट की बिजली की लाइन जा रही है छोटे-छोटे कृषकों और विधवाओं की भूमि और वह भी आबादी के अन्दर है? क्या सरकार इस भूमि का अधिग्रहण न करके मंडी समिति ने जो दूसरी भूमि प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित की थी उसे अधिगृहीत करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मुण्डी स्थल टून्डला के लिये ग्राम अलावलपेर की भूमि का चयन शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया है।

इस समय चयनित भूमि से होकर हाई टेंशन लाइन जा रही है जो भूमि चयन के समय नहीं थी फिर भी इस लाइन के नीचे की भूमि को छोड़ते हुए निर्माण कार्य किया जा सकता है। चयनित स्थल में छोटे कृषकों की भूमि नहीं पड़ती है। केवल एक विधवा की भूमि का कुछ अंश अर्जन से प्रभावित होगा। भूमि पर आबादी नहीं है। वर्तमान मण्डी से निकटता आवक की सुविधा एवं कृषि क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह स्थल प्रस्ताव संख्या 2 पर अकित भूमि की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। अतः अधिग्रहण प्रस्ताव बदल कर प्रस्ताव सख्या-2 पर

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अंकित भूमि के अधिग्रहण करने का औचित्य नहीं है।

सचिव, कृषि द्वारा राजकीय कृषि फार्म बिलासपुर का दौरा तथा पाई गयी अनियमितायें

*18--श्री शारदा प्रताप--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 में निरीक्षण के समय सचिव, कृषि ने राजकीय कृषि फार्म बिलासपुर पर अनियमिततायें पाई थीं और इसे प्रक्षेत्र अधीक्षक की कार्य अवधि में लाभ एक लाख 17 हजार से घट कर 20 हजार रुपये ही रह गया था? इसी फार्म पर बाद में खाद कम डालने चोरी से पैदावार बेचने व फार्म का सामान खुर्द बुर्द करने के मामले प्रकाश में आये थे ? यदि हां तो इस संबंध में उपनिदेशक ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सचिव, कृषि 1983 में बिलासपुर फार्म पर भी गये थे और उत्पादन बढ़ाने के निदेश दिये थे। अनियमितता से सम्बन्धित कोई तथ्य उस समय प्रकाश में नहीं आया था। प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र नाथ यादव ने प्रक्षेत्र पर 6-9-80 से योगदान किया था। उनकी कार्य अवधि में लाभ में कमी आयी। बाद में खाद कम डालने चोरी से पैदावार बेचने व फार्म का सामान खुर्द बुर्द करने की भी अनियमिततायें प्रकाश में आयीं उक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रक्षेत्र से हटा दिया गया है और मामले की पूर्ण जांच निदेशालय द्वारा पुलिस सेल कृषि भवन को सौंप दी गई है जो जांच की कार्यवाही सम्पादित कर रहे हैं।

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में चिकित्सा धिकारी व डेन्टल सर्जनों का प्रवेश एवं सैन्य सेवा का लाभ

*19--श्री इकबाल अहमद अन्सारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0 एच0 एस0 सवर्ग में कितने ऐसे चिकित्साधिकारी व डेन्टल सर्जन है जिन्होंने सैन्य सेवा अल्पकालिक कमीशन से रिलीज होने के बाद सेवा में प्रवेश किया है ? क्या उन सभी को उनके द्वारा सैन्य सेवा का लाभ देते हुए ज्येष्ठता एवं वेतन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी ज्येष्ठता एवं वेतन निर्धारण का मामला कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग साधारण ग्रेड में 10 चिकित्साधिकारी तथा 4 डेन्टल सर्जनों ने सैन्य सेवा अल्पकालिक कमीशन से रिलीज होने के बाद सेवा में प्रवेश किया है।

एक अधिकारी को कुछ सैन्य सेवा का लाभ दिया जा चुका है। अन्य के मामले विचाराधीन है।

जनपद मुरादाबाद की सहकारी कताई मिल, अमरोहा में अग्निकांड

*20--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की सहकारी कताई मिल अमरोहा में दिनांक 24-11-85 को आग लग गयी थी ? यदि हां, तो मिल को इस अग्निकाण्ड से कितनी क्षति हुई तथा इस अग्निकाण्ड की जिम्मेदारी किन-किन कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर आती है और उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां, मिल में हुई अग्निकाण्ड से लगभग 1 लाख रु0 की क्षति हुई है। चूंकि अग्निकाण्ड विद्युत मोटर में हुए शार्ट सर्किट के कारण हुई थी इसलिये इस अग्निकाण्ड का उत्तरदायित्व किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी पर नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जिला अस्पताल गाजीपुर परिसर में बने नर्सेस होस्टल को नर्सों के हवाले करने के बारे में पत्र

1--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला अस्पताल गाजीपुर परिसर में बने नर्सेस होस्टल को नर्सों के हवाले करने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1550 दिनांक 15-5-84 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 15-5-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है, क्या उक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 21-8-84 का दिनांकित था । संदर्भित पत्र पर कार्यवाही करके समस्त जानकारी माननीय प्रश्नकर्त्ता का विधान सभा 1985 के द्वितीय सत्र के 1 ले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर द्वारा दे दी गयी है ।

उत्तरकाशी के डाक्टर गुप्त का घिराव व निलम्बन संबंधी शिकायती पत्र

2--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1861 दिनांक 20-5-85 जो उत्तरकाशी के डाक्टर गुप्त का 23-4-85 को घिराव व निलम्बन के बारे में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच आख्या मांगी गयी है ।

अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षा को उच्चीकृत करने की मांग

3--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में अतिरिक्त डायरेक्टर आयुर्वेद एवं यूनानी शिक्षा को अपग्रेड करने के लिये प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1305 दिनांक 16-10-85 मा0मुख्य मंत्री जी को दिनांक 16-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इस विषय पर प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 11-10-84 (न कि दिनांक 16-10-85) प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी शिक्षा को उच्चीकृत करते हुए निदेशक आयुर्वेद के समकक्ष करने की मांग की गयी है जो फिलहाल संभव नहीं है ।

प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में लिपिक/टंकक तथा सुपरवाइजर के स्वीकृत पद, आरक्षित में पदों की गयी नियुक्तियां/पदोन्नतियां

4--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्रीराम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत लिपिक/टंकक तथा प्रधान लिपिक के कितने स्वीकृत पद है ? इन स्वीकृति पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित है ? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह पद कब से रिक्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में लिपिक / टंकक के 130 पद एवं प्रधान लिपिक के 5 पद स्वीकृत है ।

स्वीकृत पदों के विपक्ष में आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
लिपिक/टंकक	23	
प्रधान लिपिक	1	..

आरक्षित पदों में की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
लिपिक टंकक	10	..
प्रधान लिपिक	..	..

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है।

रिक्त पदों की अवधि निम्न प्रकार है :--

	लिपिक टंकक	प्रधान लिपिक
अनुसूचित जाति	13 पद 1978	एक पद 1977 से
अनुसूचित जनजाति	2 पद 1968 से	

5--श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे की उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी पयवेक्षक (सुपरवाइजर) के कितने स्वीकृति पद हैं ? इन स्वीकृतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं ? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई है ? यदि नहीं तो क्यों यह पद कब से रिक्त हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उ0 प्र0 खादी बोर्ड में औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के 92 पद स्वीकृत हैं।

स्वीकृत पदों के विपक्ष में आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

अनुसूचित जाति-17
अनुसूचित जनजाति-1

अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों के विपक्ष में 4 एवं जनजाति के लिये आरक्षित पदों के विपक्ष में कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है।

उपर्युक्त आरक्षित पद वर्ष 1978-79 से रिक्त हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कतिपय श्रेणी के तथा औद्योगिक सहकारी निरीक्षक के स्वीकृत पद एवं आरक्षित पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नतियां

6--श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कोटि सं0 1, 2, 3 एवं 4 के कितने स्वीकृत पद हैं ? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कितने पद आरक्षित हैं ? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह पद कब से रिक्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खादी बोर्ड के श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4 के स्वीकृत पदों आरक्षित पदों एवं उन पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

कोटि सं0	कुल स्वीकृत पद	आरक्षित पद		आरक्षित पदों के विपक्ष में नियुक्तियां	
		अनु0 जाति	अनु0जनजाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
1	2	1	-	-	..
2	58	10	1	2	1
3	992	178	19	46	9
4	597	107	12	41	3

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है। यह पद 78–79 एवं उसके पूर्व से रिक्त है।

7––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी निरीक्षक के कितने स्वीकृत पद हैं? इन स्वीकृत पदों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां / पदोन्नतियां की गई हैं? यदि नहीं तो क्यों और यह पद कब से रिक्त है?

श्री बीर बहादुर सिंह––

औद्योगिक सहकारी निरीक्षक के 24 पद स्वीकृत हैं।

इन स्वीकृत पदों में 4 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं एवं जनजाति के लिये कोई भी पद आरक्षित नहीं है। आरक्षित पदों में दो नियुक्तियां हुई हैं।

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है।

यह पद वर्ष 78–79 से रिक्त हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत सहशिक्षक (चर्म) तथा प्राविधिक सहायक (चर्म) के स्वीकृत पद एवं आरक्षित पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नति की स्थिति

8––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत सहशिक्षक (चर्म) तथा प्राविधिक सहायक (चर्म) के कितने स्वीकृत पद हैं? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां / पदोन्नतियां की गई हैं? यदि नहीं तो क्यों और यह पद कब से रिक्त है?

श्री बीर बहादुर सिंह––

खादी बोर्ड में सहशिक्षक (चर्म) के 41 पद एवं प्राविधिक सहायक (चर्म) के 22 पद स्वीकृत है।

आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:––

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सहशिक्षक (चर्म)	7	1
प्राविधिक सहायक (चर्म)	4	..

आरक्षित पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सहशिक्षक (चर्म)	7	.
प्राविधिक सहायक (चर्म)	..	..

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है। यह पद वर्ष 81–82 से रिक्त है––

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) तथा द्वितीय एवं विभिन्न वेतनक्रम के स्वीकृत पद एवं आरक्षित पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नति की स्थिति

9–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) तथा द्वितीय के कितने पद स्वीकृत हैं? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों और यह पद कब से रिक्त है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खादी बोर्ड में सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के 42 पद एवं सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) के 128 पद स्वीकृत हैं।

आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सहायक विकास अधिकारी (प्रथम)	7	1
सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय)	23	2

आरक्षित पदों के विपक्ष में नियुक्तियों पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है--

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सहायक विकास अधिकारी (प्रथम)	7	..
सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय)	4	..

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है। यह पद वर्ष 1978-79 से रिक्त है।

10--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत वेतनक्रम 825-1240 एवं 690-1420 के कितने स्वीकृत पद हैं ? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं ? इन आरक्षित पदों में अभी तक कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों यह पद कब से रिक्त हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खादी बोर्ड में वेतन क्रम रु0 625-1240 में 38 पद एवं वेतनक्रम रु0 690-1420 के 14 पद स्वीकृत हैं।

आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
रु0 625-1240	6	..
रु0 690-1420	1	..

आरक्षित पदों के विपक्ष में नियुक्तियां/पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है--

वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
रु0 625-1240	1	..
रु0 690-1420	1	..

आरक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कोटे के अनुसार नियुक्तियां न होने के मामले में जांच की जा रही है। यह पद वर्ष 78-79 एवं उसके पूर्व से रिक्त है।

उद्योग निदेशालय, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत प्रबन्धक के स्वीकृत पद तथा आरक्षण कोटा

11--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय/उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) के कितने स्वीकृत पद हैं ? इन स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कितने पद आरक्षित हैं ? क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारित कोटा पूरा है अथवा नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह पद कब से रिक्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) के 56 पद स्वीकृत हैं।

अनुसूचित जाति के लिये 10 पद एवं जनजाति के लिये एक पद आरक्षित हैं।

अनुसूचित जाति का कोटा अभी पूरा नहीं है। कमी को पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं। अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा है।

यह पद वर्ष 1984 से रिक्त है।

प्रदेश की कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाले फर्मों के नमूने की जांच तथा इंडोफिल केमिकल्स द्वारा आपूर्ति की गई कीटनाशक दवा के विरुद्ध जानकारी

12--श्री शारदा प्रताप--

क्या उद्योग मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश की कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाली कुछ फर्मों के नमूनों की जांच भारत सरकार द्वारा की गयी थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 35 फर्मों को अधोमानक आपूर्ति के लिये दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

13--श्री शारदा प्रताप--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इंडोफिल केमिकल्स द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कीटनाशक दवा (मैंकोजेब) की इक्सपायरी एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष रखकर सरकार व जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा मेसर्स इन्डोफिल केमिकल्स के नमूने अधोमानक पाये जाने के बावजूद उनका रेट कान्ट्रेक्ट जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो उसके निरस्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कृष्णवीर सिंह, जूट विकास निरीक्षक, मेरठ का निलम्बन

14--श्री कौशिक रमाशंकर--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण वीर सिंह, जूट विकास निरीक्षक, मेरठ, जुलाई, 1984 में लगभग एक सप्ताह किसी वाद में जेल में रहे? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

श्री कृष्ण वीर सिंह, जूट विकास निरीक्षक, मेरठ, वर्ष 1984 में दिनांक 9-7-84 से 12-7-84 तक जेल में रहे। उन्हें इस अवधि के लिये निलम्बित किया गया

डायरेक्टर हार्टीकल्चर श्री शिवराज सिंह तेवतिया द्वारा सेवा निवृत्त के बाद भी पत्रावलियों का निस्तारण

15--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर श्री शिवराज सिंह तेवतिया ता0 31-8-84 को सेवा निवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो मा0 कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन्होंने सेवा निवृत्त के बाद भी पत्रावलियों को निपटाया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या यह सही है। कि कृषि सचिव ने इनकी सेवाओं का समय बढ़ाने की सिफारिश नहीं की थी? यदि हां, तो इनकी सेवा में समय किस आधार पर और किनके आदेश से बढ़ाया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री तेवतिया ने 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु 31-8-83 को पूर्ण कर ली थी। शासन ने अपने आदेश दिनांक 30-8-83 द्वारा उनका कार्यकाल 3 माह के लिये बढ़ाया। पुनः शासन के आदेश दिनांक 30-11-83 द्वारा उनका कार्यकाल 1-12-83 से 6 माह के लिये बढ़ाया गया। तत्पश्चात् शासन के आदेश दिनांक 30-5-84 द्वारा उनका

[चौधरी नारेन्द्र सिंह]

कार्यकाल 1-6-84 से पुनः 3 माह के लिये बढ़ाया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से उनका कार्यकाल 31-8-84 तक बढ़ाया गया है।

कुछ पत्रावलियों को दिनांक 3-9-84 तक निपटाया जिनकी समीक्षा उनके उत्तराधिकारी निदेशक द्वारा कर ली गई थी। इन पत्रावलियों में एक को छोड़कर शेष साधारण पत्र व्यवहार से संबंधित थी। एक पत्रावली में श्री तेवतिया ने दिनांक 3-9-84 को दक्षता रोक पार करने के आदेश दिये थे जिसे उनके उत्तराधिकारी निदेशक ने रद्द कर दिया।

श्री तेवतिया को दिनांक 31-8-84 को सेवा निवृत्त होने के पश्चात् पत्रावलियों का निस्तारण नहीं करना चाहिये था। श्री तेवतिया द्वारा दिनांक 31-8-84 के बाद निस्तारित पत्रावलियों की समीक्षा उनके उत्तराधिकारी ने कर ली थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० देवदत्त राय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनपद आजमगढ़ का विकलांग वर्ग के आरक्षित कोटे में उनका चयन न किये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र

16--श्री विष्णु देव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें डा० देवदत्त राय, पुत्र स्व० श्री बालगोविन्द राय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम व पोस्ट गोठा, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 31-10-85 इस आशय का प्राप्त हुआ है कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में समाज के अक्षम अभ्यर्थियों जिनमें वे स्वयं है के प्रति निदेशालय (होम्योपैथिक) उ० प्र० द्वारा अनियमिततायें बरती गयी हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डा० देवदत्त की अभ्यर्थना थी कि विकलांग वर्ग के आरक्षित कोटे में उनके चयन पर विचार किया जाय चूंकि एक पद के विरुद्ध पांच अभ्यर्थियों की सूची में स्क्रीनिंग के आधार पर उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जा सका। इस कारण उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया।

जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति, मुरादाबाद की बैठक

17--श्री हाजी मोहम्मद हयात--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से सम्पन्न नहीं हुई है? यदि हां, तो बैठक सम्पन्न न होने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला स्वास्थ्य परामर्श दात्री समिति, मुरादाबाद की बैठक 3-7-85 के बाद नहीं हुई।

जिला स्वास्थ्य परामर्श दात्री समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण दिनांक 30-11-85 को समस्त समितियों को भंग कर दिया गया है जिसके कारण बैठक सम्पन्न न हो सकी।

18--श्री हाजी मोहम्मद हयात--

(विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा में बैरर के पद पर कार्यरत श्री महेन्द्र सोलंकी को अन्धा घोषित किये जाने के फलस्वरूप सेवा मुक्ति

19--श्री विजय सिंह राणा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र सोलंकी, पुत्र श्री जसवन्तसिंह सोलंकी, निवासी ग्राम मिढापुर, आगरा जो स्थानीय सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में बैरर के पद पर कार्यरत था, को दिनांक 12-6-85 से सेवा मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन उसे पुनः किसी उपयुक्त स्थान पर नियुक्ति देने की व्यवस्था कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा द्वारा श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी को

अन्धा घोषित किये जाने के फलस्वरूप उनकी अनुपयुक्तता के कारण उन्हें सेवामुक्त किया गया है। इसका कारण यह है कि मेडिकल कालेज, आगरा और उससे सम्बद्ध अस्पताल में ऐसा कोई पद उपलब्ध नहीं है जिस पर नेत्रहीन व्यक्ति कार्य कर सके। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा जिला सेवा-योजन अधिकारी, आगरा से श्री सोलंकी को नेत्रहीन व्यक्तियों को दी जाने वाली वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाये जाने तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये उपयुक्त किसी पद पर उन्हें नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोधकर दिया गया है।

श्री बद्री प्रसाद द्वारा मंडी समिति में स्थाई रूप से सेवायोजित किये जाने विषयक आवेदन पत्र

20—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्री प्रसाद जिसने मण्डी समिति में कामदार की हैसियत से सन् 1970 से 1976 तक तथा सन् 1976 से 1981 तक चपरासी की हैसियत से मण्डी समिति आंवला, जिला बरेली में कार्य किया था? यदि हां, तो इसके बाद सन् 1985 में पिछले चार माह से दैनिक वेतन पर मण्डी समिति पुवायां, जिला शाहजहांपुर में सेवा में लगाने का क्या कारण है? क्या प्रश्नकर्त्ता ने माह सितम्बर व अक्टूबर, 1985 में, कोई आवेदन-पत्र अतिरिक्त मण्डी निदेशक मण्डी परिषद् को बद्रीप्रसाद के स्थाई रूप से समायोजन के विषय में दिया था? यदि हां, तो आवेदक की इतनी लम्बी सेवाओं के आधार पर स्थाई क्यों नहीं किया गया और उन्हें कब तक स्थाई कर दिया जायगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। श्री बद्री प्रसाद की मण्डी समिति आंवला में कामदार पद पर अस्थाई नियुक्ति 1-6-70 से की गयी थी परन्तु मण्डी समिति द्वारा 24-2-75 को यह निर्णय लिये जाने पर कि समिति में नियुक्त कामदार की सेवा की आवश्यकता नहीं है, दिनांक 28-9-75 के पूर्वान्ह के एक माह के बाद दिनांक 27-10-75 को इनकी सेवायें समाप्त की गयीं।

पुनः 30-6-76 तक ही स्वीकृत एक अतिरिक्त सीजनल कामदार के पद पर यह दिनांक 1-4-76 से 30-6-76 तक कार्यरत रहे।

तदोपरान्त उन्हें मण्डी समिति में चपरासी के पद पर दिनांक 9-7-76 से नियुक्त किया गया जहां से भी इनकी सेवायें 30-6-81 से एक माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त की गयीं।

श्री बद्री प्रसाद ने मण्डी समिति पुवायां, जिला शाहजहांपुर में अपनी पुनःनियुक्ति हेतु आवेदन किया था जिस पर विचारोपरान्त इन्हें उनके पूर्व अनुभव के आधार पर दिनांक 5-6-85 से दैनिक मजदूरी पर आवश्यकतानुसार कार्यहित में नियुक्त किया गया।

माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक के पत्र दिनांक 9-10-85 के साथ श्री बद्री प्रसाद द्वारा कृषि मंत्री जी को सम्बोधित एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें श्री बद्री प्रसाद द्वारा मण्डी समिति में सेवायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदनकर्त्ता की मण्डी समिति सेवा में निरन्तरता न होने के कारण और दिनांक 30-6-81 को इनकी सेवायें समाप्त हो जाने के कारण इन्हें स्थाई नहीं किया गया।

देश में नसबन्दी के लक्ष्य को पूरा न कर पाने के आरोप में कर्मचारियों की सेवा मुक्ति तथा निलम्बन

21—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नसबन्दी के लक्ष्य को पूरा न कर पाने के आरोप में कितने कर्मचारियों को सेवा मुक्त तथा निलम्बित किया जा चुका है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मामले में प्रदेश के सभी जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है। अभी तक 28 जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 6 जनपदों में कुल 63 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं तथा एक कर्मचारी को निलम्बित किया गया है।

पुनर्वास केन्द्र एवं कृत्रिम अंग लखनऊ की स्थापना तथा उसके सदस्य व पदाधिकारी

22—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पुनर्वास केन्द्र एवं कृत्रिम अंग, लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई उसमें कौन सदस्य हैं, कौन-कौन पदाधिकारी हैं, सदस्य एवं पदाधिकारियों ने 30 सितम्बर, 1985 तक किन-किन तारीखों में पुनर्वास के तथा कृत्रिम अंग का निरीक्षण किया ? उक्त अवधि में कौन-कौन त्रुटियां प्रकाश में आयीं ? इस संबंध में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1972 में हुई ।

इसमें निम्नलिखित सदस्य एवं पदाधिकारी हैं:—

1—मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2—कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय	सदस्य
3—सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4—सचिव, चिकित्सा विभाग	सदस्य
5—सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6—सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
7—सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण	सदस्य
8—निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
9—प्रधानाचार्य, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ	सदस्य
10—विभागाध्यक्ष, आरथोपेडिक्स विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ	सदस्य
11—निदेशक, कृत्रिम अवयव केन्द्र	सदस्य
12—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित चार सदस्य ।	

दिनांक 13-11-1984 को सचिव, चिकित्सा द्वारा तथा दिनांक 1-12-1984 को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा निरीक्षण किया गया । सचिव द्वारा किये गये निरीक्षण में जो त्रुटियां महसूस हुई उनके संबंध में वस्तु स्थिति की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निरीक्षण आख्या की प्रति निदेशक, पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र को भेज दी गई । निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की कोई लिखित निरीक्षण आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई है । दोष निर्धारण की आख्या प्रतीक्षित है । शेष का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती तथा गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में ठेकेदारों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति

23—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती तथा गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में किन-किन वस्तुओं की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा करायी जाती है जिन वस्तुओं की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा करायी जाती है उसकी सूची तथा रेट 1984-85 तथा 1985-86 का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बस्ती तथा गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में खाद्य सामग्री फल, अंडा, दूध स्टेशनरी बिजली का सामान तथा चिकित्सालय में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति ठेकेदारों से कराई जाती है । जिला चिकित्सालय गोरखपुर में एक ही ठेकेदार श्री एम0 ए0 सिद्दीकी द्वारा 1982-83 से आपूर्ति की जा रही है क्योंकि इनका मामला सिविल न्यायालय, गोरखपुर में चल रहा है और इन्होंने 4-7-1985 तक न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं । वर्ष 1985-86 के लिए निविदायें मांगी गई थी परन्तु कोई भी निविदा नियमित नहीं पाई गई । पुनः निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही की जा रही है । जिला चिकित्सालय, बस्ती में जो रेट वर्ष 1982-83 में टेंडर द्वारा स्वीकृत हुए थे उन्हीं दरों पर वर्ष 1984-85

तथा 1985-86 में क्रय किया जाता रहा है। वस्तुओं की सूची तथा रेट मेरे कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्यों द्वारा देखी जा सकती है

श्री प्रेमपाल सिंह निवासी ग्राम चिगंराबटी की जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में उपचार हेतु भर्ती एवं उसकी मृत्यु

24--श्री किरन पाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेमपाल सिंह, पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम चिगराबटी को जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में एड़ी में गोली लगने के बाद 28-7-85 को उपचार हेतु भर्ती कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त श्री प्रेमपाल सिंह की डाक्टरों की लापरवाही क कारण मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। श्री प्रेमपाल सिंह, रोगी का दिनांक 28-7-85 से 7-8-85 तक जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में उपचार किया गया व उसके उपचार में कोई लापरवाही नहीं की गई और वे दिनांक 7-8-85 को बिना किसी को सूचित किया चिकित्सालय से गायब हो गये। रोगी की मृत्यु चिकित्सालय में नहीं हुई। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

25--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें मगलवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तगत स्थानान्तरित]

ब्रासबेयर निगम, मुरादाबाद (शाखा वाराणसी) में नियुक्त सहायक लेखाधिकारी श्री संकटा प्रसाद के उत्पीड़न के बारे में पत्र

26--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 1472 दि0 1-8-84 ब्रासबेयर निगम, मुरादाबाद (शाखा वाराणसी) में नियुक्त सहायक लेखाधिकारी, श्री संकटा प्रसाद के उत्पीड़न के बारे म उन्हें दिनांक 2-8-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री सिंह को चिकित्सा अवकाश काल के वेतन तथा वर्ष 1981-82 व 1982-83 से सम्बन्धित अनुग्रह धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तथा अन्य बिन्दुओं पर भी विचार कर लिया गया है। जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज चीर गृह में एअर कंडीशनर प्लान्ट लगवाने की मांग

27--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के सरे गुरू के लिये निर्धारित ता0 प्र0 स0 14 के उत्तर के सदर्भ में बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एअर कंडीशनर प्लांट लगवा लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेंदार है तथा अब कब तक लग जावेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित विधान सभा प्रथम सत्र 83 के 2 सरेगुरूवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सख्या 14 से है। धन की अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत एअर कन्डीशनर प्लान्ट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। चालू वित्तीय वर्ष में चीर गृह के निर्माण के लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। औपचारिक स्वीकृति के उपरान्त शेष अग्रेतर कार्यवाही सभव हो सकती है। एअर कन्डीशनर प्लान्ट पहले न लग सकने के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आवंटित राशि के बारे में जानकारी

28--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 284, दिनांक 6-11-85 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1984-85 में आवंटित राशि के बारे में ता0 6-11-85

को मिला है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में प्रमुख निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश से आख्या मांगी गई थी जो शासन को प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण करने के पश्चात् माननीय सदस्य को उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में जानकारी करा दी जायगी ।

29---श्री यदुनाथ सिंह---

(दिनांक 5 3-86 को अता0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित) ।

चिकित्साधिकारी, परतावल, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

30---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्साधिकारी, परताबल जनपद गोरखपुर (डा0 गुप्ता) के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता और क्षेत्र के प्रधानों ने गम्भीर आरोपों की शिकायतें की है ? यदि हां, तो 9 वर्ष तक वर्तमान स्थान में कार्यरत रहने वाले अधिकारी को हटाकर इनके विरुद्ध आरोपों की जांच न कराने का क्या औचित्य है ? क्या शासन की उन नीतियों की अवहेलना नहीं है जिसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि सामान्य रूप से एक अधिकारी एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो शासकीय नीतियों की स्पष्ट अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

यह शिकायतें कब और किसे दी गयीं यह सूचनान होने के कारण इस बिन्दु पर उत्तर देना संभव नहीं है

डा0 आर0 के0 गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतावल में अक्टूबर, 1980 से तनात है । वर्ष 1985 के ग्रीष्म काल में इन्हें वहां पांच वर्ष नहीं हुए थे । अतः तब स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

31---श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय---

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

आयुर्वेदिक निदेशालय, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं विद्यालय की संख्या

32---श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक निदेशालय लखनऊ के अन्तर्गत 1962 में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं विद्यालय कार्यरत थे और वर्तमान नवम्बर, 85 में उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है ? आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा विद्यालय के वृद्धि होने के बावजूद भी सन् 1962 से नवम्बर 85 तक आयुर्वेदिक निदेशालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पदों का सृजन नहीं किया गया है और वर्तमान समय में निदेशालय में कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

वर्ष 1962 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय के अन्तर्गत 547 आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा एक आयुर्वेदिक विद्यालय था । नवम्बर, 1985 तक आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या 1494 तथा आयुर्वेदिक विद्यालयों की संख्या 10 (दस) हो गयी है ।

आयुर्वेदिक निदेशालय के निदेशक का पद वर्ष 1961 में ही सृजित किया गया था। तत्पश्चात् उप निदेशक (प्रशासन) उप निदेशक (शिक्षा) उप निदेशक (यूनानी) अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) सहायकऔषधि नियन्त्रक तथा लेखाधिकारी के पद सृजित

किये गये । सम्प्रति अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) उप निदेशक (यूनानी) तथालेखाधिकारी के पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का साक्षात्कार

33—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपथिक चिकित्साधिकारियों का साक्षात्कार माह अगस्त सितम्बर, अक्टूबर, 1985 में हुआ था ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी बुलाये गये, कितने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया तथा चयन प्रक्रिया क्या थी ? क्या डा० ओम प्रकाश त्रिपाठी जो 64.8 प्रतिशत बी० एम० एस० में प्राप्त किये थे को चयनित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

कुल 1198 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए गये जिनमें से 250 अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया (जो गोपनीय है) के अनुसार चयनित किया गया ।

जी नहीं ।

निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत इनका चयन नहीं हुआ ।

पशुपालन विभाग में श्री सुभाष चन्द्र सिंह को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त हुये अंक एवं चयन किए हुये अभ्यर्थियों की सूची

34—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 0114 के उत्तर के संदर्भ में पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र सिंह का नाम किस क्रमांक पर था इसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कितने-कितने अंक प्राप्त हुए थे जिन 26 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनके नाम व पते क्या हैं ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

श्री सुभाष चन्द्र सिंह का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वर्ग के श्रेणी की वरीयता सूची के अनुसार क्रमांक—35 पर है श्री सिंह को लिखित परीक्षा में कुल 150 अंक में से 59 अंक तथा साक्षात्कार में कुल 150 अंक में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं ।

सूची अनुलग्नक "क" पर संलग्न है ।

उपरोक्त प्रस्तर (1) एवं (2) के अनुसार मांगी गयी सूचना प्रस्तुत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 124 पर)

उप निदेशक, पशुपालन फार्म द्वारा दवाओं आदि के क्रय में बरती गई अनियमितताएं को सम्बन्ध में शिकायती पत्र

35—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक, पशुपालन फार्म द्वारा दवाओं आदि में माह मार्च, 1985 में क्रय में बर्ती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या-क्या थी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

शिकायतें मुख्यत: निम्न प्रकार की थीं:-

1—औषधियों के क्रय में अनियमितता,

2—टाइप राइटर के क्रय में अनियमितता,

3—कोष से अग्रिम धन आहरण करने के सम्बन्ध में,

उपरोक्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

डा0 स्वामी नाथन की अध्यक्षता में कुष्ठ उन्मूलन आयोग का गठन तथा सृजित पद, स्थाई करने तथा वेतनमान में सुधार करने हेतु विचार

36--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि, कुष्ठ उन्मूलन आयोग डा0 स्वामी नाथन की कुष्ठ कर्मचारियों से संबंधित सिफारिशों को लागू करने पर शासन विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

डा0 स्वामी नाथन की अध्यक्षता में कुष्ठ उन्मूलन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था । अत: इस आयोग की सस्तुतियों को लागू करने से प्रदेश सरकार सम्बन्धित नहीं है ।

37--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या यह भी बतायेंगे कि कुष्ठ कर्मचारियों के प्रदेश में गत वर्षों से सृजित पदों को इसी वित्तीय वर्ष में भर दिया जायगा ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । कुष्ठ कार्यक्रम में प्रशिक्षित कर्मचारियों को अनुपलब्धता के कारण सभी सृजित पदों को इसी वित्तीय वर्ष में भरा जाना सम्भव नहीं है

38--कुवर मानवेन्द्र सिंह-

क्या यह भी बतायेंगे कि कुष्ठ कर्मचारियों को स्थाई करने तथा उनके वेतनमान में सुधार करने हेतु शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कुष्ठ कर्मचारियों के अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ही कुष्ठ कर्मचारियों को वेतनमान दिया जा रहा है । अत: शासन द्वारा वेतनमानों के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता ।

पशुधन विभाग द्वारा पशुओं की औषधियों के क्रय हेतु कथित कमेटी

39--श्री शारदा प्रताप--

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशुधन विभाग द्वारा पशुओं की औषधियां खरीदने हेतु एक कमेटी गठित है किन्तु औषधियों की खरीद मण्डलों के उपनिदेशकों द्वारा अभी भी मनमानी ढंग से की जा रही है क्या पिछले 5 वर्षों के दवाओं एवं उपकरणों की खरीद के सारे रिकार्ड सील कराकर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों ? कर्मचारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

निदेशालय स्तर पर पशुओं की दवाइयों के क्रय के लिये कोई कमेटी गठित नहीं है । अपने-अपने मंडलों के अधीन जनपदों की संस्थाओं हेतु औषधियों की खरीद के लिये पशुपालन विभाग के उपनिदेशकों को अधिकृत किया गया है । उसी के अनुसार मंडलीय अधिकारी क्रय करते हैं ।

पिछले पांच वर्षों के रिकार्ड सील करवाने का औचित्य नहीं है ।

डा0 एस0 एन0 राय, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र

40--श्री शारदा प्रताप--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0 एन0 राय उप निदेशक पशुपालन विभाग लखनऊ द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें कोई शिकायती पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1985 तथा 1 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो श्री राय के विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां ।

उक्त पत्रों पर विभागीय जांच करायी गयी जो परीक्षणाधीन है ।

स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ में नियुक्त डा0 बी0 एम0 मिश्रा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा पर दिया गया लेक्चर एवं जारी किये गये बुलेटिनों में दिया गया परामर्श

41——श्री हृदय नारायण दीक्षित——

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ में नियुक्त डा0 बी0 एम0 मिश्रा ने प्रदेश के किन-किन नर्सिंग स्कूल्स व हेल्थ स्कूल्स में स्वास्थ्य शिक्षा पर कितने लेक्चर प्रशिक्षणार्थियों को दिये हैं ? कितना समय प्रदेश के हेल्थ स्कूल्स में स्वास्थ्य शिक्षा पर जुलाई से नवम्बर, 85 तक दिया है ? प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की प्रगति हेतु क्या कोई भी परामर्श शासन के विचाराधीन प्रेषित किया है ? लेक्चर व परामर्श नहीं दिया है तो इस पद के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह न करके शासन के कितने धन की क्षति की है ? क्या इस क्षतिपूर्ति हेतु कोई कदम शासन उठाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी——

प्रश्नगत लेक्चर देना डा0 मिश्रा के कर्तव्यों का अंग नहीं है। उनके मुख्य दायित्वों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के नियोजन संगठन निर्देशन एवं प्रशासन सम्बन्धी दायित्व ही आते हैं।

डा0 मिश्रा ने प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की प्रगति हेतु परामर्श शासन को दिया है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

42——श्री हृदय नारायण दीक्षित——

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उ0 प्र0 जवाहर भवन लखनऊ में नियुक्त डा0 बी0 एम0 मिश्रा ने स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित घेंघा रोग, कुष्ट रोग, प्रेवेन्सन आफ ब्लाइन्डनेस, सैनिटेशन, पर्सनल हाईजीन व जन्म मृत्यु के बारे मे व शिक्षा नीति पर जुलाई से नवम्बर, 85 तक टी0 वी0 रेडियो समाचार पत्रों के माध्यम से कुल कितने प्रसारण व बुलेटिन जारी किये हैं ? जनता को क्या परामर्श उपलब्ध कराया है ? इन प्रसारणों पर शासन का कितना धन खर्च हुआ ? स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी प्रचार, प्रसार व भविष्य की क्या योजनाएं प्रस्तुत की है ? क्या कोई परामर्श शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो इस पद का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी——

प्रश्नगत अवधि में ऐसे लगभग दस बुलेटिन जारी हुए हैं किन्तु डा0बी0एम0 मिश्रा ने स्वयं कोई प्रसारण नहीं किये हैं अतःप्रसारण पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता। जारी किये गये बुलेटिनों में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी परामर्श दिया गया है। डा0 मिश्रा से शासन को स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार, प्रसार तथा उससे सम्बन्धित भविष्य की कोई योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो जवाहर भवन के डा0 बी0 एम0 मिश्रा द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों का किया गया कथित दौरा एवं उनके विरुद्ध आरोपों की जांच

43——श्री हृदय नारायण दीक्षित——

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ में नियुक्त डा0 बी0 एम0 मिश्रा ने जुलाई से नवम्बर, 85 तक ग्वाइटर कन्ट्रोल कार्यक्रम पर कितने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया है ? इन दौरों पर कितना व्यय हुआ है ? क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार उन्होंने ये दौरे किये हैं ? यदि नहीं, तो इस पद का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी——

डा0 मिश्रा ने ऐसे कोई दौरे नहीं किये हैं क्योंकि ग्वाइटर कार्यक्रम के कन्ट्रोल के लिये एक प्रथम इकाई कार्यरत है।

शेष प्रश्न नहीं उठते।

44——श्री हृदय नारायण दीक्षित——

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 85 में उन्नाव के तत्कालीन मुख्य चिकित्साअधिकारी डा0बी0एम0मिश्रा को जिनके विरुद्ध प्रशासनिक अक्षमता, नसबन्दी लक्ष्यों की आपूर्ति, भ्रष्टाचार के आरोप थे

प्रदेश के मुख्यावास पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का क्या औचित्य था ? क्या प्रदेश से संचालित शिक्षा नीतियों में ऐसे ही अधिकारी की आवश्यकता थी ? यदि नहीं तो नियुक्त करने के क्या कारण थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव डा0 बी0 एम0 मिश्रा के विरुद्ध प्रश्नगत आरोप, जांच में सही नहीं पाये गये उन्हें जुलाई, 1985 में जनहित में कन्सल्टेन्टो के पद पर स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में तैनात किया गया ।

जनपद बांदा के ग्राम मुरलिया पुरवा की निवासिनी श्रीमती नन्हैया तथा श्रीमती बितइया की नसबन्दी किये जाने के प्रेरकों के विरुद्ध कार्यवाही

45--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा, तहसील नरैनी के ग्राम मुरलिया पुरवा की निवासिनी बितइया विधवा गामा तथा नन्हैया विधवा भइया लाल की नसबन्दी दिनांक 3-10-85 को नसबन्दी महिला प्रसवोत्तर कैंट बांदा में कर दी गई है? यदि हां, तो उनकी उम्र क्या लिखी गई है और क्या यह सही है कि विधवा होने की बात कागजात में दर्ज नहीं की गई है ? इन नसबन्दी के लिए प्रेरक कौन था ? क्या मंत्री जी पूरे मामले की जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । नसबन्दी आवेदन प्रपत्रों में श्रीमती नन्हैया की आयु 32 वर्ष तथा श्रीमती बितइया की आयु 35 वर्ष अंकित है । इनके विधवा होने की बात आवेदन प्रपत्रों में अंकित नहीं है ।

उक्त दोनों केसेज के प्रेरक श्री होरी लाल सक्सेना सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं ।

उक्त मामलों की जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) बांदा द्वारा कराई गई । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

उक्त केसेज के प्रेरक की चरित्र पंजिका में जिलाधिकारी बांदा द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 126 पर)

सी0 एच0 ओ0 तथा प्रसार शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विचार

46--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

द्वितीय सत्र 85 के 3रे गुरु दिनांक 1 अगस्त, 85 के अता0प्र0सं0 17 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभाग में लगभग 81 पद सी0 एच0 ओ0 तथा प्रसार शिक्षक के रिक्त है जो पदोन्नति द्वारा तत्काल भरे जाने हैं? यदि हां, तो इन पदों में से किसी भी पद पर श्री मोहन लाल स्वास्थ्य सहायक कफड़ा दोराहाट, जिला अल्मोड़ा की पदोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सी0 एच0 ओ0 के पदों को शीघ्र भरे जाने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है । वर्तमान में प्रसार शिक्षक का कोई भी पद रिक्त नहीं है । अतः श्री मोहन लाल को प्रसार शिक्षक के पद पर प्रोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री गंगा राम, संसद सदस्य द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

47--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वाथ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा राम, संसद सदस्य द्वारा प्रेषित पत्र जो मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित था माह सितम्बर, 85 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सत्य है कि निदेशक होम्योपैथी के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच हेतु मांग की गई थी ? यदि हां, तो जांच न कराने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ?

डा0 अरुण प्रकाश को यूनियन कार्बाइड लखनऊ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु अनुमति

48--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अरुण प्रकाश, प्रवक्ता, नेशनल होम्यो मेडिकल कालेज, लखनऊ की यूनियन कार्बाइड, लखनऊ में चिकित्साधिकारी पद पर कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए अन्यत्र कार्य करने की अनुमति देने का क्या औचित्य ह ? क्या दोषी अधिकारी को शासन दण्डित करने की कार्यवाही करेगे ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, डा0 अरुण प्रकाश को यूनियन कार्बाइड, लखनऊ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 15-12-72 को अनुमति प्रदान की गई थी ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रवक्ता/डिमांस्ट्रेटर की नियमित नियुक्ति किये जाने मांग

49--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कितने अंशकालिक प्रवक्ता/डिमास्ट्रेटर कार्य रत है तथा कितने वर्षों से कार्यरत है ? क्या सरकार उनकी नियमित नियुक्ति करने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपित त्रिपाठी--

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में 42 अशंकालिक प्रवक्ता तथा 18 अंशकालिक डिमांस्ट्रेटर कार्यरत हैं । जिनमें से अधिकांश वर्ष 1983 अथवा उसके बाद से कार्यरत हैं ।

जी नहीं । क्योंकि अशंकालिक प्रवक्ता/डिमास्ट्रेटरों की नियुक्तियां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में की गई हैं । अतः नियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति

50--श्री राम आसरे वर्मा तथा कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कितने शिक्षक कार्यरत है तथा समुचित शिक्षण कार्य हेतु केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मापदड के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है ? क्या यह भी सत्य है कि प्रान्तीयकरण के 5 वर्ष पश्चात् नियमित एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां तो नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपित त्रिपाठी--

वर्तमान में प्रदेश के 10 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रधानाचार्यों को छोड़कर कुल 103 पूर्णकालिक प्रोफेसर/प्रवक्ता/डिमांस्ट्रेटर कार्यरत हैं । केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मापदण्ड के अनुसार कुल 100 प्रोफेसर, 140 रीडर/सहायक प्रोफेसर, 150 प्रवक्ता तथा 230 डिमांस्ट्रेटर होने चाहिये ।

प्रान्तीयकरण के उपरान्त शिक्षण वर्ग के पदों के सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है अतः स्वीकृत किये जाने वाले पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51-- श्री प्रेम पाल सिंह--

(दि0 27-2-86 को आता0 प्र0 स0 53 द्वारा उत्तरित)

आजमगढ़ के मण्डी हेतु स्थल का चयन

52--श्री दीपनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के मंण्डी हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है ? यदि हां तो उस स्थल पर भवन कब तक बनेगा ? क्य

सरकार मंडी हेतु भवन अविलम्ब बनाने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां, चयनित भूमि के अधिग्रहण का मामला शासन में विचाराधीन है। भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा मिलने के पश्चात् मण्डी स्थल का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री राम प्रकाश गुप्ता, अभिवक्ता की पुत्री श्रीमती शोभा की महिला अस्पताल, इटावा में मृत्यु

53--श्री नरेश चन्द्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम प्रकाश गुप्ता, अभिवक्ता की पुत्री शोभा जो 2 दिसम्बर 85 की रात्रि के दो बजे प्रसव के लिये इटावा जिले के महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी और 3 दिसम्बर की शाम 5 बजे लड़के की पैदाइश के बाद अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण मर गई ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री राम प्रकाश गुप्ता, अभिवक्ता की पुत्री श्रीमती शोभा दिनांक 3-12-85 को प्रातः 10.20 बजे आउटडोर की पर्ची पर महिला अस्पताल, इटावा में प्रसव हेतु भर्ती हुई और उसी दिन सायंकाल 5.55 बजे उन्होंने लड़के को जन्म दिया। दिनांक 4-12-85 प्रातः 1.50 बजे मरीज की स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। मरीज को समुचित चिकित्सा उपचार तथा रात्रि के 2.30 बजे आक्सीजन भी दिया गया परन्तु अथक प्रयासों के बावजूद मरीज की मृत्यु 2.40 बजे हो गयी। मरीज-के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गयी। अतः किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के जिलों में प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना

54--श्री विजय सिंह राणा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग द्वारा प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना प्रदेश के कितने जिलों में प्रारम्भ की गयी है और वह जिले कौन-कौन है ? इस योजना के अन्तर्गत आगरा जिले को लिया गया है या नहीं ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के चार मण्डलों में क्रमिक रूप से निम्नवत् कार्यान्वित की जायगी :--

मण्डल	जनपद		
	प्रारम्भ किये जाने का वर्ष		
	85-86	86-87	87-88
लखनऊ	लखनऊ राय-बरेली	उन्नाव लखीम-पुर-खीरी	हरदोई सीतापुर
फैजाबाद	फैजाबाद सुल्तान पुर	बहराइच प्रतापगढ़	गोंडा बाराबंकी
गोरखपुर	देवरिया आजम-गढ़	बस्ती गोरख-पुर	...
वाराणसी	वाराणसी जौनपुर	गाजीपुर बलिया	मिर्जापुर

जी नहीं। नयी योजना होने के कारण प्रारम्भ में सीमित क्षेत्र में ही कार्यान्वित की जायेगी।

माताटीला बांध में सिल्ट जमा होने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि

55—श्री रामसजीवन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि माताटीला बांध में सिल्ट रोकने के लिये माताटीला नदी घाटी योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है और उसम से कितना-कितना धन किन-किन विभागों के माध्मय से किन-किन कामों में व्यय किया गया ? सिल्टिगं रोकने में कितनी सफलता मिली ? क्या यह सही है कि श्री वृजनन्दन लाल शर्मा ने अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमटी ललितपुर ने 17—10—85 को मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री को शिकायती पत्र भेजकर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माताटीला बांध में सिल्ट जमा होने से रोकने केलिये केन्द्र सरकार से वर्ष 1978—79 से दिसम्बर 1985 तक कुल 157.59 लाख रुपये कृषि विभाग को मिला है तथा राज्य के कृषि विभाग द्वारा यह व्यय स्थापना के अतिरिक्त कन्टूर बन्ड, जल भराव बन्धी, सिल्ट टप बन्धी के निर्माण काय एवं पक्की संरचना व वनीकरण के कार्यों पर खर्च किया गया ।

इन कार्यों के सम्पादन में सिल्ट के बहाव में 35 प्रतिशत तक कमी आ गई है ।

श्री बृजनन्दन शर्मा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ललितपुर का एक शिकायती पत्र दिनांक 17—10—85 प्राप्त हुआ ।

जांच करायी जा रही है ।

दुग्धशाला लाइसेन्स धारियों के लाइसेन्स का तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा रिन्यूवल करने पर विचार

56—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला लाइसेन्स धारियों के लाइसन्स जिला हेड क्वार्टर के बजाय पूर्व की तरह तहसील हेड क्वार्टर पर बनाने तथा रिन्यूवल करन पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं, उ0 प्र0 दूध अधिनियम 1976 के अन्तर्गत लाइसेंसिग योजना वर्ष 1976 में लागू की गई थी उस समय दुग्धशाला विकास विभाग के पास जनपद स्तर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं था अत: इस कार्य के लिये जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की सेवायें प्राप्त की गई थी । अत: परगनाधिकारियों को भी लाइसेंस प्राधिकारी के अधिकार प्रदत्त किये गये । कार्य मे एकरूपता बनाय रखने के उद्देश्य से अधिकांश जनपदों में परगना अधिकारियों के लाइसेंस प्राधिकार वापस लेते हुये जनपदीय विभागीय अधिकारियों को उक्त अधिकार हस्तान्तरित कर दिये गये वर्तमान में केवल 5 जनपद फर्रूखाबाद, इटावा, सीतापुर, बरेली एव रायबरेली में लाइसेंसिग प्राधिकारी परगनाधिकारी (सदर) हैं जो सम्पूण जनपद के लिये अधिकृत हैं । चूंकि विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति जनपद स्तर पर की गई है और तहसील स्तर पर विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अत: लाइसेंसिग का कार्य तहसील स्तर पर किये जाने हेतु विचार नहीं किया जा रहा है ।

57—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

जनपद वाराणसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की फैक्ट्री का शिलान्यास

58—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 फैक्ट्री का उन्होंने शिलान्यास किया है? यदि हां, तो क्या उस अवसर पर उन्होंने गैर तकनीकी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सेवा कार्य में लिये जाने संबन्धी कोई घोषणा भी की है ? यदि हां, तो ये क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 1984 को वाराणसी जनपद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया था।

उपलब्ध सूचना के अनुसार उस अवसर पर उनके द्वारा एसी घोषणा नहीं की गई।

प्रदेश के लघु तथा सीमान्त कृषकों को उर्वरक में दी जाने वाली छूट

59--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लघु तथा सीमान्त कृषकों को खाद खरीदने पर 30 सितम्बर 1985 तक छूट दी गयी थी और 30 सितम्बर तक प्रदेश के किसानों को खाद की आवश्यकता नहीं रही और खाद नहीं खरीद सका? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के लघु तथा सीमान्त कृषकों को रसायनिक खाद छूट की दरों पर खरीदने की अवधि 30 दिसम्बर 85 करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पी0 और के0 उर्वरकों पर लघु सीमांत कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान 30-9-85 तक के लिए अनुमन्य किया गया था

जी नहीं। प्रसंगत किसानों द्वारा छूट की खाद प्रश्नगत अवधि में क्रय की गयी है।

प्रदेश के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमांत कृषकों को फास्फेट एवं पोटास पर क्रमशः 25 एवं 33 1/3 प्रतिशत अनुदान सरकारी संस्थाओं व्यवसायिक बैंकों से किये गये ऋण के समक्ष खरीद पर 1-10-85 से तथा नकद खरीद पर शासनादेश निर्गत होनेकी तिथि से शासन के आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 1985 के तहत दिया गया। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 के अनुसार इन्हीं कृषकों को नाइट्रोजन फास्फेट एवं पोटाश अर्थात् तीनों प्रकार के रसायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत अनुदान उपरोक्त शर्तों पर ही दिनांक 16-12-85 से दिया गया तथा शासनादेश दिनांक 27-12-85 के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जनपदों के सभी लघु एवं सीमान्त कृषकों को तीनों प्रकार के रसायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया। यह अनुदान 3-2-86 तक दिया गया।

मास्टर क्राफ्ट मैन योजना का प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा व्यय की गई धनराशि

60--श्री काशी सिंह ऐरी

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर क्राफ्टमैन के माध्यम से उद्मियों का प्रशिक्षण योजना कब से प्रारम्भ की गयी है? अब तक इसमें कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इन प्रशिक्षण केन्द्रों को कहां-कहां खोला गया और इनमें क्रमशः कितन प्रशिक्षार्थियों ने दिनांक 1-9-85 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह योजना प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में वर्ष 1978-79 से तथा पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1984-85 से प्रारम्भ की गयी है।

सितम्बर, 1985 तक योजना में रु0 20, 95, 075 का व्यय किया जा चुका है।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों को लखनऊ, मुरादाबाद बांदा उन्नाव वाराणसी, आजमगढ़, बरेली फर्रुखाबाद, गोरखपुर, आगरा, बिजनौर मैनपुरी, पीलीभीत, सहारनपुर, देहरादून उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा में खोला गया।

कुल 1355 प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र को ऋण स्वीकृत करने का अधिकार

61--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर जनरल मैनेजर जिला

उद्योग कैमिस्ट को 50 हजार रुपये तक तथा 50 हजार से ऊपर एक लाख रुपये तक धनराशि के ऋण मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने संबन्धी आदेश ऐक्ट के किन प्राविधानों के तहत जारी किये गये हैं और यदि ऐक्ट में नहीं है तो किस कारण से ऐसा किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र को खादी एवं ग्रामोद्योगों हेतु ऋण स्वीकृत करने के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं बल्कि उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय वित्त समिति को रू0 10,000 के ऊपर एवं रु0 50,000तक के वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी बोर्ड को रुपये 50,000 से ऊपर तथा एक लाख रु0 तक का वित्तीय सहायता स्वीकार करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। यह आदेश खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित वित्तीय सहायता की स्वीकृति में सुगमता एवं तत्परता लाने तथा भावी उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम की धारा-16 (1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक

62--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड की बैठक अन्तिम बार आज से पूर्व कब बुलायी गयी थी और नियमानुसार कितनी अवधि में बैठक बुलायी जानी चाहिये? बोर्ड की बठक इतना अन्तराल बीत जाने पर भी किन कारणों से नहीं बुलायी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बठक अन्तिम बार दिनांक 1-2-86 को बुलाई गई थी, यद्यपि प्रशासनिक कारणों से बैठक स्थगित करनी पड़ी इससे पूर्व बोर्ड की बैठक दिनांक 16-9-1985 को बुलई गई थी बैठक बुलाने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है ?

पिछली बैठक 1-2-86 को ही बुलाई गई थी। आगामी बैठक निर्धारित कर दी गई है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी का उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में सेवावधि तथा कथित अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की मांग

63--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकार कितने समय से बोर्ड से सम्बद्ध है ? क्या यह सच है कि वर्तमान कार्यपालक अधिकारी ही वर्तमान बोर्ड के गठन के पूर्व के प्रशासक रहे और अपने अनियमित कार्यों पर पर्दा डालने हेतु ऐसे आदेश पारित करवा लिये है कि बोर्ड के सदस्य किन्हीं भी गड़बड़ियों की जांच नहीं कर सकते ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 10-12-85 से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध हैं।

जी नहीं।

64--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड को कन्टीजेंसी के मद में वर्ष 85-86 में कितना बजट उपलब्ध था और आज की तिथि तक कितना व्यय हुआ है ? क्या यह सत्य है कि इस मद की धनराशि को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अनियमित रूप से तदर्थ नियुक्ति में व्यय किया है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ? क्या मंत्री जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का बोर्ड के सेवा से हटाकर उनके अनियमित कार्यकलापों की जांच कराने की कृपा करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 85-86 में खादी बोर्ड में कन्टीजेन्सी मद में कुल रु0 10.02 लाख उपलब्ध था जिसके विपक्ष में दिनांक 30-11-85 तक रुपये 11.07 लाख व्यय किया जा चुका है।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

केसारी दाल पकड़ने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

65--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या खाद्य मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 474 दिनांक 3-12-85 लखनऊ में 3 ट्रक केसारी दाल पकड़ने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 3-12-85 को मिला है ? यदि हां, तब मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दाल लाने के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ? क्या इस बात का पता चलाया गया कि असली मंगाने वाले कौन हैं एवं ट्रक वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

प्रश्नगत मुकदमा चलाये जाने की कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन आरम्भ कर दी गई है और छानबीन की जा रही है। इस मामले की 17-11-1985 को प्रथम सूचना पुलिस में दर्ज करा दी गई है। प्रश्नगत दाल के असली भेजने वाले तथा मंगाने वाले का पता लगाया जा रहा है तथा पकड़ी गई एक ट्रक, दाल सहित पुलिस की सुपुर्दगी में दे दी गई है।

जनपद बरेली तथा शेष प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत

66--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है तथा शेष प्रदेश के जिलों में जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ? बरेली तथा शेष प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के प्रतिशत में क्या अन्तर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार बरेली जिले में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत 2.40 है।

बरेली जनपद को छोड़ कर शेष उत्तर प्रदेश में जनपदवार औद्योगिक रोजगार में लग व्यक्तियों का प्रतिशत संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

बरेली जनपद में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत 2.40 है एवं प्रदेश के शेष जिलों का औसत प्रतिशत 3.91 है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 127 पर)

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति

67--श्री इकबाल अहमद--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 75 सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की ज्येष्ठता निर्धारण 1984 में हो गई है, उनकी पदोन्नति अब तक क्यों नहीं की गई ? इनसे लगभग 400 (चार सौ) से अधिक कनिष्ठतम कार्यकर्त्ता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 में कार्य कर रहे हैं ? यदि स्थान रिक्त नहीं है तो कनिष्ठतम कार्यकर्त्ताओं का प्रत्यावर्तन कर इन 75 स0वि0भा0 (कृषि) की पदोन्नति न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जिन 75 स0वि0 अधि0 (कृषि) का ज्येष्ठता निर्धारण 1984 में किया गया था उनसे कनिष्ठ 344 कर्मचारी वर्ग-1 में कार्य कर रहे हैं क्योंकि वर्ग-1 में उनकी

प्रोन्नति 1980 एवं 1981 में हुयी थी और उन्हें प्रत्यावर्तित करना उचित नहीं समझा गया । जैसे-जैसे वर्ग–1 में रिक्तियां होती है, उनको पदोन्नत किया जा रहा है । 75 में से 7 कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हो जाने के कारण तथा अन्य 10 ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नत किये जा चुके है । 58 कर्मचारी शेष रह गये हैं । जिनकी पदोन्नति पर पद उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण तत्कालीन उप कृषि निदेशक के विरुद्ध जांच

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सागर–

68––क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग का ऐसा कौन सा अधिकारी है । जिससे जिला कृषि अधिकारी सहारनपुर सहायक परियोजना अधिकारी, आलीगढ़ जिला कृषि अधिकारी मेरठ, उप कृषि निदेशक फैजाबाद तथा संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) के पदों पर रहते हुए अपने अधीनस्थों/सहयोगियों से मार पीट हुई थी? यदि हां, तो सरकारी आचरणों के विरुद्ध इनके इस बरतावे पर इनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह––

प्रनशगत अधिकारी (श्री हरिकृष्ण) जब उप कृषि निदेशक फैजाबाद मण्डल में कार्यरत के, तब 1979 में श्री राम समुझ यादव मिनिस्टीरियल कर्मचारी महासंघ जिला कलक्ट्रेट बहराइच का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके विरुद्ध मारपीट की भी शिकायत का एक बिन्दु था । इस मामले में श्री हरिकृष्ण तथा तत्कालीन परियोजना अधिकारी (कृषि) गोण्डा के विरुद्ध मार्च 1979 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 500 के अन्तर्गत सी0जी0एम0के न्यायालय तथा सेशन न्यायालय में मुकदमा तत्कालीन लेखाकार कार्यालय परियोजना अधिकारी (कृषि) गोण्डा द्वारा दायर किया गया था जो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरुद्ध दायर अपील भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी । इस बिन्दु पर विभाग द्वारा भी जांच कराई जा रही है । श्री हरिकृष्ण के अन्य पदों पर कार्यकाल में मारपीट की शिकायत नहीं है ।

बी0 एच0 सी0 धूल की बिक्री बन्द करने के आदेश

69––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के कृषि रक्षा अधिकारी ने दिनांक 29 अक्टूबर, 85 को कीटनाशक लाइसेंस धारकों को अपने आदेशित पत्र द्वारा 5 प्रतिशत बी0 एच0 सी0 धूल की बिक्री तुरन्त बन्द करने को आदेश दिये है ? यदि हां, तो कीटनाशक लाइसेंस धारकों के यहां 5 प्रतिशत की बी0 एच0 सी0 धूल बचे स्टाक का क्या किया जायेगा ?

क्या शासन अपव्यय बचाने हेतु इस धूल बचे स्टाक को तुरन्त वापस लेकर कीटनाशक लाइसेन्स धारकों को भुगतान देगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह––

जी हां ।

3 फर्मों में से 2 के पास कोई स्टाक नही था केवल सर्वश्री गंगा प्रसाद, रामफल अतरा बांदा के पास 21 कुन्तल उपलब्ध था जिस उन्होंने 30–11–85 तक बच दिया और शून्य स्टाक की रिपोर्ट कृषि रक्षा अधिकारी को दे दी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि रक्षा अधिकारी बस्ती का पद रिक्त होने से अधिकारों का उपयोग व नियमों का उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

70––श्री सुखपाल पाण्डे––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 85 तक कृषि रक्षा अधिकारी बस्ती कार्यालय से बाहर अवकाश पर थे, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक को कृषि रक्षाधिकरी के कार्यों का सम्पादन करना चाहिये ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजमणि वर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा 1 जुलाई

से 31 जुलाई, 85 तक कृषि रक्षा अधिकारी के अधिकारों का उपयोग किया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कौन-कौन सा कार्य कृषि रक्षाधिकारी के अधिकारों का उपयोग तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त अवधि में किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कृषि रक्षा अधिकारी बस्ती का पद रिक्त होने के कारण इस पद का कार्यभार श्री गंगा प्रसाद विषयवस्तु विशेषज्ञ, बस्ती को सौंपा गया था । श्री गंगा प्रसाद 1-7-85 से 26-7-85 तक अवकाश पर रहे । श्री गंगा प्रसाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-6-85 के अन्तर्गत श्री राजमणि वर्मा स्थापना सहायक को पे रोल देने, दिन प्रतिदिन की डाक देखने तथा कम्पलाएंस कराने के निर्देश दिये गये थे । परन्तु श्री वर्मा ने अधिकृत रुप से श्री मुसाफिर, श्री उमेश नाथ चौबे सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) को जनपद के बाहर जाने के लिये कार्यमुक्त किया ।

श्री अलखराज प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) की कृषि रक्षा इकाई नाथ नगर पर तनाती की तथा परमहंस प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया । संबंधित वरिष्ठ लिपिक श्री यादव तथा तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी को निलम्बित कर जांच करायी जा रही है ।

[12 बजकर 10 मिनट]

मेरठ में छीपी टैंक पर बसन्त ग्लास उद्योग से खतरा होने तथा उसे बन्द कराने की मांग के संबंन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 301 में 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें से स्वीकार हुई है सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा, अशोक बाजपेयी, दुर्गाप्रसाद यादव, कौशिक रमाशंकर, राम सागर, महेन्द्र सिंह, भाटी व अवनीश कुमार सिंह की सूचनाएं ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा--

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, मेरठ में छीपी टैंक पर बसन्त ग्लास उद्योग है, यह उद्योग सट, थामस हायर सेकेन्डरी स्कूल से सटा है बसन्त ग्लास उद्योग बिना लाइसेंस के कार्य कर रहा है । इस उद्योग में विस्फोटक पदार्थ व गैस के सिलन्डरों का प्रयोग होता है। किसी भी समय विस्फोट होने का खतरा रहता है, हजारों बच्चे सेंट थामस स्कूल में पढ़ते हैं । आवासीय आबादी में उद्योग अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा है छात्रों के अभिभावकों व छीपी टैंक के आस-पास रहने वाले संभ्रान्त नागरिकों ने जिलाधीश मेरठ व मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक वर्ष में कई बार इस उद्योग को बन्द कराने की प्रार्थना की है जांच भी हुई है लेकिन उक्त उद्योग को बन्द कराने की कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है ।

अतः किसी भी गम्भीर घटना को रोकने के लिये अविलम्ब बसन्त ग्लास उद्योग को बन्द करना जनहित में है सरकार से मैं आशा करता हूं कि इस ओर तुरन्त कदम उठाये और जनजीवन की रक्षा करे

राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में एम0 एस0 सी0, एम0 काम0 तथा बी0 एड0 की कक्षाएं खोले जाने की मांग के संबंन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी राजकीय, महाविद्यालय, हरदोई में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनपद के नवयुवक एवं छात्र निरन्तर मांग करते रहे है कि इस महाविद्यालय में एम0 एस-सी0 और एम0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काम0 तक की कक्षाओं की व्यवस्था करायी जाय। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी तथा यह विद्यालय प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अपना विशेष महत्व रखता है। पूरे जनपद में एम0 एस-सी0 और एम0काम0 की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था है। पूरे जनपद की जनता की निरन्तर यह इच्छा रही है कि शिक्षा क्षेत्र जगत में पिछड़े जनपद हरदोई की मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जाये परन्तु आन्दोलन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जनपद का नौजवान आन्दोलन की चेतावनी दे चुका है। यदि इस दिशा में शीघ्र ही कोई प्रभावी कदम न उठाया गया तो यह छात्र आन्दोलन जन आन्दोलन का रुप ले लेगा तथा पूरे जनपद का जनजीवी अस्त व्यस्त होने की सम्भावना है। शासन यदि समय रहते समुचित ध्यान दे तथा आगामी शिक्षा सत्र तक एम0 एस-सी0, एम0 काम तथा बी0 एड0 की कक्षायें खुलवाने की व्यवस्था करे तो इस जन असन्तोष को रोक जा सकता है।

अतः लोक महत्व के इस तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय परसदन का ध्यान आकर्षित कर सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

राजकीय संयुक्त महिला एवं पुरुष चिकित्सालय, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करना चाहता हूं। आजमगढ़ जनपद मुख्यालय पर स्थित एक मात्र राजकीय संयुक्त महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निकम्मी प्रशासकीय व्यवस्था के कारण जन-सुलभ जीवनोपयोगी दवायें ही नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बल्कि अस्पताल के अन्दर मरीजों के लिये गद्दा चारपाइयां, चद्दरें, कम्बल आदि भी उपलब्ध नहीं है। यदि थोड़ी बहुत है भी तो टूटी फूटी हालत में हैं और टी0 वी0 क्लीनिक की सभी दवाएं बेच दी जाती है। दवा और डाक्टर मरीजों को भाग्य से ही मिल पाते हैं। यदि डाक्टर कभी मिल भी जाते है तो बिना पैसा लिये देखना नहीं चाहते हैं। एक्सरे मशीन खराब एवं पुरानी होने के कारण गरीब मरीजों को बाहर से एक्सरे कराना पड़ता है। सम्पूर्ण अस्पताल में गन्दगी का साम्राज्य है। प्रायः अस्पताल के भीतर मामूली पट्टी के लिये भी गरीबों को बाहर से ही खरीदना पड़ता है। सम्पूर्ण जनपद की जनता में उपरोक्त दुर्व्यवस्था के कारण असंतोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके जनहित में अविलम्ब जनता की कठिनाईयों को दूर करे ताकि जनता को राहत मिल सके।

ग्राम दारानगर, तहसील हसनपुर, मुरादाबाद में गंगा की बाढ़ से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं जनपद मुरादाबाद तहसील हसनपुर के ग्राम दारानगर (मुरादपुर) को गंगा बाढ़ के बाद पुर्नवासित न किये जाने से उत्पन्न भयावह स्थिति को संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, बाढ़ पीड़ितों के पुर्नवासन की सरकारी घोषणाओं के बावजूद मुरादाबाद जनपद की तहसील हसनपुर के ग्राम दारानगर (मुरादपुर) के निवासियों को अभी तक न तो कही बसाने की भूमि प्रदान की गयी है, और न ही उन्हें कृषि योग्य भूमि देकर आजीविका का साधन प्रदान किया गया है। उक्त ग्राम गंगा की धार और गंगा पर बने बांध के बीच में आ गया है, गंगा में आई गत बरसात की

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाढ़ से कृषि योग्य भूमि गंगा में विलीन हो गयी है। रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस पूरे गांवकी दुर्दशा की ओर आकर्षित करतें हुए इस गांव के तैंतीस परिवारों को हसनपुर तहसील के किसी भी गांव में कृषि योग्य भूमि देने तथा आवासीय भूमि प्रदान करने की मांग करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, यह सब 301 के लायक नहीं है। 307 के लायक हैं।

श्री किरन पाल सिंह ---

आप देखते नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सब देखता हूं।

राम सनेही घाट, बाराबंकी में की जा रही चक बन्दी में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर---

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान वर्तमान समय में जनपदबाराबंकी तहसील रामसनेही घाट में सम्पन्नकरायी जा रही चकबन्दी में हो रही व्यापकगड़बड़ियों की ओर दिलाना चाहता हूं। चकबन्दी विभाग द्वारा मालियत को घटाने बढ़ाने छोटे छोटे काश्तकारों को दो या दो से अधिक चकबनाने तथा कृषकों को उनके मूल चक पर खेती न देने तथा सार्वजनिक हितों में चकरोड आबादी सुरक्षित न करने जैसी विषमताओं को लेकर किसानों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है चकबन्दी विभाग के अधिकारियों द्वाराकिसानों की समस्याओं को न सुन कर किसानों को लूटा जा रहा है। तहसील के ग्राम सभा अहमद पुर देवकली के किसानों में जिलाधिकारी के मुख्यालय परप्रदर्शन भी किया था जिसकी जांच में अधिकारी दोषी पाये गये और कहा गया था किसंबंधित गांवमें दुबारा चकबन्दी करायी जायेगी। किन्तु किन्हीं समस्याओं का निराकरणनहीं किया गया इसी प्रकारग्राम सभा कौटवा सिपहिया में जिनपचासों हरिजनों को दस साल पूर्व पट्टे की जमीनदी गयी थी और जिन पर किसानों का कब्जा है उन्हें भी भूमि से बेदखल करने की कोशिश चकबन्दी विभाग द्वारा की जा रही है। ऐसी ही तमाम चकबन्दी विभाग की गड़बड़ियों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न कोसदन के संज्ञान में लाकर मानक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत तहसीलरामसनेहीघाट में चकबन्दी का कार्य सम्पन्न कराये जाने की मांग तथा बिसंगतियों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्धकार्यवाही करने की मांग करता हूं।

गाजियाबाद के क्षेत्र में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारण के प्रश्न पर विवाद के संबंध मेंनियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी---

मान्यवर, सम्मानित सदन के संज्ञान में एकमहत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

मान्यवर, चिर विवादग्रस्त हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण में "दीक्षितअवार्ड" के अन्तर्गतकुछगांव जैसे बसन्तपुर, मंगरौला, नगली सागरपुर नगली बलरामपुर किडावली एवं याकूतपुर 17 दिसम्बर, 1983 के शासनादेश 2374/77 के अनुसार उत्तर प्रदेश की तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में दे दिये गये हैं।

मान्यवर, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन हो चुका है ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ है।वहजमींदारी पद्धति अभी भी लागूहै। दोनों प्रदेशों की विधि में भिन्नता है। पहले भी और अब भी दोनों पक्षों में स्वामित्व के बारे में तनाव बना रहता है। गोलियां चलती हैं। अपहरण होते रहते है, खड़ी फसल की चोरी होती रहती हैं। सभी जनता में भय व आक्रोश का वातावरण व्याप्त।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश के गांवों में स्थायी स्वामित्व की समस्या का हल केवल तभी संभव है जब इन गांवों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत तुरन्त ले लिया जाय। तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में चकबन्दी हो रही है। कृपया समस्त स्वामित्व संबंधी समस्याओं क हल कर दिया जावे।

जनपद बदायूं में मिट्टी के तेल के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह--

मान्यवर, हमें आपके माध्यम से एक अति आवश्यक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बदायूं के नगरीया तथा ग्रामीण अंचलों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार क कारण नियंत्रित मूल्य की चीनी मिट्टी का तल तथा पाम आयल जैसे दैनिक वस्तुओं की भारी किल्लत पैदा हो गयी है तब इन वस्तुओं की खुले आम चोर बाजारी चल रहीहै, नगरीय क्षेत्र में जनता को मजबूर होकर ये चीजे ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को चीनी व मिट्टी का तल बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा दुकानदारों की बिक्री कोई पड़ताल नियमित रुप से नहीं करायी जा रही है, दुकानों पर इन वस्तुओं की पहुंच तथा वितरण सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं है। मैं आपके माध्यमसे शासन से मांग करता हूं कि जनपद बदायूं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रुप कराने के लिये जिला प्रशासन को कठोर निर्देश दिये जायं जिससे कि जनता को चीनी मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध हो सके।

नियम 301 की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं नियम 301 के अन्तर्गत 12 दिनों से बराबर एक सूचना दे रहा हूं कि 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। लगातार इसे मैं दे रहा हूं, ग्राह्यता को नहीं देखा जा रहा है, केवल नामों पर स्वीकार किया जा रहा है, इसलिये मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

एक सदस्य--

मान्यवर, ईश्वर शरण विद्यार्थी क इस गम्भीर मामले को अवश्य सुनिये और इसकी जांच कराइए।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है नियम 301 के अन्तर्गत है, जो कई दिनों से दे रहा हूं कि झांसी में सार्वजनिक नलों को अकारण कटवा दिया गया है, जिससे जनता को बड़ी असुविधा हो रही है। क्या यह आपके संज्ञान में अभी नहीं आयी है? इस सिलसिले का मैंने नियम 301 में नोटिस दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं। मेरी भी कुछ मजबूरी है, आज 301 में 30 सूचनाएं प्राप्त हुयी जिसमें से केवल 7 छांटनी हैं, इसलिये यह परेशानी होती है। आप अपनी सूचना को बराबर देते रहिए। आज नहीं तो कल आ ही जायेगी।

दिनांक 3-3-86 को उठाए गए "रामायण" के संबंध में औचित्य के प्रश्न पर शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकटा प्रसाद शास्त्री द्वारा कथित टिप्पणी का खण्डन किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं आयी है औरउनमें से ऐसी कोई नहीं है, केवल मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जरा ऐसी है, जिस सुना जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैने नियम 300 के अन्तर्गत पिछली 3 तारीख को एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि माननीय सदस्य श्री संकठा प्रसाद शास्त्री ने संविधान के तहत जो यहां शपथ ग्रहण की थी वह विघटित हो गयी ह, इसलिये सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु यहां आ सकते है या नहीं ? इस पर मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी थी। वह व्यवस्था मान्यवर, हम लोगों को शिरोधार्य है, उस पर कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह व्यवस्था आपने दी है कि माननीय संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने उन आरोपों से इन्कार कर दिया है, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिये मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को तो चुनौती दे नहीं रहा हूं लेकिन उस दिन की कार्यवाही है, उसे यदि आप देखें, वसे मान्यवर, मैं मानता हूं कि आपका जीवन भी एक आदर्श और धर्म-निरपेक्ष का है। लेकिन मान्यवर, मैं कहना यह चाह रहा था कि उस दिन की कार्यवाही में मा0 संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने अपने आरोपों के प्रति स्पष्टीकरण तो नहीं दिया था, उन्होंने जो कहा है, वह इसमें लिखा है, मैं पढ़े देता हूं "जहां पर धर्म के प्रति आस्था का सवाल है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो हमारी है" उसके आगे मेरा देखे। "यह कांग्रेस पार्टी इसमें कहां से आ गयी मैने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को मैने लांच्छित नहीं किया। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें। रामायण के प्रति इन्होंने अपशब्द कहा है। इससे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है और एक व्यक्ति ने आत्मदाह की धमकी दी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस पर पुन: विचार कर लें।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

मान्यवर यह जो कहा जा रहा है कि मैंने 'रामायण' के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया है या ऐसा कोई अपमानजनक शब्द कहा है, वह बिल्कुल गलत है, निराधार है। मैं मान्यवर, ऐसा कह ही नहीं सकता हूं। मैंने नहीं कहा। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। यह मान्यवर, कुछ लोगों का षड़यंत्र है। उस षडयंत्र के साथ इसको राजनैतिक षडयंत्र बना रहे हैं।

*श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, जिस अखबार ने यह बात छापी है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। माननीय संकठा प्रसाद शास्त्री ने ऐसा कहा ही नहीं कि यह "रामायण" ग्रन्थ वाहियात है। मान्यवर, इनका कहना हैकि न मैने कहा है और न कह ही सकता हूं। इसलिये मान्यवर, उस अखबार के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सूचना दे दीजिएगा तब विचार हो जायगा।

12 जुलाई, 1985 के अता0 प्र0 संख्या 13 तथा उसी विषय पर 28 फरवरी, 1986 के तारांकित प्रश्न 3 के संदर्भ में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में विरोधाभास होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश-

मान्यवर, श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश ने विधान सभा के तृतीय सत्र 1985 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री सरदार सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री सरदार सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में तथ्यों को छिपा कर असत्यता एवं अनैतिकता उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण संविधान के अन्तर्गत उनके द्वारा ली गयी सत्य एवं निष्ठा की शपथ का उल्लंघन हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सरदार सिंह ने प्रश्न किया था कि "क्या सरकार कोयह जानकारी है कि प्रदेश की सिविल सेवा के लिये परीक्षा के पूर्व की कोचिंग कक्षाओं के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संख्या प्रदेश की समर्थता के मुकाबले बहुत कम रहती है ? यदि हां, तो इस कमी का क्या कारण है ? वर्ष 1980 से अब तक (वर्ष वाइज) प्रवेशित समर्थता व प्रवेशित संख्या बताते हुए उन पर वर्ष वाइज किया गया व्यय व परीक्षाओं में बैठे छात्रों की संख्या तथा अन्ततः राज्य सेवा में चुने गये अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? "

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी हां," इसका कारण यह है कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिये पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं ।मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक तालिका भी प्रस्तुत किया था । मान्यवर, वर्ष 1980-81 में प्रवेश क्षमता 50, प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या 30, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या शून्य है । माननीय मंत्री जी ने अपनी तालिका में 1980-81 से 1985-86 तक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या शून्य दिखाया है ।

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी, 1986 को श्री सरदारसिंह जी ने तारांकित प्रश्न किया था "क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री की जानकारी में है कि प्रतिवर्ष लाखों रुपया व्यय करने के बावजूद भी वर्ष 1979 से प्रति वर्ष राज्य सिविल सेवा हेतु पूर्व कोचिंग प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का शून्य रहता चला आ रहा है और जिसके कारण प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या भी प्रवेश क्षमता से कम रहती है ? यदि हां, तो क्या शासन राजनीति कोचिंग केन्द्रों को समाप्त करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

इसके उत्तर में कहा गया कि "जी नहीं । वर्ष 81 में एक प्रशिक्षार्थी प्रान्तीय पुलिस सेवा में तथा 1984 में एक प्रशिक्षार्थी पी0 सी0 एस0 (एलाइड) में चयनित हुआ । प्रदेश के लिए पर्याप्त संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं । जी नहीं । कोचिंग व्यवस्थी से परीक्षार्थियों को बराबर लाभ मिलता रहा है । प्रश्न नहीं उठता है । प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हो रहे है ।"

माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के दोनों उत्तरों से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास है । पहले उत्तर में कहा गया कि 1980 से 1985 तक एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ, जबकि दूसरे प्रश्नोत्तर में स्पष्ट लिखा गया है कि 1981 में एक प्रशिक्षार्थी प्रान्तीय पुलिस सेवा में, एक प्रशिक्षार्थी 1981 में पी0 सी0 एस0 (एलाइड) में चयनित हुआ ।

दोनों उत्तरों में 1981 एवं 1984 की परीक्षा में बताया गया जो एक दूसरे के विपरीत है और यह शंका प्रकट करते है कि कौन सा उत्तर सत्य है? पहला या दूसरा । जबकि माननीय मंत्री जी के दोनों उत्तरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष----

इसे छोड़ दीजिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश----

1981 में एक प्रशिक्षार्थी चुना गया और 1984 में एक प्रशिक्षार्थी पी0 सी0 एस0 का चयन किया गया । इसके अतिरिक्त एक भी प्रशिक्षार्थी का चयन नही किया गया है । मान्यवर, यहां पर जो भी सदस्य शपथ लेते हैं वह सत्यनिष्ठा की शपथ लेते है लेकिन माननीया मंत्री जी ने एक ही तथ्य के बारे में दो अलग-अलग उत्तर दिये है और इसमें विरोधाभास है । एक मंत्री ने यह असत्य नहीं बोला, यह पूरे मंत्रि परिषद् की जिम्मेदारी होती है यानी पूरी सरकार सदन में असत्य बोल रही है । इस तरह से जो संविधान की सत्यनिष्ठा है उसका हनन हो रहा है । यह एक संवैधानिक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको अब छोड़ दीजिये। अब ऐसा है कि इस समय मंत्री तो कोई जवाब नहीं दे पायेंगे और न मैं जवाब दिला रहा हूं। मैं इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस प्रकार से संविधान का उल्लंघन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह मुख्य मंत्री की सुरक्षा का प्रश्न है, आप इसको न उठाइये। यह नियमावली की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है मैं इसको अस्वीकार करता हूं। एक सूचना है यदुनाथ सिंह जी की, इसको मैं अस्वीकार करता हूं और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कोई 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इनको अस्वीकार करता हूं।

श्री शारदा प्रताप--

उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, बड़ा गम्भीर मामला है। अभी हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने एक पत्र फेंका राम सरन जी की तरफ और वह कागज बेल में रह गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस कागज को उठा लिया और जेब में रख लिया। मान्यवर, वह सदन की सम्पत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, कल को अगर किसी की जेब से नोट गिरेगा तो वह भी सदन की सम्पत्ति बन जायेगा? नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

उस पत्र को कम से कम माननीय सदस्य को तो दिखा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, कोई पत्र नहीं है, वह उनका कोई कागज था।

जनपद बलिया में 400 शैय्या युक्त एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के संबंध में याचिका†

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बलिया में 400 शैय्या युक्त एलोपैथिक हास्पिटल खोलने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री रविन्द्र नाथ ओझा, निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने व्यर्थ में ही सदन का समय नष्ट किया। मैं तो इनको बता चुका हूं कि 1987-88 में बलिया जनपद में 300 शैय्याओं के जिला चिकित्सालय का नव-निर्माण विचाराधीन है।

राजकीय बालिका विद्यालय, पिहानी जिला हरदोई के भवन निर्माण कराये जाने के संबन्ध में याचिका†

श्री अशोक बाजपेयी--

मैं आपकी अनुमति से राजकीय बालिका विद्यालय पिहानी, जिला हरदोई के भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, निवासी जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

फिरोजाबाद को जिला बनाए जाने के संबन्ध में याचिका†

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं आपकी आज्ञा से फिरोजाबाद को जिला बनाने विषयक श्री प्रेमचन्द्र उपाध्याय तथा अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिए जाने की मांग

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर)

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मद संख्या 7 का क्या होगा। जो सूचनायें हम लोगों ने विशेषाधिकार की दी है, उसके सम्बन्धमें आपने कहा था, ले लेंगे, लेकिन हमेशा मैं देख रहा हूं कि जब विशेषाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न आता है तो पीठ उसको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। मेरा निवेदन है जो विशेषाधिकार की गरिमा है, उसको बनाये रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने कहा था कक्ष में बैठकर बात हो जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं आपके कक्ष में गया था हुकुम सिंह आपकी बात न माने तो मैं क्या करूं, अगर मैं उनके खिलाफ दूसरा विशेषाधिकार दे दूं तो ?

श्री उपाध्यक्ष--

पालन कर रहे हैं, कभी हम व्यस्त रहते हैं कभी आप व्यस्त रहते हैं, कभी वह व्यस्त रहते हैं, तीनों व्यस्त रहते हैं। बात हो जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह 7वीं बार हो रहा है।

बलिया जनपद के ग्राम जैतपुरा में हुए हरिजनों की हत्या के संबंध में वक्तव्य

गृह एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

प्राप्त सूचनानुसार श्री दिनेश राम, पुत्र पेवारु राम हरिजन, निवासी ग्राम .....

एक सदस्य--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

[चकरसूल उर्फ जैतपुरा, थाना गड़वार, जिला बलिया ने दिनांक 6-12-85 को प्रात: 8.30 बजे थाना गड़वार में यह सूचना दी कि उस दिन लगभग 7.30 बजे प्रात: उनका भाई राजदेव राम अपने दरवाजे पर अपने बांस की खूटी से पत्ती तोड़ रहा था कि उनके गांव के सरजू सिंह, पुत्र सकल सिंह, बन्दूक, केशव सिंह, पुत्र वाली सिंह, भाला, छोटेलाल सिंह, पुत्र केशव सिंह, लाठी, ओम प्रकाश सिंह पुत्र केशव सिंह, फरसा, परशुराम सिंह, पुत्र लछिराम सिंह, लाठी, लछिराम सिंह, पुत्र राम सकल सिंह, फरसा, रामजी सिंह, पुत्र चन्द्रदेव सिंह, लाठी, चन्द्रदेव सिंह, पुत्र अज्ञात, लाठी, कमल यादव, पुत्र रघुवर यादव, लाठी, दयाराम यादव, पुत्र रामप्रीति यादव, लाठी तथा हरेराम पुत्र कमल यादव, लाठी लेकर एक राय होकर गाली देते आये और मारने पीटने लगे। श्री दिनेश राम के पिता पेवारू राम और मंगर राम, घूराराम, मुन्नी लाल राम, सुरेन्द्र राम, पूर्णवासी राम, राजदेव राम और दिनेश राम की मां श्रीमती मतीसरी और श्रीमती सुखिया बचाने दौड़ी कि सरजू सिंह बन्दूक से फायर करने लगे और शेष लोग लाठी भाला से मारने लगे जिससे मंगर राम, घूरा राम तथा पेवारू राम की वहीं मृत्यु हो गई तथा बाकी लोगों को चोटें आई। इस सूचना के आधार पर थाना गड़वार पर एक अभियोग अपराध संख्या 352/85 के अन्तर्गत धारा 147/148/499/324 307/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

घटना की सूचना मिलने पर/जिलाधिकारी, बलिया व पुलिस अधीक्षक, बलिया अन्य अधिकारियों के साथ घटना-स्थल पर गए। घायलों के उपचार हेतु जिला अस्पताल बलिया भेजा गया जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से मुक्त कर दिया गया। एक हरिजन राजदेव की अस्पताल में मत्यु हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गई है। घटना के तुरन्त बाद अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई, फलस्वरूप घटना

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में सम्मिलित 11 अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। विवेचनोपरान्त प्रश्नगत अभियोग में दिनांक 14-12-85 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। यह घटना भूमि विवाद के कारण घटित हुई है। घटना के दिन ही जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक मृतक के आश्रितों को एक-एक हजार व प्रत्येक घायल को पांच-पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। अब तक प्रत्येक मृतक के परिवार को ग्यारह-ग्यारह हजार रुपया, गंभीर रूप से घायलों को पन्द्रह सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। मृतक परिवारों के अवयस्क बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक मेन्टेनेन्स भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही साथ मृतक की विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकार की गई। मृतक व्यक्तियों के परिवार के पात्र आश्रित व्यक्तियों को अर्हतानुरूप नौकरी दिलाने की कार्यवाही की जा रही है पीड़ित परिवार के सदस्यों को एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत भी लाभान्वित किया गया है। हरिजनों की वर्तमान आबादी के समीप भूमि अधिग्रहण करके हरिजनों को बसाने की कार्यवाही भी की जा रही है हरिजन बस्तियों को आपस में तथा मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का निर्माण किया जा चुका है।

यह सत्य है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में राजनैतिक लाभ उठाने के लिये कुछ लोगों ने एकत्रित होकर तथाकथित सवर्ण कल्याण समिति के नाम से बैठकें की। इस समिति की कार्यवाही शासन द्वारा हरिजनों को दी गई राहत तथा पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही पर प्रतिक्रिया थी। यह कहना उचित नहीं है कि इस समिति के गठन में जनपद की पुलिस सहयोग दे रही है। इस समिति के गठन की प्रारम्भिक सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। यह भी कहना सही नहीं है कि उक्त हत्याकाण्ड योजनाबद्ध तरीके से हुई बल्कि यह घटना भमि संबंधी विवाद के कारण हुई। इस घटना के कारण जनपद के हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के लोगों में किसी प्रकार की असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त नहीं है। सम्प्रति स्थिति पूर्णतया सामान्य है।]

श्री राम सागर--

मैं माननीय गृह राज्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि घटना के बाद ग्राम जैतपुरा के हरिजनों ने अपनी सुरक्षा के लिये बन्दूक के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनको लाइसेन्स जारी किया गया या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है। घटना से लेकर आज तक वहां पी0 ए0 सी0 लगी है। लाइसेन्स दिया गया या नहीं, यह मेरे संज्ञान में नहीं है।

श्री राम सागर--

सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन जब पी0 ए0 सी0 हट जायेगी तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी ? बन्दूक के लाइसेन्स के लिये उन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं जानना चाहता हू कि लाइसेन्स जारी किये गये या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

लाइसेन्स दिये जायेंगे, न देने की कोई बात नहीं है। दिये कि नहीं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि लाईसेन्स दे दिये जायेंगे।

श्री राम सागर--

हम लोगों की बात डी0 एम0 और एस0 पी0 से हुई थी, उन्होंने कहा था कि लाइसेन्स जारी कर दिये जायेंगे। अभी तक लाइसेन्स जारी नहीं किया गया, इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार हरिजनों की सुरक्षा नहीं करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष--

सुरक्षा का इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

पात्र व्यक्तियों को लइासेन्स दे दिये जायेंगे ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है सूरक्षा चारों तरफ से पुलिस की की गई है । मेरी निश्चित जानकारी है और मेरा निश्चित मत है कि जैतपुरा काण्ड को तूल देने का काम पुलिस ने किया है । दो वर्ग के सब-इन्स्पेक्टर को रखकर, दो वर्गों में विवाद कराने में पुलिस ने अहम भूमिका निभायी है और मान्यवर, यही नहीं घटना होने के बाद जब मा0 मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम वहां जाने का हुआ तो उसी समय पुलिस अधीक्षक ने स्वयं अपनी ओर से ऐसी कार्यवाही की जिसमें मुल्जिमों का घर लूटा और उसके बाद हरिजनों पर आतंक किया । नतीजा यह हुआ कि वहां दो ग्रुप हो गये और जगह-जगह मीटिंगें शुरू हो गयीं । हरिजन लोग अलग मीटिंग करने लगे और सवर्ण लोग अलग मीटिंग करने लगे । पुलिस के कारण दोनों वर्गों में नफरत की बात पैदा हुई । इस बात को मा0मंत्री जी अपने वक्तव्य में छिपा गये । तो क्या मा0 मंत्रीजी इस घटना की गुप्तचर जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि 6 तारीख को घटना हुई और 14 तारीख को चार्जशीट लगाई गई और यह तथ्य कि पुलिस का एस0 पी0 या अन्य कोई अधिकारी अन्तर्जातीय युद्ध कराना चाहता है, यह सत्य से बहुत परे है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जैतपुरा गांव में जो यह घटना शर्मनाक हुई थी । नहीं होनी चाहिये थी । मा0 मुख्य मंत्री जी घटना का स्वयं निरीक्षण करने गये थे । मैं आपके माध्यम से मा0 गृह मंत्री से दो बातें जानना चाहता हूं । एक यह कि बक्तव्य में जिस भूमि के लिये विवाद होना लिखा है कि घटना हुई मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी भूमि पर विवाद हुआ था और क्या इस पर कोर्ट में स्टे लिया गया था ? दूसरी बात यह कि इन दोनों वर्गों में जो विवाद चल रहा था तो किस पक्ष ने थाने में जाकर पहले सुरक्षा की मांग की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, स्टे था और दूसरी बात रिपोर्ट लिखाने के लिये पहले मृतक की ओर से दिनेश राम गया और लोग नहीं गये ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैंने दो सवाल पूछे थे । पहला यह कि जिस भूमि पर विवाद था, क्या न्यायालय ने उस पर स्थगनादेश जारी किया था तथा दूसरे यह कि इस घटना के पूर्व साल भर के अन्दर दोनों पक्षों में से किसी ने पुलिस की मांग की थी या रिपोर्ट की थी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, स्थगनादेश था । दूसरे साल भर के भीतर 107/116 का मामला चल रहा था और कुछ दिन पहले ही खतम हुआ था ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के आधार पर जानना चाहता हूं कि शासन की क्या नीति है असलहा जारी करने की ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री बलराम यादव

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस बांस की पत्ती तोड़ते समय हरिजन मारे गये क्या उसी जमीन को लेकर कोई मुकदमा अदालत में विचाराधीन है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां, वही मामला विचाराधीन है । उसी विवादित भूमि का मामला है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या यह सही है कि घटना के बारे में घटना स्थल पर स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी गये थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया

था ? यदि हां, तो मा0 मुख्य मंत्री जी के वहां पहुंचने पर उस गांव में घटना का क्या विवरण उनके सामने आया और उसके आधार पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, जिस समय घटना घटी तुरन्त मैं उस गांव में पहुंचा और वहां के हालात को देखकर के जो भी सहायता हो सकती थी सहायता दी गयी। जो भी सरकार को करना चाहिये था किया। हर तरह से प्रयास किया गया है भविष्य में इस तरह की घटना न घटने पाये। मान्यवर, वह जो घटना घटी थी आपसी जमीन के विवाद को लेकर के हुई थी। इस तरह के विवाद बहुत जगह पर आये दिन आते रहते हैं। अभी हमने एक आदेश भी दिये हैं उसके अन्तर्गत भूमि के विवाद और झगड़े हैं, उसे तय करने के लिये हमने अलग से व्यवस्था की है ताकि कम से कम विवाद रह जायें और इस तरह के झगड़े न रहने पायें।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैं मा0 गृह राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय घटना घटी, क्या गड़वार थाने में दोनों पक्षों की ओर से कोई अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज करायी गयी? यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ? मैं बताना चाहता हूं कि रेवन्यू विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि जो छूट की जमीन है वह कहां है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह छूट की जमीन वही थी जहां मार-पीट हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विवेचना का विषय है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने इधर से एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में शासन की नीति संबंधी घोषणा की कि उन सभी लोगों को असलहा उपलब्ध करा देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि पात्र लोगों को असलहा उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं स्पष्टीकरण यह चाहता हू कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसमें लोगों को असलहा उपलब्ध किये जाने की बात कहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि और कहीं हादसा होगा तो सुरक्षा की दृष्टि से इसी नीति का पालन करेंगे या इससे कोई भिन्न नीति अपनायी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो हमारे कमजोर वर्ग के हरिजन और दूसरे वीकर सेक्शन के लोग हैं, महिलायें हैं, उनको संरक्षण देना सरकार का सबसे जरूरी काम है। हमारी प्राथमिकता उनके लिये है, प्राथमिकता उनको देंगे। लेकिन और भी लोग जिनके साथ कोई अन्याय होगा सबके साथ एक सा व्यवहार होगा।

श्री मित्रसेन--

माननीय गुप्त जी ने असलहा के संबंध में अपनी बात रखी और माननीय सदस्यों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से घटना का विवरण और कार्यवाही का विवरण जानना चाहा, मुख्यमंत्री जी ने टाल मटोल कर के उत्तर दे दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी और क्या की गयी ? तथा क्या-क्या आदेश इस परिपेक्ष्य में जारी किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो ये लोग यहां पर सवाल कर रहे हैं, घटना होनेके बाद तो वहां पर पहुंचे नहीं। मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा। सरकार जितनी कर सकती थी, वह सरकार ने किया। जो-जो वहां पर कहा गया है, वही किया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक नीतिगत विषय है ।

(श्री राम सागर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम सागर जी मैंने श्री वर्मा जी को बुला लिया है, कृपया आप बठ जायें । बाद में आप प्रश्न पूछ लेना ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह मौके पर गये थे । क्या यह बात सही है कि चकबन्दी अधिकारियों ने गलत नक्शा बना दिया,जिससे इस भूमि का विवाद बढ़ गया, जिससे यह न मालूम पड़ सका कि हरिजनों के लिये जो आरक्षित भूमि थी, वह कहां पर है और कितनी है, जिसक कारण यह विवाद हुआ ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ताकि इस प्रकार के गलत आंकलन से इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न हो पायें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह मामला दीवानी न्यायालय में चल रहा है । इसमें किसी भी अधिकारी की कोई गलती नहीं है ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी हरिजनों को केवल पैसा देना ही मदद समझत हैं । 4 हरिजन लाइसेन्सी बन्दूक से मारे गये । उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिये बन्दूक के लाईसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था । इतनी बड़ी घटना हो गई और आप उनकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उन्हें आज तक लाइसेन्स क्यों नहीं दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है कि लाइसेन्स जरूर दिये जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, कह तो दिया कि जो पात्र व्यक्ति होंगे, उनको लाइसेन्स दिये जायेंगे फारमलिटीज पूरी हो रही होंगी ।

श्री हरदेव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जतपुरा में ग्राम समाज की जो भूमि है, उस पर हरिजन लोगों का घर है, उसमें वह बास करते है···

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री हरदेव--

ग्राम समाज की जो भूमि है जैतपुरा में और जिस पर हरिजन लोग निवास करत हैं, क्या उस जमीन को हरिजनों क नाम पर दज करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जनपद बलिया के जैतपुरा में हरिजनों और ठाकुरों में सघर्ष हुआ सम्पत्ति को लेकर । माननीय मुख्य मत्री जी न कहा कि सबसे पहले मैं वहां गया । म माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि जब कभी भी दो जातियों के बीच में झगड़ा होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी वहां सबसे पहले पहुंचगे या फिर दो खास जातियों में झगड़ा होगा तो कवल वहीं मुख्य मंत्री जी पहुंचेंगे, इसको वह बता दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । 1 से 5 तक की क्रमशः श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम सरन एवं श्री किरन पाल सिंह, श्री गौरीशंकर भइया, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा की सूचनाएं एटा में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में हैं, छठी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की बलिया में कैशियर की हत्या के सम्बन्ध में है ; सातवीं सूचना श्री अजुन सिंह एव श्री

चन्द्रसेन सिंह की तिलकधारी इण्टर कालेज, जौनपुर के छात्रसंघ क अध्यक्ष की हत्या के सम्बन्ध में है ; आठवीं सूचना श्री अफजाल अंसारी श्री इकबाल अहमद तथा काजी कलीमुररेहमान की जनपद गाजीपुर में हरिजन बस्ती में आग लगाये जाने के सम्बन्ध में है ; नवीं सूचना श्री राम नरेश की वाराणसी में सवर्णों द्वारा हरिजन की हत्या क सम्बन्ध में है ; दसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की उन्नाव जनपद में हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है ; ग्यारहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की मुख्य मंत्री सचिवालय क ठगी के शिकार होने से शासन की सुरक्षा व्यवस्था म दरार के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री शफीकुरहमान बक की धार्मिक जुलूसों पर पाबन्दी के संबंध में है ; तेरहवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की दूरदर्शन द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तथ्यों को तोड़े-मरोड़े जाने के सम्बन्ध में है ; चौदहवीं सूचना श्री बंगाली सिंह की अलीगढ़ के हाथरस कोतवाली के इन्सपक्टर द्वारा श्री लाइक सिंह की मूछें उखाड़ जाने के सम्बन्ध में है; पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी की हरियाणा–उ0 प्र0 सीमा विवाद के सम्बन्ध में है; सोलहवीं सूचना श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह की झांसी में नवयुवक की हत्या के संबंध में है; सत्रहवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जल-विवाद के सम्बन्ध में है; अठारहवीं सूचना श्री भोपाल सिंह की जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे में है। उन्नीसवीं सूचना श्री बलराम यादव एवं श्री राम सागर की प्रदेश के कई जिलों में लेवी सीमेन्ट की सप्लाई के बारे में है; बीसवीं सूचना श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री महराज सिंह तथा श्री गंया प्रसाद वर्मा की इटावा में लोकदल कार्यकर्त्ता की हत्या के बारे म है। इक्कीसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की मेरठ में हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में है; बाइसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सआदतगंज तकिया में दहेज हत्या के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री बदन सिंह को पुलिस के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध पी0ए0सी0 जवानों द्वारा विद्रोह के सम्बन्ध में है; चौबीसवीं सूचना श्री बाबूराम यादव को मैनपुरी में दवाओं के घपल क सम्बन्ध में है ; पच्चीसवीं सूचना श्री विष्णु देव की आजमगढ़ में घाघरा नदी क कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ; छब्बीसवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की कु0 कटोरी देवी, अध्यापिका द्वारा धरने के सम्बन्ध में है ; सत्ताइसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह एव श्री कनक सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर में बाल विकास परियोजना में घपले के सम्बन्ध में है ।

जिस तरीके से ये सूचनायें हैं, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज महत्वपूर्ण बजट है बिजली विभाग का, तो इस पर थोड़ा-थोड़ा दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं संक्षेप में कह देता हूं कि शासन की ओर से हमेशा घोषणा की जाती है कि निर्बल वर्ग को सुरक्षा दी जायेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में शासन की जो प्रशासनिक क्षमता है, उसका परिणाम है कि आज सर्वाधिक प्रदेश में असुरक्षित हो रहा है हरिजन और निर्बल वर्ग । घटना यह है कि 3/4 मार्च की रात्रि में ग्राम–मूड़ा, थाना-पटियाली, जिला एटा में एक पूरे हरिजन परिवार की सामूहिक हत्या कर दी गयी । एक हंसते खेलते परिवार को इस संसार से सदा-सदा के लिये बिदा कर दिया गया और उनके घर के जेवर बर्तन और कपड़े सब लूट ले गये । सबसे बड़ी गम्भीरता की बात जो है और यह हमारी जानकारी में भी है कि आज से 15 दिन पहले उस गांव के प्रधान ने एस0 पी0 को जाकर लिखित रूप से सूचना दी थी कि हमारे गांव में गुण्डों की और अपराधी तत्वों की बहुलता हो गयी है एक माह में जवार में दो डकैतियां यहां पड़ गयी और यह गांव असुरक्षित है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस गांव में कोई सुरक्षा की व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं की गयी। यह सरकार हरिजन विरोधी नीति की है। वहीं पास में लगा हुआ सादूपुर है जहां 1981 में कत्लेआम हो गया औरवहां के हरिजन आमरण अनशन कर रहे हैं मैनपुरी में। यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि सारे काम रोक कर मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह अत्यन्त ही अविलम्बनीय और लोकमहत्व का विषय है। हमारे प्रदेश के अन्दर जब हम रोज अखबार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी गांव का यह समाचार जरूर पढ़ने में आ जाती है कि फलां गांव में इतने लोग इतने हरिजन मारे गये या कत्ल कर दिये गये या हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया या हरिजनों की सामूहिक हत्या कर दी गयी। मान्यवर यह एटा की जो घटना है इसमें एक परिवार सोता हुआ गोलियों से भून दिया गया। आजकल एटा में अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये हैं और उनके रोकथाम का कोई प्रयास शासन नहीं कर रहा है। जबसे यह मुख्य मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गये हैं तब से हरिजनों पर एक के बाद एक अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं यह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। यह अत्यन्त लोकमहत्व का मामला है और इसकी बीस घंटे बाद एफ0 आई0आर0 हुई हैं लेकिन क्या मजाल कि अब तक कोई गिरफ्तारी हुये हो। इसीलिये मेरा निवेदन है कि आज सब काम को रोक कर आप इस पर चर्चा करा दें।

(श्री रघुवरदयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने तथा मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के खड़े होने पर)।

श्री रघुवर दयाल वर्मा

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं इसलिये मैं क्या कहूं? ठीक है वर्मा जी आप इन्हें बोल लेने दें उसके बाद आप बोल लीजियेगा।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, एक बार जब यहां हाउस में कोई बात कही जाती है तो माननीय सदस्य कहते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं। उसका जवाब मिले शायद इसीलिये कहते हैं। मान्यवर, एक परम्परा सी बन गयी है यह कहने की कि हरिजनों केसाथ अत्याचार हो रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि इस समय हरिजनों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और न होने पावेगा। अब जिनकी आपसी पट्टेदारी है और आपसी परिवार का झगड़ा है तो ऐसी घटनायें घटित होती रहती हैं लेकिन हरिजनों के खिलाफ कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा है। सरकार देख रही है कि हरिजनों के खिलाफ कोई अत्याचार न होने पावे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव---

मुझे लगता था कि माननीय नेता सदन स्वीकार कर लेंगे कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

(व्यवधान)

आज हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है और वे मर रहे हैं और आप लोग यहां बैठ कर हंस रहे हैं यह मान्यवर, आप भी देख लीजिये। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? मान्यवर, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार आंख में धूल कैसे झोंक रही है लगातार 1980 से लेकर आज तक सामूहिक हत्यायें हो रही हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी हत्यायें हरिजनों की सन् 80 से आज तक हुई हैं, उतनी कभी नहीं हुई है उसका कारण है और मेरा आरोप है कि यह सरकार सुनियोजित ढंग से हरिजनों की हत्यायें करा रही है, यह हत्यायें इसलिये हो रही हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है और जिन्होंने हत्यायें की हैं उन्हें इस प्रदेश के सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनका अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। मेरी मांग है कि सदन की एक कमेटी बनाइए और जांच कराइये। मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से कह रहा हूं कि उसको मैं साबित कर दूंगा इस प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े लोग हत्यायें करा रहे हैं चाहे कानपुर का रसवल कान्ड हो, या देहुली कान्ड हो और चाहे साढ़ूपुर कान्ड हो, इन सब में कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। एक बड़े उच्च नेता के लड़के ने देहुली कान्ड के हत्यारों को संरक्षण दिया था और उसने आत्म समर्पण करवाया था। आप जांच करा लो। 11 सदस्यों की कमेटी बना दो 7 आदमी अपने रख लो और 4 विरोधी ले लो और जांच करा लो और तय कर लो। हरिजनों की हत्याओं में सरकार का सबसे बड़ा हाथ है सरकार इससे बच नहीं सकती है। मैं कार्यवाही स्थगित करके चर्चा की मांग करता हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, तथ्यों से परे जाकर जो बात कही है नेता विरोधी दल ने मान्यवर, मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। तथ्य यह है कि जितने क्राइम, अपराध जितने कम हो रहे हैं उतने कम कभी नहीं हुए और इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि जितनी अमन चैन इस समय है ऐसी कभी नहीं थी। हरिजनों के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे इधर का हो या उधर का हो किसी पक्ष का हो छोटा हो या बड़ा हो जो भी अत्याचार करेगा उसके साथ किसी तरह की मुरौवत नहीं की जायेगी सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं इसकी जांच करा लूंगा और जो दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, उस पर एक निवेदन करना चाहता हूं। जेथरा एटा में हरिजन मारे गये और आज भी 3 हरिजनों का परिवार तबाह हुआ उनकी मौत हुई, बिस्तर पर पड़े गोली से भूनकर मार दिये गये और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हरिजनों के संरक्षण का इनके ऊपर जो भार है अगर उसका ठीक प्रकार से निर्वाह करते तो आज इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती। गयादीन के परिवार के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिये पहले ही पुलिस कप्तान को दरखास्त दिया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई अगर कार्यवाही किये होते तो यह घटना न होती। इसलिये मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम सरन--

आप एक मिनट मुझे भी दे दें। मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष--

जिसने सूचना दी है उसी को बुलवा रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

इधर भी लोग बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को नहीं बुलवा रहा हूं।

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं एक व्यवस्था आपकी चाहता हूं तमाम नोटिसेस गयी इस घटना की--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाय तिवारी जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इस घटना के बारे में मान्यवर, कई 56 की नोटिसेस आपको दी आपने वीरेन्द्र सोलंकी को नहीं बुलाया जिनके क्षेत्र का मामला है, आपने सबको बुलवा लिया।

श्री उपाध्यक्ष--

सब को नहीं बुलवाया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इनके क्षेत्र का मामला है ग्राह्यता पर मान्यवर, आप सोलंकी जी को 2 मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मुख्य मंत्री जी बोल चुकें तो उसमें अब क्या बोलना है ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि स सरकार के जमाने में हरिजनों पर न अत्याचार हो रहा है और न हो पायेगा मान्यवर, यह पूरे परिवार की हत्या क्या अत्याचार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, सरकार के इस हरिजन वरोधी दृष्टिकोण के खिलाफ हम बाक-आउट कर रहे हैं

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने राम सरन जी को बुला लिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह विषय आपके सामने उपस्थित हुआ है आपने इस विषय में कई माननीय सदस्यों को सुना माननीय नेता विरोधीदल और माननीय नेता सदन ने इस पर अपने विचार रखे तो मान्यवर, अब इसमें आपको अपनी रूलिंग देनी चाहिये, क्या मान्यवर, आप इस पर चर्चा करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं रूलिंग दे रहा हूं, चर्चा नहीं करा-ऊंगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मुझे सुन लें, मेरे क्षेत्र का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को न सुन रहा हूं ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह चौहान जी, मैंने आपको नहीं बुलाया है, राम सरन जीके बाद आप उठा लीजिएगा । आप परेशान न हों क्षेत्र की चर्चा नहीं हो रही है ।

(श्री राम सागर, श्री राम सरन तथा श्री राजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से व्यव-धान ।)

*श्री राम सरन--

मान्यवर, मेरा नाम नम्बर एक पर था इस सूचना पर, जब आपने यह सूचना पढ़ी तो मेरा नाम लिया था । आपने मुझे बुलाया नहीं, मेरे साथ अन्याय कर दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और सीनियर हैं, मैं चैलेंन्ज करता हूं कि आप हरिजनों का बीज नष्ट करना चाहते है । नसबन्दी में आप (स्वास्थ्य मंत्री) करना चाहते है और कत्ल में आप (मुख्य-मंत्री) करना चाहतेहैं सामूहिक ही नसबन्दी हो रही है और सामूहिक ही कत्ल हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सरन--

यह दोनों ही हरिजनों की हो रही है और यह कहते हैं कि हरिजनों के हितैषी हैं मान्यवर, इस पर चर्चा करायी जाय।

(श्री राजेन्द्र सिंह चौहान और श्री माता प्रसाद पाण्डे के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माता प्रसाद जी आप बैठ जाय श्री राजेन्द्र सिंह चौहान का व्यवस्था का प्रश्न है आप लोग बैठ जांय।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं आप उनको बोलने देगें और मुझसे कहेंगे, बैठें ?

श्री उपाध्यक्ष--

नेता विरोधी दल खड़े हो गये है, आप एक मिनट बैठ जाइये। माननीय नेता विरोधी दल और मुख्य मंत्री जब खड़े होंगें तो पहले उनको बुलवायेंगे। मैंने नेता विरोधी दल को बुलाया है और सब लोग बैठ जांय।.....

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पांडेय ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया था। माननीय नेता सदन बोल चुके हैं, मैं बोल चुका हूं तो अब आपको इस पर रूलिंग दे देनी चाहिये। चर्चा की क्या बात है ?..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

रूलिंग मैं दे दूंगा। .... (घोर व्यवधान)। आप लोग जो कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(कई सदस्य द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जांय। इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

मेरे क्षेत्र का प्रश्न है।....

(विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

किसी का कुछ नही लिखा जायेगा। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब यह मसला समाप्त हो गया। आप लोग बैठ जांय।

श्री प्रमोद कुमार--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(सत्ता पक्ष की तरफ से कुमारी अलमेलु अम्माल, ग्राम्य विकास मंत्री तथा कई अन्य सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

मेरे क्षेत्र के प्रश्न है। आप मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जांय। यह प्रकरण समाप्त हो गया। मैं रूलिंग दे रहा हूं कि गवर्नमेंट इस मामले पर स्टेटमेंट दे दे। अब यह समाप्त हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस पर चर्चा करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा नहीं, स्टेटमेंट होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हम सरकार की हरिजन विरोधी नीति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जब इस मामले गवर्नमेंन्ट का स्टेटमेंट आ जायेगा और उससे यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद देखा जायेगा।

..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज हरिजन असुरक्षित हैं ....

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य के लिये मैंने कर दिया।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा। कोई सफाई का मौका अब इसमें नहीं है। कृपया बैठ जांय।

*श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, बलिया जनपद में गत पहली मार्च को 1 बजे दिन में रघुनाथ सिंह नामक व्यक्ति जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी प्रथम खन्ड में कैशियर के पद पर था, वह बैंक से कर्मचारियों का वेतन निकालकर जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसी समय बदमाशों ने उस पर देशी पिस्तौल से हमला कर दिया और उसको मरणासन्न हालत में घायल कर दिया उसके बाद किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डाक्टरों ने जबाब दे दिया उसके बाद उसे बनारस में सर सुन्दरलाल अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई इस मामले से वहां पर स्थिति बहुत विसाक्त हो गई है दो घंटे तक विभाग के कर्मचारी कोतवाली के सामने शोर करते रहे बैंक से 6 मकान के बाद वहां पर कोतवाली है वहां जाकर कर्मचारियों ने शोर मचाया। देखा जाय तो वहां पर एक आतंक का वातावरण पैदा हुआ है। पुलिस कुछ कर नहीं रही है। वहां पर कुछ दिन पहले कर्मचारियों और वकीलों का संघर्ष हुआ था उसमें भी पुलिस की निंदा हुयी थी इसके कारण पुलिस वाले कर्मचारियों की बातों को अनसुनी कर देते हैं। इस घटना से वहां पर कर्मचारियों में रोष पैदा हो गया है और व हड़ताल पर हैं, पूरी तरह से सभी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, पच्चीसो हजार कर्मचारी कभी कहीं पर कभी कहीं पर प्रदशन करते हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां पर रोष और क्षोभ व्याप्त है। वहां पर पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। बार-बार जनता की शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं राज्य प्रशासन किस बात का शिकार हो रहा है (व्यवधान) इतने विरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, पूरी तरह से जिले के अन्दर अशांति का वातावरण व्याप्त है। रघुनाथ सिंह कैशियर के हत्यारे पकड़े नहीं गये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री शारदानन्द अंचल--

वहां की पुलिस एक दम अक्षम है, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब इस प्रशासन पर लोगों का भरोसा नहीं रह गया है, माननीय बीर बहादुर सिंहजीकी सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, अब आप बैठें (व्यवधान) माननीय गौरी शंकर भइया मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, इसमें आपकी सूचना नहीं है (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया:--

मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस पर आप वक्तव्य दिलवादें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) जब आपका इसमें नाम नहीं है तो आपको क्यों बुलवा लूं (व्यवधान) कोई नियम मानेंगे या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री गौरी शंकर भइया---

इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सुन लिया, महत्वपूर्ण है अब आप बैठें ।

श्री शारदानन्द अंचल---

पुलिस पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बात सुन ली । आप बैठें ।

श्री अर्जुन सिंह यादव---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान जौनपुर में आये दिन हो रही हत्याओं और डकैतियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी अभी 26 फरवरी, को एक राजनैतिक संबंधित घटना मछली शहर, जौनपुर में और पहली तारीख मार्च को शहर कोतवाली जौनपुर में तिलक धारी इंटर कालेज के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह की हत्या एक कमरे में की गयी वहां राजनैतिक हत्याएं पुलिस की साजिश से हो रही है आये दिन कोई न कोई हत्या या डकैती हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी से कई बार कहा गया कि वहां से उस महिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरज कौर मेहरा को हटा दीजिये लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी असमर्थ हैं ।मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका (मा0 मुख्य मंत्री जी) उस महिला पुलिस अधीक्षक से इतना ही लगाव है तो आप अपने जनपद गोरखपुर में लें जांय और जौनपुर को बरबाद होने से बचाने की कृपा करें । पुलिस हत्याओं और डकैतियों में 10--10, 20--20 आदमियों को पकड़ कर ले जाती है और फिर पैसा वसूल कर छोड़ देती है उससे उनकी आमदनी बढ़ जाती है । एक हत्या में कम से कम 50 हजार रुपया वसूलते हैं । अभी कुछ दिन पूर्व वहां के एक युवक कांग्रेस आई नगर अध्यक्ष श्री राम जी सेठ की हत्या हो गयी उसमें भी 50 लोगों को पकड़ा गया और कई रोज तक शहर कोतवाली में अवैध ढंग से उनको बन्द किये रखा । (व्यवधान) राजनैतिक हत्याओं पर रोक लगाने में सरकार असमर्थ है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

*श्री अफजाल अंसारी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि पूरे प्रदेश में हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों की जानमाल की वह रक्षा करती है । लेकिन अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो वह हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है ।

मान्यवर, इसी प्रकार एक घटना गाजीपुर के थाने करीमुद्दीन पुर गांव भरौली में घटित हुई दिनांक 28 फरवरी, को जिसमें हरिजनों की बस्ती को उस गांव के सवर्णों ने मिलकर, चारों तरफ से घेरकर आग लगा दिया और हरिजनों के सारे मकान आग से भस्म हो गये और हरिजनों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जानें बचाई । उनके काफी जानवर अग्निकांड में मर गये । अग्निकांड के बाद सरकार ने भरौली के हरिजनों के लिये कोई सहायता नहीं किया है । इसके अलावा आजतक नामजद अभियुक्त, एफ0आई0आर0 लिखाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं जिसके कारण जनता में, हरिजनों में आतंक और भय व्याप्त है । दूसरी ओर सामन्तवादी लोगों का इस प्रकार का घृणित कार्य करने के लिये उत्साह बढ़ रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर दो घंटे की इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान की जाये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, अभी दो घटनाओं का उल्लेख किया गया एक घटना जौनपुर के माननीय सदस्य ने, छात्र की लाश बंद कमरे में मिली, बताया । तो जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां गयी और नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तफसीश जारी है।मान्यवर, यदि कहीं कत्ल हो जाये और लाश मिल जाये तो शासन का जो दायित्व होता है वह यही होता है कि उसकी जांच करे और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछतांछ की जाये और सही मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाये । लाश मिल जाती है तो उनके तुरन्त बाद व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और वही किया गया है।

मान्यवर, जहां तक गाजीपुर में बस्ती को जलाने की बात कही गयी है तो स्वीकार है और तफतीश जारी है। तफसीश में जो निष्कर्ष सामने प्रकाश में आयेंगे उसके अनुसार दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जायेगा ।

तो मान्यवर, दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखा जाये तो नियम 56 की परिधि में यह नही आती हैं और नियम 56 में वही आनी चाहिये जो अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न से संबंधित सूचनायें हों, इसलिये इस प्रकार 57 जिलों का यह प्रदेश है,एक जिले में कत्ल हो जाता है,पुलिस कार्यवाही करती है, तो नियम 56 का प्रश्न नहीं बनता है । मेरा आपसे आग्रह है कि पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है तो कुछ कहने में हस्तक्षेप पड़ेगा । इसलिये कार्यवाही जारी है और जो कार्यवाही हो सकती थी की जा चुकी है, इसलिये नियम 56 का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे सुन लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जांय, आपने पहले ही अपनी बात कह दी है ।

*श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, नेता सदन और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री नित्य प्रति इस सदन में बराबर घोषणायें करते रहते हैं कि हरिजनों के साथ किसी प्रकार का कहीं अन्याय नहीं हो रही है और जो भी उनके साथ अन्याय करता है और करेगा उनको बख्शा नहीं जायेगा । लेकिन जितनी ही जोरदार ढंग से इस सरकार की तरफ से घोषणायें होती हैं उतने ही जोरदार ढंग से इस वर्ग पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं । ऐसे ही एक घटना वाराणसी के परेवा गांव में दिन दहाड़े घटित हुई और पूरे गांव को सामन्तवादी लोगों ने हरिजनों की बस्ती को जिस समय गांव के वह लोग काम पर जा रहे थे उनको घेर कर मारते हैं फायरिंग करते हैं, एक आदमी मर जाता है ।....

बीसों लोग घायल होते हैं । आज स्थित यह है कि वहां पर पुलिस की तरफ से किसी के खिलाफ कार्यवाही इसलिये नहीं हो रही है कि कांग्रेस के लोगों का हाथ उसके पीछे है और वहां के जिन लोगों ने घटना कराई है, वह लोग भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य है। इसलिये पुलिस कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हो रही है । यह एक ही जगह का मामला नहीं है । वाराणसी जिले में आज चारों तरफ ऐसी घटनाओं को लेकर आतंक व्याप्त हो गया है। हरिजन घरों से निकल नहीं पा रहे हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है औरइसके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सरकार को निर्देशित करें और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करावें ।

श्री हुकुम सिंह --

जिस घटना के बारे में सम्मानित सदस्य रामनरेश जी ने ध्यान आकर्षित किया, यह मामला रामलीला को लेकर दो वर्गों में झगड़ा के संबंध में है । इनमें उनमें परस्पर संघर्ष हुआ है और मारपीट हुई है और दोनों तरफ से मुकदमें कायम हुए हैं । 50/50 आदमी दोनों तरफ के गिरफ्तार किये जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं की गई है। इससे ज्यादा शीघ्र कार्यवाही हो नहीं सकती है, जो इसमें की गई है। तुरन्त कार्यवाही करके लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। चार्जशीट जा रही है, वह जाएगी। इस तरह से यह विषय नियम 56 में नहीं आता है, न इसमें कार्यवाही की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

(श्री शतरूद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका दूरदर्शन केन्द्र से सम्बन्धित है, यहां पर इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप बैठ जाएं, मैं किसी को नहीं सुन रहा हूं.. (व्यवधान) मैं किसी को नहीं सुन रहा हूं। इतने सुनने के बाद 22 बाकी रह गये हैं। अगर आप का ही सुना जाएगा... (व्यवधान)

श्री बलराम यादव---

हमारा सवाल अविलम्बनीय लोक महत्व का है और बड़ी गम्भीरता है. आप इसको सुन नहीं रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस समय प्रदेश में दूरदर्शन के द्वारा एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जो देश के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के बारे में है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

यह यहां नहीं आ सकता है। इसके लिये यह नियम नहीं है।

श्री शतरूद्र प्रकाश---

जो स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास है, उसे तोड़ मरोड़ कर दूरदर्शन कार्यक्रम में पेश किया जा रहा है। (व्यवधान) भगत सिंह और राजगुरू सुखदेव का नाम फांसी की घटना में नहीं दिखाया गया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी..... (व्यवधान)"

श्री उपाध्यक्ष--

यह यहां के सम्बन्ध में नहीं है। आप इसे यहां नहीं कह सकते है, आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

सारा श्रेय एक परिवार के हाथ में दिया जा रहा है। इस तरह से यह दूरदर्शन का दुरूपयोग किया जा रहा है। इतने गम्भीर मसले को तोड़कर न पेश किया जाए।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 300 के अन्तर्गत सूचना दी थी, आपने उस पर चर्चा के समय यह कहा था कि आप यह सूचना अन्य नियमों में दे दें (व्यवधान) उसका ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। शाही जी आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गयी है।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

श्री राम सरन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मेरा मामला प्रदेश की जनता से संबंधित है।

श्री राम सरन-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो मामला आज उठाया गया है वह अस्वीकार हो गया है। तो उसी दिन उस मामले को क्या उठाया जा सकता है। शाही जी अन्याय कर रहे हैं। आपने इसके मामले को 300 में अस्वीकार किया है। यह मामला फिर दोबारा आज उठ नहीं

सकता है। यह कोई तरीका नहीं है। आज नहीं ला सकते हैं। कल इस मामले को वे ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, गया प्रसाद वर्मा जी का जो मामला है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि कमला नाम की महिला जो लोकदल की कार्यकर्ता है उसको गायब कर दिया गया है, मार दिया गया है हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे आप इसको स्टेटमेंट के लिये स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें डिफीकल्टी है संसदीय कार्यमंत्री दे सकते हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, वक्तव्य दिलवाने का अधिकार आपका है। संसदीय कार्य मंत्री का नहीं।

श्री हुकुम सिंह---

(मान्यवर, आप जो आदेश देगें उसका पालन किया जायेगा।)

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, इस पर स्टेटमेंट होगा। मैं सबको अस्वीकार करता हूं अब किसी को नहीं सुनूंगा।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग

(1 बजकर 47 मिनट)

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्रीराज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,87,85,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री बलराम यादव---

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। सीमेंट का मामला....

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री सुनील शास्त्री---

श्रीमन्, आज ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय मैं इस बात को सदन में कहना चाहूंगा (व्यवधान)..... कि आज जहां पर भी और जिस क्षेत्र में भी हमें विकास करना है, वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने उर्जा के क्षेत्र में वर्ष 1986-87 की योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक धनराशि रखी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,440 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया, जिसमें सबसे अधिक मान्यवर, उत्पादन के क्षेत्र को दिया गया है, एक हजार 988करोड़ रु0 केवल उत्पादन के लिये दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। परिसन और वितरण (ट्रांसमिशन और डिस्ट्रब्यूशन) के लिये 9 सौ 87 करोड़ का प्राविधान किया गया है। साथ ही श्रीमन्, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिये 254 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। दूसरे श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि हमारी जो अधिष्ठापित क्षमता है विद्युत् की, उसके द्वारा हम अधिक से अधिक उत्पादन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करें और चूंकि हमारी मशीनें जो हैं, वह अधिकतर पुरानी है और उन पर काफी लम्बा कार्य नवीनीकरण और तकनीकीकरण का करना है, इसलिये मान्यवर, हमने रैनुवेशन के लिये 153करोड़रु0 का प्राविधान किया। इसके अतिरिक्त मान्यवर, इस बात का भी प्राविधान किया गया कि हमलोगों को इन्जीनियर्स व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जिन मशीनों पर कार्य करना है, उसके लिये उन्हें पूरी तरह से तैयार कर सके इसके लिये भी हमने डेढ़ करोड़ रुपयों का प्राविधान इस नये वर्ष 1986-87 के लिये किया है। यहां पर मा0 सदस्यों को साथ ही यह बात भी बताना चाहूंगा कि इस समय जो हमारी अधिष्ठापित क्षमता 448 में वा0 की है, जिस में 262 मे0वा0तापीय विद्युत् की है और 1422 मे0 वाट जल विद्युत् की है, लेकिन वितरण की मांग को देखते हुए जो लगातार बढ़ती ही जा रही है,इस हिसाब से 7वीं पंचवर्षीय योजना में,अपनी अधिष्ठापित क्षमता 1562मेगावाट और बढ़ायेंगे, जिसमें 1490 मे0 वा0 तापीय विद्युत् है और 72 मे0 वा0 जल विद्युत् होगी। तो श्रीमन्, जहां एक ओर विद्युत् के उत्पादन की ओर आपको बताना चाहता हूं वहीं पर दूसरी ओर अधिष्ठापितक्षमता को बढ़ानेकेप्रयास भी हमारे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि किस प्रकार से आपूर्ति व्यवस्था को भी सुचारूरूप से चला सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हम लोगों ने हैवी ट्रांसमिशन लाईन्स जो हैं उनके क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन कर रहे हैं इस 7वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत साथ ही 132 के0वी0 द्वारा अब आपूर्ति की जायगी इसकेलिये 134 के0वी0 का सर्किट तैयार किया जायेगा इस का निर्माण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारे जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनकी 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन द्वारा विद्युत् पहुंचाई जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी निर्धारित कर रहे हैं। 7वीं पंच वर्षीय योजना के दौरानइस प्रकार की लाईनों को 5 के0 वी0 सर्किट की लाईनों में निर्माण करायेंगे।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

मैं माननीयसदस्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बताना चाहूंगा। इस समय लगभग 65000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 5 लाख से अधिक निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया है। 35 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया है सातवीं पंचवर्षीय योजना -में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख 12 हजार 568 गांवों में से 19,800गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख 72 हजार निजी नलकूपों का विद्युतीकरण किया जायगा। हरिजन बस्तियों में 18,930 गांवों के विद्युतीकरण के लिये सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य रखा है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो है,वह मैं अपने माननीयसदस्योंको बताना चाहता हूं। इस समय राज्य विद्युत् परिषद् का जो कैपिटल असेट्स है,वह 4,303 करोड़ का है। जो परियोजनाएं हैं, जिन परकामचल रहा है 1,572 करोड़ की लागत आ रही है। मान्यवर, 1959 में विद्युत् परिषद् का गठन किया गया था।मान्यवर, आज आप देखें कि हमलोगों ने 65,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है। हमारा जो परकैपिटा कंजम्पशन था 1959 में वह केवल 12. किलो वाट आवर प्रति व्यक्ति के ऊपर था, जोकि 1983-84 में 113.1 किलो वाट आवर प्रति व्यक्ति हुआ है। इस प्रकार से 9.5 प्रतिशत की वृद्धि इस दिशा में की गयी है।

श्रीमन्,मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोगों ने,जो अन्य हमारी तापीय विद्युत् की योजनाएं हैं, जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं,उसमें अनपारा (2) की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, में पूरी आशा है कि हम पहली मशीन इस वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1986 तक चालूकरलेंगे। दूसरी मशीन 210 मेगावाट की सितम्बर, 1986 और तीसरी मार्च 1987 तक चालू

हो जायगी। इसमें लगभग 657 करोड़ की लागत आ रही है। हमारा दूसरा तापीय विद्युत् टांडा में 440 में गवाह की क्षमता का होगा। इसमें पहली इकाई जून, 1987 में चालू करेंगे। इसके बाद हम हर 6 महीने पर दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई 12 दिसम्बर, 1988 तक चालू कर देंगे। इसमें 396 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। एक हमारी ऊंचाहार तापीय परियोजना है, इसमें सन् 1986-87 में 210 मेगावाट की पहली इकाई लगा रहे हैं। पहली इकाई अक्तूबर-नवम्बर 1986 से हम चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी इकाई हम सितम्बर, 1987 तक चालू कर देंगे। हम चाहते हैं कि ऊंचाहार को 1,050 मेगावाट की क्षमता हो। उसके लिये विस्तार का कार्यक्रम बनाया गया है। हम लोग निरन्तर केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि जो कोल लिंकेज है, जोकि एक इकाई के लिये उपलब्ध है वो तीनों इकाइयों के लिये उपलब्ध करा कर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह विद्युत् परियोजना जो है, पूरी करें। इस समय जो परीक्षा की कोल लिंकेज है, उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ऊंचाहार को प्राप्त हो जाय।

लेकिन कुछ वहां पर कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं परन्तु हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा इकाइयां ऊंचाहार के लिये उपलब्ध करा दें जिससे हम ऊचाहार परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना और आगे आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में जिनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं उनमें प्रमुख हैं जवाहरपुर दोहरीघाट और रोजा। इनमें तापीय विद्युत् का निर्माण करने का प्रयास हम कर रहे हैं और तापीय विद्युत् क्षमता द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 72 मेगावाट प्राप्त होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनमें कार्य तेजी से चले और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम उसे पूरा कर सकेंगे उसमें हमारे सबसे प्रमुख हैं मनीमाली जिसकी क्षमता 304 मैगावाट है और श्रीनगर गढ़वाल की 200 मैगावाट है। इसके अलावा लखवार व्यासी 420 मेगावाट है टिहरी डैम विष्णुप्रयाग आदि की क्षमता क्रमशः 1000 और 480 होगी। इसके अतिरिक्त जल विद्युत् परियोजनाओं के लिए हमने केन्द्र सरकार को भेजा है और वहां से हमें स्वीकृत प्राप्त करना है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त हो। इसमें प्रमुख हैं पालामनेरी लोहारी, नागपाला कोटेश्वर डैम काटपत्थर तपोवन विष्णुगढ़ किसाहू डैम आदि।

श्रीमन्, मैं यह जानकारी माननीय सदस्योंको इसलिये देना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश सरकार इस बात का पूर्ण प्रयास कर रही है कि जो विद्युत् की आवश्यकता है इस प्रदेश में उसकी हम पूर्ति करें और इसमें जो जल विद्युत् परियोजनायें हैं उनमें जरूर कुछ समय लगेगा क्योंकि इसका कार्य काफी बड़े पैमाने पर होता है और इसमें 6-7 वर्ष का समय जरूर लग जाता है। इस के अतिरिक्त जो तापीय विद्युत उत्पादन है उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। हमने 1985-86 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 12 हजार 829 मिलियन यूनिट का था उसमें हमने फरवरी माह के अन्त तक 11 हजार 200 मिलियिन यूनिट का उत्पादन किया है और हम चाहते हैं कि हम लक्ष्य प्राप्त करें इसमें कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं जैसे हम जो मशीनरी लाना चाहते थे उसमें कुछ विलम्ब हुआ। जहां तक जल विद्युत् लक्ष्य है उसे तो हमने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। हमारा लक्ष्य 8700 मिलियन यूनिट था उसमें हमने 7000 मिलियन यूनिट विद्युत् का उत्पादन किया है और 800-900 मिलियिन यूनिट का उत्पादन मार्च के महीने में करके हम तापीय विद्युत् के द्वारा लक्ष्य के करीब पहुंच जायेंगे। इसके अतिरिक्त 86-87 तापीय विद्युत् का लक्ष्य 12 हजार 622 मिलियन यूनिट का है जल विद्युत् का 4716 मिलियन यूनिट है। इस तरह से कुल 17 हजार 338 मिलियन यूनिट का लक्ष्य है।

यहां पर मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि 1989–90 तक विद्युत् की कमी 1043 मिलियन यूनिट की रहेगी इस समय यह 5562 मिलियन यूनिट की है। हम 86–87 में इस कमी की पूर्ति करेंगे। हमारा लक्ष्य 4000 मिलियन यूनिट से अधिक का है। मुझे पूर्ण विश्वास हैकि इसमें हमको सफलता मिलेगी 1986–87 में जो बिजली में कमी रहेगी उसमें इससे काफी कमी होगी। उपभोक्ताओं को हम विद्युत आपूर्ति कर सकेंगे। यहां पर मैं प्लान्ट लोड फैक्टर के बारे में भी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। हम लोगों ने फरवरी माह में 42.2 का प्लान्ट लोड फैक्टर प्राप्त किया। हमें आशा है कि मार्च महीने में हम 50प्रतिशत का प्लान्ट लोड फैक्टर प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमलोगों ने मशीनों का रखरखाव मशीनों का मेंटीनेन्स कैपिटल मेन्टीनेन्स का कार्यक्रम इस तरह का बनाया है कि 86-87 में प्लान्ट लोड फैक्टर पूरे वर्ष में 50से 51 प्रतिशत बना रहे। 50 से 51 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर रहा तो विद्युत की जो कठिनाई आती है वह बिल्कुल नहीं रहेगी हमें विश्वास है कि काफी हदतक उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा सकेंगे। विद्युत के द्वारा प्रगति का रफ्तार प्रदेश में तेजी सेबढ़ेगी। यहां एक बार मैं और कहना चाहूंगा कि डिरेटेड कैपसिटी 84-85 में 30.6 प्रतिशत थी यह मार्च के अन्ततक जैसा कि अनुमान है हम लोग 34 प्रतिशत पर पहुंचेंगे। इस प्रकार अगर पूरे वर्ष का प्लान्ट लोड फैक्टर आप देखें तो इसमें साढ़े 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। एक प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़जाता है तो विद्युत परिषद् को 2 करोड़ का लाभ होता है। इस प्रकार हम लोग प्रगति के पथ पर है।

मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में विद्युत के संकट में काफी राहत पहुंचेगी। आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कटौती न करके घरेलू विद्युत किसानों और उद्योगों की जो मांग है उसका काफी हद तक आपूर्ति करेंगे। जिससे किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यहां पर रेनोवेशन और नवीनीकरण के बारे में कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में मैं कई बार बता चुका हूं। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि 147 करोड़ रुपये का प्राविधान इसके लिये किया गया है। इसके अन्तर्गत 27 इकाईयों का चयन किया गया है। नवीनीकरण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है अगले 3 वर्षों में हम इन सभी इकाईयों पर पूरा कार्य कर लेंगे और लगभग 10–15 प्रतिशत इससे क्षमता में वृद्धि होगी। हमारे पास अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त हमारे सामने कोयले की समस्या उत्पन्न होती थी। उसके लिये ज्वाइन्ट सेम्पिलिंग की व्यस्था की गई है। कोल इण्डिया और विद्युत परिषद् के अधिकारीगण इस बात को देखते हैं कि कोयला किस प्रकार आया है। जिस प्रकार के कोयले की हमको आवश्यकता है उस प्रकार का कोयला हमें नहीं मिल रहा है। हमें आवश्यकता है ए और बी ग्रेड के कोयले की और उपलब्ध हो रहा है डी और इ ग्रेड का। इसकेकारण हम अपनी मशीनों को पूर्ण क्षमता पर नहीं चला पाते हैं। इसके कारण विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। ज्वाइन्ट सेम्पिलिंग की जो व्यवस्था की गई है उसका पिछले दो महीनों में काफी लाभ हुआ है। इसका लाभ सभी तापीय विद्युत गृहों ओबरा हरदुआगंज पनकी पारीक्षाको पहुंचा है। साथ ही साथ कोयला हमको कम मिलता था। ओबरा में जो वजन की मशीन थी वह खराब थी इस पर विभाग ने पूरे तौर पर काम किया और एक मशीन चालू कर दी गई है। दो और तीन को शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा।

श्रीमन्, हमारे पास विद्युत् की उपलब्धता जिस प्रकार से रही हम लोगों ने उसी के अनुरुप विद्युत् की आपूर्ति भी अलग अलग जगह पर सुनिश्चित करने की चेष्टा की। मैं मा0 सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जहां वर्ष 1984–85 में लगभग साढ़े सात घंटे बिजली ग्रामीण अंचलों में औसत दे पाए इस वर्ष औसत 11 घंटे का रहा।

श्रीमन्, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र रहे जहां हमने जो ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत निर्धारित किया उतनी बिजली नहीं दे पाए। इसका मुख्य कारण यह था कि जो वितरण व्यवस्था की गयी थी वह कमजोर थी। जिसके कारण बिजली होते हुए भी 10 घंटे की बिजली आपूर्ति नहीं कर पाए। लेकिन अधिकतर ऐसे स्थान हैं जहां पर वितरण व्यवस्था कमजोर थी। वहां की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया गया है औरइस बात को सुनिश्चित किया गयाहै कि बिजली की जो आपूर्ति निर्धारित की गयी है वह दें। श्रीमन्, साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की गयी है कि ग्रामीण अंचलों में हम आइसोलेटर्स लगाकर और टी0पी0 एम0 ओ0 लगाकर सायंकाल 6 बजे से रात्रि के बारह बजे तक और नहीं तो प्रातः 6 बजे तक दो फेज की बिजली ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध करावें। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सफलता प्राप्त हो रही है। बहुत जगह बिजली लगभग 8 से 10 घंटे दो फेज में रात्रि में पहुंचाई है।

श्रीमन्, जहां तक पारेषण का सवाल है जैसा मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग विद्युत् परिषद् में पारेषण है और ट्रान्समिशन के द्वारा इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विद्युत् की आपूर्ति जो उत्पादन है जो विद्युत् उपलब्ध है। वह पूरी तरह से उपभोक्ताओं को पहुंचे। इसमें जहां एक ओर हमारी सेकेण्डरी ट्रान्समिशन लाइन है पारेषण सिस्टम से जिसका सीधा सम्बन्ध है वही केन्द्रों की भी क्षमता बढ़ाई है लेकिन अभी भी 400 से अधिक ऐसे केन्द्र हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी होगी जिससे विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण अंचलों में और छोटे कस्बों में ठीक प्रकार से सुनिश्चित कर सकें और जो हैवी ट्रान्समिशन लाइन है श्रीमन्, जैसा कहा हम लोगों का यह प्रयास है कि 15401 सर्किट किलोमीटर की लाइन का जो जाल बिछा है उसमें और बढ़ोत्तरी करके जैसा शुरू में कहा धीरे धीरे हर क्षेत्र में 400, 220 और 123 के0 वी0 लाइन्स को बढ़ाकर परेषण व्यवस्था को सही सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो लाइन लासेज है, कम हों। इस क्षेत्र में सफलता मिली है। मैं बताना चाहूंगा कि यदि एक प्रतिशत भी हम इसमें कमी कर लेते हैं तो 6 करोड़ रुपये का लाभ विद्युत् परिषद् को होता है। श्रीमन्, इसमें इस समय राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत का है जबकि 19 प्रतिशत की लाइन लासेज हुई। हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको घटाकर 15 से 16 प्रतिशत तक ला दें। जिससे कि लासेज के कारण जो बिजली का प्रयोग हम नहीं कर सकते उस बिजली को हम उपभोक्ताओं को दें।

श्रीमन्, इस ओर मैं माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी देनाचाहूंगा कि वितरण व्यवस्था को महत्व देने के लिये हम लोगों ने प्रदेश में 3 एरिया चीफ के कार्यालय स्थापित किये हैं और यह अप्रैल 86 से कार्य प्रारम्भ कर देंगे। श्रीमन्, मैं जैसा कि मैंने पिछले वर्ष सदन में कहा था और इस बात की घोषणा की थी कि रि–आर्गनाइजेशन करना चाहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस परिषद् के अन्तर्गत चार जो मुख्य विभाग हैं उनके अधिकारियों के ऊपर हम पूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा–वितरण, तीसरा–पारेषण, और चौथा–जो वित्तीय शाखा है। इन चारों शाखाओं के रि-आर्गनाइजेशन का जो जो कार्य है–वह प्रारम्भ कर दिया है।

हमें विश्वास है कि अप्रैल 1986 के पश्चात् इस रि आर्गनाइजेशन का लाभ हम हर उपभोक्ता तक पहुंचा सकेंगे। मान्यवर, यहां तीन एरिया चीफ के कार्यालय स्थापित किये हैं। मान्यवर, हम विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। जिससे एरिया चीफ के स्तर से जो लोकल समस्यायें हैं उनका समाधान वहां पर हो जाय। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ने पर कोई सामग्री खरीदनी है वहां पर तो उसका भी हम अधिकार उनको देगें। मान्यवर, इन एरिया चीफ को अपने-अपने क्षेत्रों को पूर्ण जानकारी होगी और इस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मान्यवर,

एक महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्यों ने समय समय पर बतायी कि शादी ब्याह आदि जो फंक्शन होते हैं, उनकेलिये जो टेम्परेरी कनेक्शन की मांग होती है, उसमें बहुत अधिक समय लगता है और कई बार अनियमित तरीके से यदि लोग बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं।मान्यवर, इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने सब डिवीजनल आफीसर्स को पूरी पावर दी है और वे अपने स्तर से ही ऐसे विद्युत कनेक्शनों को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि निजी नलकूपों के लिये किसानों को जो जगह जगह जाना पड़ता था वहां पर भी हमने सब डिवीजनल आफिसर्स को अधिकार दिया है और यह भी कह दिया है कि तीन महीने के अन्दर जो निजी नलकूप का कनेक्शन मांगने आया है उसे कनेक्शन दे दिया जाय, इस बात को सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो परमानेंट डिसकनेक्शन होते हैं, वहां पर भी हमारे किसानों को बहुत कठिनाई होती है। किसान समझते हैं कि हमारा परमानेन्ट डिस्कनेक्शन हो गया है लेकिन लाइन वगैरह न हटाये जाने के कारण उसका जो बिल है निरन्तर बढ़ता जाता है। हमने इस बात को सिम्पलीफाई किया है। टाइम फ्रेम इसके लिये भी निर्धारित करेगें कि अगर कोई परमानेंट डिस्कनेक्शन के लिये आता है तो एक निर्धारित समय के अन्दर परमानेंट गलत बिल न मिल सके।

मान्यवर, जहां तक घरेलू पंखे और बिजली के उपभोक्ताओं का सवाल है हमने सिंगल विन्डो कंसेप्ट के द्वारा सर्विस की सुविधा दी है। लखनऊ में पहला यह रिआर्गनाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया है। यहां पर हमने ट्रांस गोमती और गोमती के इस तरफ के क्षेत्र को दो भागों में बाटा है और इसके लिये दो अधीक्षण अभियन्ता को डिस्प्यूट किया है उनके तहत यह दोनों क्षेत्र आते है। मान्यवर, चार ऐसे जगहों पर अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय खोले हैं। जसे आलमबाग क्षेत्र का कोई व्यक्ति है तो उसे आलमबाग क्षेत्र के ही कार्यालय में बिल आदि की सुविधा रहेगी। इसी तरह से इंदिरानगर के जो उपभोक्ता हैं वे इंदिरानगर तक ही सीमित रहेंगे उन्हें लेसू के मुख्य कार्यालय आने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसमें बिल और नये कनेक्शन आदि अन्य सुविधाएं जो हैं उपलब्ध रहेंगी। यह अभी हमने लेसू में ही शुरुआत की है। इसके बाद हम बनारस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेंगे। और इसके बाद सभी नगरमहापालिकाओं के शहर धीरे-धीरे करके लेंगे। बाकी जो अंडरटेकिंग्स हैं वहां पर भी इस कार्य को प्रारम्भ करेंगे बाद में।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विद्युत बकाये की धनराशि का सवाल है श्रीमन्, इस समय लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक बकाया धनराशि कई अन्य उपभोक्ताओंके ऊपर बाकी है। इसमें काफी बड़ी धनराशि उद्योगों के ऊपर बाकी है सरकारी विभागों के ऊपर भी है। जहां तक सरकारी विभागों का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर से हम लोग इस पर कार्यवाही कर रहे। और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं सरकारी विभाग की जो देय धनराशि है उसका विद्त परिषद् को जल्दी से जल्दी भुगतान हो। निजी नलकूप जो हैं उनके ऊपर 64 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया देय धनराशि है। घरेलू पंखों और बिजली के उपभोक्ताओं का सवाल है इनके ऊपर भी लगभग 55 करोड़ रुपए से अधिक देय धनराशि बाकी है। इस संबंध में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह इसमें अपना सहयोग प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि जो इस प्रकार की देय धनराशि है और जेन्यून भी है उसे कम से कम समय के अन्दर भुगतान कर दें जिससे विद्युत परिषद् के राजस्व में बृद्धि भी होगी और मेन्टीनेन्स व वितरणकी जो हमारी व्यवस्था है वह और मजबूत होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में हम लोगों ने बहुत ही विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। 1985-86 में हमने 4,600 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित

किया था और हम 2,400 गांवों में बिजली पहुंचा पाये हैं। इस संबंध में तेजी से कार्य चल रहा है हमें विश्वास है कि इस वर्ष के अन्त तक हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जहां तक हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरणका प्रश्न है हम 3,200 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचा चुके हैं जबकि हमारा लक्ष्य 4400 हरिजन बस्तियों में पहुंचाना था।

मान्यवर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के द्वारा विद्युतीकरण किया जाता था लेकिन अब हमने उसे न करके लाईन बिछाकर गांवों में बिजली पहुंचाने का निश्चय किया है जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध हो सके। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के तहत अगर किसी आदमी को गांव के बाहर नलकूप का कनेक्शन मिल जाता था तो यह माना जाता था कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन अब गांव में बिजली बिछाकर दो फेस से जब तक बिजली की सुविधा गांव के लोगों को नहीं पहुंचाई जायेगी तब तक उसका विद्युतीकपण नहीं माना जायेगा। अधिकांश गांवों में इसके तहत लाईन बिछाकर बिजली पहुंचा दी गई है। इसमें हम काफी सफल भी हुए हैं लेकिन अभी इसमें हमें बहुत कार्य करने है। हमारे प्रदेश में गांवों की संख्या लगभग 1 लाख 12 हजार है और इन सब में बिजली पहुंचानी है। 1992 के अन्त तक हम सभी गावों में बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, इसकेसाथ हीसाथऔरकार्यक्रम भी चल रहे हैं। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि बिजली का उत्पादन बढ़े और जो हमारी खराब मशीनें हैं उनमें कमी हो जिसे हम पोस्ट आऊटेजेज कहते हैं। मशीनें हमको अधिक से अधिक उपलब्ध हों ताकि उनका प्रयोग हम ज्यादा से ज्यदा कर सकें। आज विद्युतीकरण की आवश्यकता को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं समक्ष रहा है अपितु केन्द्र भी इसे समझ रहा है। इसलिये हमारे प्रधान मंत्री जी ने विद्युत से उत्पादन में बृद्धि हो, 7वीं योजना के तहत ऐसी धनराशि का प्राविधान किया है जिस साफ जाहिर होता है कि हम सब का एक ही लक्ष्य है किहम विद्युत की स्थापितक्षमता को बढ़ायें जिससे विद्युत की उपलब्धता बढ़े और वह उपभोक्ताओं तक सुचारू रूप से पहुंचे।...

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्तावकरताहूं कि अनुदान संख्या 10 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अभी मैं बड़े गौर से माननीय ऊर्जा मंत्री के बजट भाषण को सुन रहा था। वैसे तो इस प्रदेशमें आजक्या स्थिति है और विगत वर्षों से क्या स्थिति चल रही है, इससे सब अवगत हैं लेकिन जो बातें इन्होंने बतायीं वह तथ्य से परे और तथ्य से हटकर हैं। इसीलियेआज इसप्रदेश में,जो इस देश का सबसे विशालतम प्रदेश है, जो भारत का हृदय कहा जाता है,आज गरीबी की रेखा से नीचे 50 प्रतिशत लोग गुजर-बसर कर रहे हैं। इसका कारण यही हैकि विद्युत पर जो ध्यान देना चाहिए था, जितनी बिजली का विनियमन करना चाहिये था, वह नहीं कर पाये। जो इन्होंने लक्ष्य रखा है, उससे साफ साबित होता है कि आज भी इनका इरादा वह करने का नहीं है। इनकी मजबूरी है, यह पैसा मांगने जाते हैं प्लानिंग कमीशन से, यह मांगने गये थे 5040 करोड़रुपया सातवीं योजनाके लिये, किन्तु इनको मिला 3440 करीड़ रुपया। जो प्रारुप इन्होंने प्लानिंग कमीशन के सामने रखा था वह उसने माना नहीं। इसका कारण है कि जो इनकी क्षमता है वहसाफसाबित करती है, प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों ने कहा कि, इनके प्रधान मंत्री जिनका ये जिक्र करते हैं जो इनके लाडले गृह मंत्री आजकल हैं, कभी पावर मंत्री थे अरुण नेहरू, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है और इसी का नतीजा है कि आज हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।

आज ऊर्जा जन-जीवन से सीधे जुड़ी हुई है चाहे कृषि या उद्योग हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, आज ऊर्जा सबके-जन-जीवन से जुड़ी हुई है।

इसीलिये आज हमारे प्रदेश में, ये इन्ही के आंकड़े हैं, लगातार हम ह्रासा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बार-बार बात करते हैं, प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति की, प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं, कृषि को बढ़ाना चाहते हैं, कहां से बढ़ेगा जब उर्जा नहीं होगी, विद्युत नहीं होगी? जो आंकड़े दिये हैं इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि आज प्लाण्ट लोड फैक्टर इनका पूरे 85 का केवल 34 प्रतिशत रहा। जिस प्रदेश का प्लान्ट लोड फैक्टर केवल 34 प्रतिशत होगा, वह कहां जायगा? माननीय मुख्य मंत्री ने कहा और स्वयं माननीय ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि हम 55 प्रतिशत मार्च के अन्त तक प्लान्ट लोड फैक्टर ले जायेंगे, लेकिन मार्च चल रहा है आप स्वयं जानते हैं। इन्होंने बताया कि 42 प्रतिशत करेंगे, हमारे शासन में जनता और लोकदल के शासन में 42.6 का प्लाण्ट लोड फैक्टर था वहीं आज ये पूरा नहीं कर पाये हैं। आज इन्हीं की बात मान लीजिये तो 42.4 प्रतिशत जनवरी में हुआ है। जो एक कार्य जनता और लोकदल की सरकार करा गयी थी, वह अब तक यह पूरा नहीं कर पाये हैं।

मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में इनकी जो उपलब्धि रही है उस पर यदि आप दृष्टि करें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या कहा और क्या किया। आज यह क्या कह रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या करेंगे यह तो भविष्य में ही साबित हो जायेगा। इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में कहा था कि कुल 3,254 मेगावाट जो बिजली पैदा हो रही थी, तो इन्होंने इस योजना के दौरान 2,144 मेगावाट का लक्ष्य रखा था बिजली के उत्पादन का और पैदा किया 822 मेगावाट। उसमें भी करीब-करीब 90 मेगावाट की छोटी-छोटी इकाइयां बन्द कर दीं। जबकि लक्ष्य था 2,144 मेगावाट पैदा करने का और ये प्राप्त कर सके 772 मेगावाट जो इनके निर्धारित लक्ष्य का एक तिहाई रहा।

इसका कारण है कि आज हमारा प्रदेश लगातार अन्य प्रदेशों के मुकाबले में निरन्तर ह्रास की ओर, गरीबी की रेखा से नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।

इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा कि हमने लगभग 62 से 65 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया। इस प्रदेश में 1,12,565 गांव हैं, यदि इन्होंने 60 प्रतिशत गांवों में भी विद्युतीकरण कर दिया तो भी अभी 40 प्रतिशत गांव बच जाते हैं जिनका विद्युतीकरण करना है और जिस गति से विद्युतीकरण किया जा रहा है उससे तो शायद इस शताब्दी के अन्त तक भी सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंचपायेगी। किसी भी गांव में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। कहीं एक खम्भा गाड़ दिया गया और कहीं कहीं दस यह बीस खाभे लगा दिये गये। अभी मंत्री जी ने कहा कि हम लाइन बिछा कर बिजली लगा रहे हैं। जैसे एक गांव में 10 पुरवे हैं तो होता क्या है कि एक पुरवे में विद्युतीकरण कर दिया जाता है, बाकी पुरवे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और कागज पर लिख दिया जाता है कि सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण हो गया।

मंत्री जी किसानों की बात करते हैं। आप सोच लीजिये कि जनता-शासन-काल में किसानों से 12 प्रति हार्स पावर बिजली का रेट लिया जाता था और आज वही बिजली 22 1/2 रु0 प्रति हार्स पावर रेट पर किसानों को दी जा रही है। माननीय वर्माजी कह रहे हैं कि अब उसका रेट 27 रु0 प्रति हार्स पावर कर दिया गया और इस पर भी ये अपने को किसानों का समर्थक बतला रहे हैं?

आप यहां बैठे-बैठे हुकुम दे देते हैं, फरमान जारी कर देते हैं कि किसानों को दस घंटे प्रति दिन बिजली दी जाय, यह बात फाइल में आ गयी। लेकिन यदि गांव में जा कर देखें तो पता लगेगा कि बिजली अभी आयी और अभी गयी। बेचारे किसान का खेत दिन भर में एक बीघा भी नहीं

सिंच पाता है, लेकिन यहां इनका ऐलान हो जाता है और फरमान जारी हो जाता है लेकिन यह कोई देखने वाला नहीं है कि किसान को कितने घंटे बिजली मिल पाती है।

जब किसान शिकायत करता है तो कह देंगे कि तीन घंटे बिजली मिले तो समझे कि 27 रु0 पूरा हो गया। मैं अभी सहारनपुर गया था, पश्चिमी प्रदेश में मैंने देखा कि वहां शहरों में बिजली पांच-पांच घंटे नहीं थी, मैंने यहां आकर आप से शिकायत की, यह वहां की रोजमर्रा की बात है।

आप यह देखें कि जो आपने कहा है उसका कार्यान्वयन नीचे से हुआ भी है या नहीं। कहीं यह न हो कि आप जो घोषणा करें वह केवल ढपोर शंख की तरह ही न रह जाय बल्कि नीचे तक पहुंच जाय। देखने की बात यह है कि आपकी घोषणा किसानों तक पर प्लेट हो कर पहुंचे।

मान्यवर, इसी के साथ - साथ अगर आप यह देखें, जो अन्य प्रान्त है, उनसे तुलना करें तो पता चल जायेगा कि आप कहां पर खड़े हैं, प्रदेश कहां पर है प्रदेश की विकास की गति क्या है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं या मन्थर गति से बढ़ रहें है। क्या आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अगर आप निगाह उठाकर देखें, अन्य प्रदेशों की तुलना में आज भी आप पीछे है। इससे साफ जाहिर हो जायेगा कि जो आपकी गति है उस गति से आप इस प्रदेश को लक्ष्य तक नहीं ले जा सकेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब का परकैपिटा कंजम्पशन 336.52 है, हरियाणा का 256.59 है, गुजरात का 252.35 है, महाराष्ट्र का 250.60 है तामिलानडु का 179.59 है, कर्नाटक का 166.30 है, हिमाचलप्रदेश का 166.06, आन्ध्र प्रदेश का 133.82 और हमारा 106.86 है तो हम कहां पर खड़े हैं? जब आप विकास की बात कहते है प्रदेश को आगे ले जाने की बात कहते है तो अन्य प्रान्तों को भी आप देखे और जिस गति से चल रहें हैं, और देश की बात छोड़ दीजिए, केवल उन प्रान्तों तक कब तक पहुंच पायेंगे। इस चीज का आपको विश्लेषण करना चाहिये। और प्रदेश को आगे ले जाना है तो आपकी जो गति है इस गति को बदलना पड़ेगा आपको अपनी गति में तीव्रता लानी पड़ेगी, और नयी दिशा देनी पड़ेगी

मान्यवर, इसी तरह से इस प्रदेश में आज जितने निगम है उनका घाटा 46.19 अरब रुपये है जिनमें से विद्युत् परिषद् में लगी हुई पूंजी 34.36 अरब है। निगमों में अब तक का कुल घाटा 11.50 अरब है जिसमें से अकेले विद्युत् परिषद् में 8.56 अरब है। इसके लिये आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा आपने कहा कि हम दोषों को दूर करने की कोशिश करेंगे

इस बात से काम नहीं चलेगा कि आप कह दें कि कोयला अच्छा नहीं मिला इसलिये बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। आपके केन्द्रीय मंत्री श्री बसन्त साठे जब ओबरा गये थे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो आपको सही मानूं या बसन्त साठे को सही मानूं। उन्होंने कहा मान्यवर, अंग्रेजी में है आपकी आज्ञा से निवेदन कर दूं। 17 जनवरी को उन्होंने कहा---

"सम हाई लेबिल चेंजेज इन दि मैनेजमेन्ट आफ दि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन एशियाज विगेस्ट एण्ड इन्डियाज ओल्डेस्ट आर लाइकली टू बी मेड फिलोविंग दिज बर्ल बिन्ड टूअर आफ दि यूनियन मिनिस्टर आफ पावर एण्ड इनर्जी मिस्टर बसन्त साठे सेड हियर यस्टर्डे मि0 साठे सून आफ्टरहिज रिटर्न फ्राम इन्सपेक्शन आफ दि पावर प्लान्ट हेल्ड ए हाई लेबिल मीटिंग विथज जनरल मैनेजर्स आफ यू0 पी0 एस0 ई0 बी0"

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पुराना पावर स्टेशन है और यह भी कहा कि यहां का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण यह है कि यहां का प्रबन्ध ठीक नहीं है उन्होंने कहा---

"लेंटर ह्वाइल टाकिंग टू दिस करेसपान्डेन्ट, मि0 साठे सेड दैट दि मेन रिजन

बिहाइन्ड दि मिजरेबिल पर फार्मेन्स आफ दि प्रोस्टिटेजियस प्लान्ट वाज प्लेन एण्ड सिम्पिल मिसमनेजमेन्ट वाई ऐन इनाप्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन"

मान्यवर, फिर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, माननीय उर्जा मंत्री सदन में बार बार कहते है कि कोयला खराब होने के कारण हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते और उत्पदन नहीं कर पाते मान्यवर, श्री बंसन्त साठे, केन्द्रीय उर्जा मत्री ने कहा, "साइटेड दिइक्जाम्पिल आफ बिजयवाड़ा" तो उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा में 91 प्रतिशत विजयवाड़ा भी मान्यवर, उसी डिजाइन से बनाया गया है जिस डिजाइन से ओबरा का थर्मल पावर प्लान्ट बना हुआ है लेकिन इन्होंने कहा कि वहां 40 प्रतिशत ऐश वाला कोयला इस्तेमाल होता है हम यहां 34 प्रतिशत उत्पादन करें और आन्ध्र में 91 प्रतिशत तो मान्यवर, किसकी बात सही मानी जाय मान्यवर, उर्जा मंत्री की सही मानी जाये कि बसन्त साठे, केन्द्रीय मंत्री की सही मानू।

आपका कहना बार–बार यह होता है कि कोयला रद्दी मिलता है। आप देखें एन0 टी0 पी0 सी0 आपके बगल में है तो उसको आप कहते हैं कि अच्छा कोयला मिलता है जब हिंडालको की बात कहते हैं तो कहते हैं कि छोटा प्लान्ट है अब बिजयवाड़ा का उदाहरण दिया तो आप कहेंगे, मुझे नहीं मालूम है। सदन को आप बताऐंगे कि ईधन प्रमुख है कोयला की रद्दी किस्म की वजह से हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं। यह प्लान्ट इस डिजाइन के बनाये गये थे कि वह रद्दी कोयले में अच्छा उत्पादन कर सके। मान्यवर, संयोग की बात यह है कि पूरे देश में 2 विद्युत् परिषद् ऐसे ह एक आन्ध्र का और दूसरा कर्नाटक का है, जहां संयोग से विरोधी पार्टी की सरकार मौजूद है वहां विद्युत् परिषद् आज फायदे में चल रहा है। और संयोग से जहां आप जैसे विद विज्ञ और काबिल लोग है वहां पर कारण क्या है कि लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। 1979–80 में मान्यवर, आप दखें इस घाटे को, इसकी कहां से शुरूआत होकर कहां पहुंच रहा है तो आप स्वयं इस बात से सहमत होंगें कि इसमे कुछ विशेष काम करने की आवश्यकता है

मान्यवर आज इनका रेवन्यू जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि आज 250 करोड़ बाकी है मान्यवर, 1979-80 में मुझ याद है कि 66 करोड़ रुपये था और 66 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 250 करोड़ रुपये हो गया मान्यवर, हरसाल यह बढ़ता जाता है, यह क्यों बढ़ रहा है आखिर सरकार इस पर क्यों अंकुश नहीं लगाती ? क्यों वसूल नहीं कर पा रही है इसका कहीं विश्लेषण किया। मान्यवर, इन्होंने एक चीज सोची है कि टरिफ बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, उत्पादन तो बढ़ा नहीं सकते, वसूली कर नहीं पायेंगे तो इसके पास एक ही जरिया है कि टैक्स बढ़ा दीजिए

(2 बजकर 45 मिनट)

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि किस होशियारी से माननीय शास्त्री जी ने इस सदन में और बाहर भी कहा कि यह टैक्स आम जनता पर नहीं बढ़ाया गया और यह टैक्स गरीब आदमियों पर नहीं बढ़ाया गया, घरेलू बिजली पर नहीं बढ़ाया गया। इन्होंन घोषणा के बाद भी टैक्स बढ़ाया है कैसे बढ़ाया है, यह आप देखें जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उन पर लिफ्ट इरीगैशन से जो नहर चलती है उसपर और जो विश्व बैंक से पोषित नलकूप ह उन पर इन्होंने बिजली का टैक्स बढ़ा दिया। मान्यवर, आप देखेंगे कि इसकी वहज से आने वाले दिनों में किसानों को ट्यूबवेल का पानी महंगा मिलेगा यह 50 रुपया प्रति हार्स पावर था और अब 78 रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया। इन सब से यह पता चलता है कि जब यह सत्र समाप्त होगा तो उसके बाद यह घोषणा होगी कि विश्व बक से पोषित नलकूपों पर बिजली का रेट बढ़ा दिया गया और लिफ्ट इरीगैशन से जो पानी मिलता है उसका रेट बढ़ जायेगा। शास्त्री जी ने बड़ी होशियारी से इस बात को कहा। बहुत से सदस्य इस बात से अवगत नहीं हैं।

ठीक है। हम जानते हैं कि आप किसान विरोधी हैं और उसका विरोध करके ही आपको चैन मिलता है।

इन्होंने कहा कि हम हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज तक इस प्रदेश में कुल कितनी हरिजन बस्तियां हैं, यही बता दें अपने जवाब में। जब कि आप यह बता रहे हैं कि लक्ष्य यह है तो यह बता दें कि कुल कितनी हरिजन बस्तियां हैं, यह विद्युत् परिषद् को मालूम नहीं है .... (व्यवधान) आपके कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके आप राज्य मंत्री हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूं। आप बता दें कि हरिजन बस्तियों में कितने खम्भे, लगते हैं। आप स्वयं जानते होंगे कि 5 खम्भों में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हो जाता है चाहे वह 400 की बस्ती हो या 500 की। हरिजनों को आप पांच हजार रुपया देते हैं। वह कैसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, इसकी आप को चिन्ता नहीं है। काम चला दिया जाता है और अखबारों में निकाल दिया जाता है कि विद्युतीकरण हरिजन बस्तियों में हो गया। जिन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है उस गांव के माजरे छूटे हुये हैं। इस तरह से जो 21वीं सदी में भी विद्युतीकरण हो पायेगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन 21वीं सदी के बाद इस तरह से हो पायेगा। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में स्पष्ट करेंगे कि जिन गांवों में विद्युतीकरण हो गया है और उनके माजरे और हेलमेट छूटे हुये हैं वे भी इसी शताब्दी में हो जायेंगे या 21वी सदी का इन्तजार करना पड़ेगा।

इसी के साथ-साथ इस प्रदेश में आपके विद्युत् परिषद् की जो क्षमता होनी चाहिये, वह नहीं है। इन्होंने एक अच्छा काम किया है और उसकी वजह से इनकी गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी, वह चलने लगी है चाहे वह मन्थर ही क्यों न हो। वह डीरेल्ड हो गई थी। एक आदमी की वजह से उस चेयरमैन की वजह से मि0 शाह की वजह से, चाहे मंथर गति से ही सही लेकिन चलने लगी है। जो आज बिजली हमें मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है यह एन0टी0पी0सी0 सिंगरौली, अगर वह न होता तो हमें अंधकार में रहना पड़ता उससें 246 मिलियन यूनिट अप्रैल, 85 में खरीदने का इस्टीमेट रख दिया जिस पर आपका 348.12 करोड़ रुपया खर्च आया तो यह अप्रैल 85 से लेकर फरवरी 86 तक खरीदा। तो इस प्रकार ढाई तीन सौ करोड़ की बिजली खरीदी। यह ठीक है कि आपका उसमें शेयर है लेकिन उसके लिये पैसा तो देना ही पड़ता है वह कोई मुफ्त तो बिजली दें नहीं देते।

आपने कहा है कि प्लाट का नवीनीकरण कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है इसके लिये आपने 146 करोड़ रुपया दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह काम शुरू हो गया है, क्या वह काम उसी तरह से चल रहा है जैसे टांडा या आनपारा अथवा ऊंचाहार में चल रहा है। क्या उसी गति से यह काम हो रहा है। विद्युत् में हमारे प्रदेश का सबसे पिछड़ा होने का कारण यह है कि जितनी पूंजी विनियमन हमें करना चाहिये वह हम नहीं कर पाये। जो योजनाओं को पूरा करने का समय था उसमें हम कर नहीं पाये तो जब समय पर बना नहीं पाये तो उसमें अरबों खरबों रुपया खर्च और बढ़ गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम निकट भविष्य में बहुत सी योजनायें शुरू करने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप स्वयं जानते है कि तापीय के साथ-साथ जल विद्युत् योजनाओं पर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो उसमें हमें ज्यादा सफलता मिल सकती है। लेकिन उसमें हमारी स्थिति क्या है कि एक हजार करोड़ की हमारी टेहरी बांध की योजना जो है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान जो देना था वह नहीं दिया। इसलिये वह योजना लटकती जा रही है। वह एक हजार के बदले आने वाले समय में 5 हजार करोड़ खर्च हो जायेगा। आपके पास संसाधन नहीं है, केन्द्र सरकार आपको दे नहीं रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं जैसे एन0टी0पी0सी0 ने अपने बोंडस चलाये हैं आप भी चला दें तो देखें कि आपको

हजार, दो हजार करोड़ रुपया मिल जायेगा लेकिन आप पपीहा की तरह देखे रहे हैं कि स्वाती का पानी कब गिरे और कब आपकी प्यास बुझे। दिल्ली की सरकार पर आप हाथ जोड़े खड़े हैं। 5 हजार मागेंगे तो 34 सौ मिलेगा नतीजा क्या होगा कि 9 सौ करोड़ लगाना था तो 7 सौ लगा पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता जनता पार्टी अभी आप और कितना समय लेंगे ? अभी आपको रिप्लाई में भी समय मिलेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैंने कितना समय लिया मुझे नहीं मालूम ? लेकिन आप जितना समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

5 मिनट और ले लीजिये बाद में भी समय मिलेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

ठीक है। मान्यवर, जरा आप देखें जो हमारे उर्जा मंत्री हैं इनकी परिषद् ने यह फीगर्स बनाई हैं कि कितना उत्पादन करना था और कितना इन्होंने किया है ? मान्यवर, इन्होंने लक्ष्य बनाया था अप्रैल 85 में 918 मिलियन यूनिट बिजली का और उत्पादन किया 835 मिलियिन यूनिट, मई 1985 को 1020 मिलियिन यूनिट का लक्ष्य था और 985 मिलियन यूनिट का किया। इसी तरह से जो लक्ष्य रखा है उसको इन्होंने प्राप्त नहीं किया है और जब लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो आज विडम्बना है, आज जो स्थिति है वह इसीलिये है।

मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था और श्री सुनील शास्त्री ने भी कहा था कि मार्च के अन्त तक 55 प्रतिशत लोड फैक्टर प्रदेश का हो जायेगा। 50 प्रतिशत की बात कही है। तो यह लक्ष्य की प्राप्ति मार्च तक कर लेंगे, जैसा आपने कहा, तो फिर बिजली की कमी आने वाली गर्मी में नहीं होगी। गर्मी में कम से कम लोग पंखे में रह पायेंगे। गरीब आदमी इस भीषण गर्मी से बच सकेगा। मान्यवर, 55 प्रतिशत की बात छोड़ दें क्या 52 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति मार्च तक आप प्राप्त कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप प्रदेश को एक नई दिशा दें और पिटी पिटाई लकीरों से हटकर, मुझे उम्मीद है कि ऊर्जा मंत्री जी इस सदन में आज घोषणा करेंगे और वह केवल घोषणा के लिये नहीं बल्कि आने वाले दिनों में वह दिखाई पड़े कि इस प्रदेश को "तमसों मा ज्योतिगमे" से निकलकर एक ऐसा दीप जलायेंगे जो पूरे प्रदेश को प्रज्वलित कर सके और रोशनी दे सके।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

अधिष्ठाता महोदय, आज विद्युत मंत्री ने जो बजट पेश किया है और उसमें अपनी तकरीर में उन्होंने बताया कि अब बिजली की हालत बेहतर होती जा रही है और सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है, मैं उनके इस ख्याल से सहमत हूं चूंकि पहले से अब बिजली की हालत बेहतर है। लेकिन जनाबेआला अब भी बिजली की बहुत कमी है। मुझे अपने क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि गांवों में लोगों को कितनी तकलीफ है जहां बिजली नहीं है। मेरे जनपद हरदोई क्षेत्र संडीला तहसील में 416 गांव हैं और उनमें से 300 से ऊपर गांव मेरे क्षेत्र में हैं जिनके संबंध में अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि इन 300 से ऊपर गावों में मुश्किल से 15-16 गांवों में बिजली है, तो अब मेरे यहां यह पोजीशन है तो इसको देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि बिजली की पोजीशन ठीक होती जा रही है। मेरे ख्याल से इस मामले में बिजली विभाग को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि बिजली की समस्या बेहतर हो सके।

जनाबेआली, मैं सुनती हूं कि एक नियम है कि जिस गांव के पास से बिजली के तार निकल जाते हैं तो समझा जाता है कि वह गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। यह इतनी गुमराह करने वाली बात है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इससे

सरकार अपने आंकड़े में तो दिखाती है कि इतने ज्यादा गांवों में बिजली हो गई लेकिन बाकिया यह है कि वहां उन गांवों में बिजली नहीं जाती है। और इससे जो तकलीफ होती है। आज हरिजन बस्तियों में बहुत कम बिजली है। हालांकि यह सरकार का आदेश है कि हरिजन बस्तियों में बिजली जरूर लगनी चाहिये। यह भी हुआ था एलेक्शन के जमाने में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत से खम्भे वहां लगाये गये थे किन्तु बाद में वह रफ्ता-रफ्ता उठा लिए गये और वहां बिजली नही आई और जो उम्मीदें थी वह भी खत्म हो गई। इसलिये मैं अर्ज करना चाहती हूं कि बिजली के मामले में जरूर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जहां खम्भे लग गये हैं वहांबिजली जरूर पहुंच जाए। देहात के रकबे में यह कानून है अपने संडीले के बारे में तो मैं जानती हूं एक हफ्ता में 9 बजे से 6 बजे शाम तक और दूसरे हफ्ते में 6 बजे रात से 9 बजे सुबह तक बिजली दी जाती है ट्यूब-वेल और कारखानों के लिये लेकिन जहां भी बस्तियां है वहां घरेलू कार्य के लिये नहीं दी जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग बिलकुल निराश रहते हैं उनको बिजली नहीं मिलती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो फेज बिजली हो जाए देहातों में तो उससे फायदा होगा कि वहां बिजली चौबीसों घंटे आएगी और जिस वक्त जरूरत होगी लोग बिजली ले सकते हैं। इससे एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि आज जो बिजली के तारों की चोरी होती है वह भी थोड़ी रुक जाएगी। क्योंकि जब खम्भे और तार में करेन्ट रहेगी तो तार की चोरी करने में चोरों के लिए बड़ा मुश्किल और बड़े खतरेवाला काम होगा। तो मंत्री जी इस तरफ कोशिश करें और इस तरफ ज्यादा ध्यान दें।

मेरे क्षेत्र में गौस गंज से कछौना तक खम्भे लगे हुए हैं वहां पर अभी तक बिजली नहीं आई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह से और भी वहां पर बहुत से गांव हैं वहां बिजली के खम्भे लगे हुए हैं लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई है। इसलिये जहां खम्भे हैं वहां बिजली जरूर लगाई जाए। इसके साथ इस अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी चन्द दरख्वास्त कर सकी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

इतना महत्वपूर्ण यह बजट डिस्कस हो रहा है किन्तु जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा था वह माननीय सदस्यों के विचार सुनने के लिये यहां नहीं हैं तो आप उनको अवश्य बुलवा लें।

श्री अधिष्ठाता--

वह किसी जरूरी काम से गये हैं। आते होंगे। हमारे पास बोलने वालों की काफी लम्बी लिस्ट है। मैं समझता हूं कि 5-5 मिनट काफी होंगे।

श्री धनराज यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अवसर दिया आपका आभारी हूं और मंत्री जी के ध्यान में आपके मार्फत में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बिजली बोर्ड में लगातार होने वाले घाटे का कारण बिजली की चोरी है।

गांवों में असरदार लोग धड़ल्ले से चोरी से बिजली जलाते हैं और कनेक्शन नहीं लेते और आपके इंस्पेक्टर उस गलत आदमी के यहां बैठकर चाय पीते हैं। किन्तु जो छोटे छोटे लोग अपने घर के लिये और छोटे छोटे उद्योग के लिये बिजली कनेक्शन लेना चाहता हैं बिजली का पैसा देना चाहते हैं उनको यह लोग सालों दौड़ाते हैं और बिना रिश्वत लिए उनको कनेक्शन नहीं देते। आप तो बड़े समझदार हैं मेरा निवेदन मानें और आप कुछ सरप्राइज चेकिंग करें। अगर पूरे प्रदेश में एक दो जगह चेकिंग करेंगे तो पूरा प्रदेश सतर्क हो जायगा माननीय मंत्री जी आपके चेकिंग करने की जरूरत है तभी बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सिंचाई के लिये बिजली सस्ती दर पर देने की कोशिश करें। आप कुछ

तो हिसाब लगाइये कि अनाज पैदा करने में कितना पैसा लगता है इसलिये किसानों को सिचाई के लिये बिजली सस्ती दें। इसी तरह से जो छोटे उद्योग हैं उनको भी बिजली सस्ती दर पर दें। मैं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की बात करना चाहता हूं। मैं बस्ती जिले का हूं और माननीय मंत्री जी आप भी पड़ोस से ही निर्वाचित होकर आये हैं। बस्ती जिले में बर्डपुर बाजार है वहां पर एक तिलकपुर हरिजन बस्ती है। वहां पर 150 हरिजनों के घर हैं वहां उस गांव में बिजली गयी थी। लेकिन बिजली विभाग के एक इंस-पेक्टर गये और 100–150 मीटर तार वहां से निकाल कर ले गये। 6 महीने शिकायत करते करते हो गया अभी तक वह तार नहीं लगा था इस समय लग गया होतो मैं नहीं कह सकता मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि नौगढ़ में पहले एस0 डी0 ओ0 कार्यालय था अब नहीं हैं। लोगों को बांसी और बस्ती जाकर अपनी आवश्यकता कहनी पड़ती है और बिजली की सेवा लेनी पड़ती है। इससे बड़ी असुविधा होती है आप इसका निराकरण करें। नौगढ़ में एस0 डी0 ओ0 कार्यालय पुन: स्थापित करें। नौगढ़ एक अन्तराष्ट्रीय महत्व का स्थान है नौगढ़ के निकट कपिलवस्तु और लुंबिनी नामक बौद्ध तीर्थ स्थान हैं वहां पर दुनियां के तमाम विदेशी पर्यटक आते हैं। आप एक आदेश कर दें कि नौगढ़ में 24 घंटे बिजली दी जाय इससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आप अपने सुझाव लिखकर भेज दीजिये।

श्री धनराज यादव––

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि बर्डपुर में विद्युत् विभाग का एक सब-स्टेशन कायम होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल––

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हू। मान्यवर माननीय, ऊर्जा मत्री जी ने जो ऊर्जा विभाग का बजट रखा है उस पर माननीय रेवती रमण सिंह ने जो भूतपूर्व ऊर्जा मत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। दोनों लोगों की बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना, तो मान्यवर, मुझे यह मालम हुआ कि कुंवर रेवती रमण जी ने केवल विरोध करने हेतु ही कटौती का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कोई दमदार सुझाव नहीं दिया कि इस प्रकार से विभाग की कार्यकुशलता बढ़ायी जाय। जितने आंकड़े उर्जा मंत्री जी ने रखे उतने उन्होंने पढ़ दिये और कोई नयी बात नहीं कही ताकि यह विभाग गति प्राप्त कर सके। उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया कि किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन वह चाहते हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि उनके पास कोई ठोस सुझाव नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों में स्वीकार किया कि जबसे अध्यक्ष जी आये है तबसे हमारी विद्युत परिषद उन्नति की तरफ बढ़ रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा वह बेमानी और बेमेल है। उन्होंने बड़े जोर शोर से इस बात की घोषणा की कि ग्रामीण विद्युतीकरण का हमारा काम उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिये। हम मानते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है हमारे पास वित्तीय संसाधन कम हैं और हमारा प्रदेश बड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि सन 80 में जिस वक्त एक घिसीपिटी दिवा-लिया सरकार कांग्रेस पार्टी को सौपी गयी थी और हिन्दुस्तान तथा उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दुत्कार दिया था उस समय 38577 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था और आज 1–2–86 तक 65469 गांवों का विद्युती-करण हो गया है तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, 1 लाख 12 हजार 568 गांव रेवेन्यू हमारे प्रदश में है। तो यह मान्यवर,

इतना बड़ा काम है, जिसके लिये मैं अपने ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री एवं इससे संबंधित अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने इतने समय में बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मार्च, 80 में हरिजन बस्तियों के लिये 14 हजार 14 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था जब कि हमारी सरकार ने 1–2–86 तक 32 हजार 34 गांवों का विद्युतीकरण किया है अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार मार्च, 80 में कुल गांवों का जो विद्युतीकरण किया गया है वह है 30,577 जबकि इस सरकार द्वारा फरवरी 86 तक 65,489 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। अप्रैल, 80 में निजी नलकूप जो इनकी दिवाले वाली सरकार ने लगाये वह 3,44,135 है। जबकि कांग्रेस शासन में फरवरी 1986 तक 5,01,060 निजी नलकूप लगवाए। इसी प्रकार से मान्यवर, राजकीयनलकूप इस राज्य में 25,856 लगवाये गये। इसी प्रकार से आगे बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस सरकार ने विद्युतीकरण की जो योजना बनाई है वह 1990 तक तो 80 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण, कर दिया जायेगा और 1992 में शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा और मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी जो अन्य प्रदेशों कीबात विद्युतीकरण की शत-प्रतिशत की बात कह रहे थे, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हरियाणामें केवल 673 गांव है, पंजाब में 12,188 गांव है तामिलनाडु में 15,733 गांव हैं इसी प्रकार से केरल में 1268 गांव हैं और इनका कुल योग 35,922 गांव हैं। जबकि इतने गांवों का विद्युतीकरण हमारे प्रदेश में वर्ष 1979–80 में ही हो गया था। माननीय रेवती रमण जी ने किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाये है इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि बिजली की लागत प्रति यूनिट 81.66 पैसा है जबकि किसानों को 26.50 पैसा प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध करायी जा रही है जो किसान ही नहीं उसकीपैदावारके कीर्तमान में भी पूरी सहयोग है, जो अपने आप में एक कीर्तमान है। इस लिये इन चारों प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के विद्युतीकरण के मुकाबला करने का कोईऔचित्यनहीं है। साथ ही मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित दो -एक सुझाव रखते हुए यहां बतानाचाहता हूं कि हमारे यहां जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है उनमें हमारा विद्युत परिषद मीटर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र क लोग बिजली चोरी करने के लिये बाध्य हो जाते हैं।

इसलिये मेरा इस ओर सुझाव यह है कि या तो वहां पर मीटर की उपलब्धता कराई जाय अन्यथा प्रति घर के ऊपर एक मुश्त (फिक्स टरिफ) धनराशि तय कर दी जाय जिससे रेवन्यू भी बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरी भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का हार्दिक स्वस्गत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

मा0अधिष्ठाता महोदय, में आपका आभारी हूं कि आपने मा0 रेवती रमण सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह मेरा यकीन ह कि अगर बिजली की चोरी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाये और यह नियंत्रण बराबर बनाये रखें तो बिजली की कमी नहीं है। मान्यवर, मैं गाजियाबाद जिले से आता हूं वहां पर इस सिलसिले में कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आप भी यह महसूस करेंगे कि हां, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी हो रही है। मान्यवर, इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में जो आज वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण परे एक करोड़ रु0 की बिजली की चोरी गाजियाबादमें होती है प्रति माह में और मान्यवर, यही नहीं जो लोग वहां पर काम कर रहे है उनमें एक बी0एस0नेगी है सहायक अभियन्ता एक निविदा के, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर आज 6 मुकदमे और कुछ मामले विभागीय भी चल रहे हैं, परन्तु उनके खिलाफ आज तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ। दूसरे एक साहब हैं, ए0 के0 मल्होत्रा, जिनकी प्रति माह की आमदनी लगभग 50 हजार रु0 है।

मान्यवर, इन्हीं के विभाग के सतर्कता विभाग द्वारा रजिस्टर्ड 6 मुकदमे श्री बी0 एस0 नेगी के विरुद्ध हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्री एस0 एस0 अग्रवाल एक हैं जो कि इन्हीं के आदेशों के अनुसार मीटर रीडिंग और मीटर चोरी में पकड़े गये और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और इन्हें हटाया गया। मान्यवर, मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियरिंग, जी0 टी0 रोड, ज्ञानी वार्डर, गाजियाबाद, हिन्दुस्तान चेन लिमिटेड, इन्द्रा क्राफ्ट प्रा0 लि0 और ओल्ड विलेज प्रा0 लि0 ये दो फैक्टरियां हैं और दोनों एक दूसरे का तार बदल करके बिजली की चोरी करते हैं। मेसर्स बाबिन इंडिया लि0, मेसर्स ब्रिटिश मोटर्स, मेसर्स हेमकुन्ड स्टील, लि0, जगदीश पेपर मिल कमल गैसेज, मेसर्स साहिबाबाद डाइंग, कैपरी इन्टरनेशनल, पंकज गैसेज और मनीस पेपर मिल, हापुड़िया पेपर मिल आदि जो हैं, साहिबाबाद में ये सब हैं, इनके द्वारा चोरी करना श्री ए0 के0 मल्होत्रा की जानकारी में है और 12 वर्षों से वे गाजियाबाद में टिके हैं और इन्हें हटाने की इच्छा शक्ति आप में है नहीं। इसी तरह मोदीनगर और गाजियाबाद, साहिबाबाद मोहन नगर, परतापुर आदि में जबरदस्त तरीके से चोरियां हो रही हैं और इन चोरियों की वजह केवल आप के कर्मचारी ही हैं। नोएडा के चेयरमैन श्री योगेश चन्द्र ने आप से और आपके विभाग से कहा था कि उन्हें एक जगह बिजली देदी जाय और उन्होंने इस संबंध में टाटा से भी बात की थी, जिससे कि बिजली का वह कुछ डिस्ट्रिब्यूशन कर सकें। उन्होंने तो यहां तक भी कहा था कि बिजली की चोरी की वजह से हमें धरना देना पड़ेगा। नोएडा में भी बिजली की चोरियों का ताता लगा है और वहां के इन्टर प्रेन्योर्स बेहद परेशान हैं कि वह विभाग वालों को पैसा दे या अपनी इन्डस्ट्री चलाये।

मान्यवर, एन0 टी0 पी0 सी0 प्रापोज्ड थी मुरादाबाद में लेकिन अब उसका स्थानान्तरण दादरी मेरे क्षेत्र में हो रहा है। वहां पर 90 प्रतिशत बैरन लैण्ड है और वहां पर पर्यावरण विभाग वालों ने भी अनुमति दे दी है और वहां पर सारी सुविधायें नहर और रेल की उपलब्ध हैं। कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्थानान्तरण को तुरन्त कार्यान्वित कराने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रेवतीरमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रीना कुमारी—

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, मैं विद्युत विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। विद्युत आज हमारे जीवन का एक अंग है। असली बात तो यह है कि हमारी सभ्यता भी विद्युत के ऊपर टिकी हुई है। इससे पहले कि हम लोग विद्युत विभाग की आलोचना करें, उसकी कमियां निकालें, हमको यह सोच लेना चाहिये कि विद्युत विभाग की अपनी परेशानियां भी हैं। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूं, खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने विद्युत विभाग में इतना सुधार लाये हैं। मान्यवर, जो प्लाट लोड फैक्टर 25 प्रतिशत का था, उसे 45 प्रतिशत पर लाकर, 50 प्रतिशत पर लाने के लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं।

एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि जो डिस्ट्रिब्यूशन में इतनी चोरी हो रही है, उसके लिये सरकार को जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय सोचना चाहिये, क्योंकि यह चोरी खासकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से होती है। लाइन लासेज जो कि 20 प्रतिशत के लगभग है, वह डिस्ट्रिब्यूशन की चोरी की वजह से होता है इसको हमें 15 प्रतिशत पर अवश्य लाना होगा। हमको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है। डिस्ट्रिब्यूशन में जो चोरी है, उसको रोकना है, तभी हमारा प्रदेश उजाले की

ओर बढ़ सकता है। मैं देहात से चुनकर आई हूं। वहां पर एक बहुत बड़ी कमी यह है कि एक-दो गांवों में एकाध लोग खम्भा लगा दिया जाता है, खंम्भा गाड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि विद्युतीकरण हो गया है। एक दो पोल लगाने से पूरे गांव का विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को एक गांव में पूरा विद्युतीकरण करके उसके बाद ही दूसरा गाव लेना चाहिये। अधिकतम उत्पादन ताप बिजली घरों के द्वारा किया जा रहा है जो कि मिर्जापुर जिले के एक छोटे से हिस्से में स्थित है जो कि इन्डस्ट्रियल रिलेशन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है क्योंकि एक प्रोजेक्ट की लेबर परेशानी बड़ी आसानी से राबर में लगे प्रोजेक्ट पर असर डाल सकती है। यह डिफेन्स स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी उचित नहीं होगा फिर बिजली घरों में टूट फूट होती रहती है।

यहां मैं देश और प्रदेश की सरकार की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने बीमार मशीनों के मार्डेनाइजेशन हेतु धन आवंटित किया है। अब आगे की रणनीति में अलकनन्दा नदी पर शीघ्र से शीघ्र जल विद्युत गृह बना देना चाहिये। जल विद्युत गृह बन जायं तो खर्चा कम होता है दूसरे कम स्टाफ से, कम कर्मचारियों से इसमें कार्य हो सकता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसे खजाने को नहीं लूटने देगा जो कि इतनी भारी पानी के पोटेंशियल के वेस्टेज द्वारा हो रहा है भले ही जल विद्युत घरों के इम्प्लीमेंटेशन में अधिक समय लगता हो लेकिन कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इसे जल्द से जल्द शुरू करवाना ही चाहिये। धन्यवाद।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया मैं उसका समर्थन करता हूं और ऊर्जा विभाग की तरफ से आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है और जो साहित्य उपलब्ध कराया गया है उसमें विद्युत मांग और उपलब्धता के आधार पर दिखाया गया है कि 1985-90 के आखिर तक 6052 मेगावाट की मांग रहेगी। इसमें 4330 मेगावाट की उपलब्धता होगी तथा 1722 मेगावाट की कमी रहेगी। यह 1722 मेगावाट की कमी सरकार कैसे पूरा करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसके अलावा जहां तक राजस्व बकाये के बारे में, बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी है कि विद्युत परिषद के पास कई विभागों का राजस्व का बकाया है। मार्च 1984 की तुलना में लगभग दोगुना वृद्धि हुई है। इसमें राजस्व का 47 प्रतिशत बकाया है। इस बात से साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग विद्युत परिषद् को पूरा का पुरा सहयोग नहीं दे रहे हैं। सरकारी विभाग विद्युत परिषद् के राजस्व की अदायगी नहीं कर पा रहे है। इससे ज्यादा निन्दनीय बात और क्या हो सकती है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, यह 1986-87 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने जा रहे है। जहां तक मुझे जानकारी है जिलों में 4084 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है और जो तापीय विद्युत है, 1550 मेगावाट की है। जहां तक ओबरा का सवाल है, उसमें मान्यवर 1000 या 1200 मेगावाट से ज्यादा तो मशीने काम ही नहीं कर पातीं और जितना चाहे परीक्षा ले लें, परन्तु उनकी क्षमता 2600 के आस-पास ही है। इसमें 2000 से ज्यादा मेगावाट का काम नहीं हो पा रहा है। प्लान्ट लोडफैक्टर की बात कही गयी है। इसमें 33 सैकड़ा, 35 सैकड़ा, 40 सैकड़ा प्लान्ट रोड फैक्टर जा रहा है तो यह बहुत ही सोचने की बात है। जबतक प्लान्ट रोड फैक्टर नहीं बढ़ेगा तब तक बिजली की कीमत घट नहीं सकती है। यह डिकलाइंग इन्डस्ट्री है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप उत्पादन को नहीं बढ़ायेंगे, बिजली का दाम आप रोक नहीं पायेंगे। अभी कुछ दिनों पहले उदयोगों पर बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया। प्रदेश के उद्योगों में बिजली की मंहगाई से उत्पादन में कमी होती है। तो यह प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण होगा

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योगों को विकास के आधार पर बिजली दी जाती है, कटौती करने के बजाय आपने बढ़ा दिया, इसके से विकास की गति रुक जायेगी। मान्यवर मैं आपका ध्यान बिजली विभाग में जो बिलिंग के लिये कंप्यूटर लगाये गये है, उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। बनारस में अभी दो दिन पहले एक आदमी का दो महीने का बिल 6 लाख का आ गया। जब वह दफ्तर में गया तो उसका बिल 36 रुपये का था। यह बिलिंग प्रणाली जो आपकी है इसको आप ठीक करें। यह अगर ठीक नहीं रहेगी तो उपभोक्ता परेशान होगा। जो तेल की चोरी आपके विद्युत गृहों में हो रही है, चाहे ओबरा हो, चाहे परीक्षा हो, हर जगह तेल का रिसाव जबरदस्त पैमाने पर हो रहा है। आपको हो रहा है। करोड़ों रुपया प्रदेश की गरीब जनता का केवल तेल पर बरबाद हो रहा है आपको एक जांच आयोग बैठाकर इसकी जांच करनी चाहिये।

मैं आपका ध्यान बनारस की तरफ ले ले जाना चाहूंगा, मंत्री जी वहां से संबंधित ह और विद्युत परिषद के अयध्यक्ष भी बनारस से संबंधित है बनारस की हालत खराब है। 40 ट्रांसफार्मरों की मांग की गई थी जब कि केवल 12 या 16 ट्रांसफार्मर दिये गये हैं। वहां की लाइने 15–20 साल पुरानी हैं। वहां लाइन पर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिये, विद्युत परिषद उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में देकर देखिये बिजली का हाल ठीक हो सकता है। इसी के साथ मैं रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार––

माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट और मणि जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे उम्मीद थी कि भूतपूर्व उर्जा मंत्री जी अपने भाषण कुछ ऐसी बातें कहेंगे, जिससे वर्तमान ऊर्जा मंत्री को सहायता मिलेगी और विद्युत परिषद के मनेजमेंट को वह ठीक कर सकेंगे। आलोचना की बात है इससे तो हम सब पारिचित है, और विद्युत परिषद की कमियों को रोज ही उजागर करते रहते है। हमारे माननीय मंत्री जी भी उन कमियों से अवगत हैं। परन्तु कटौती के प्रस्ताव में रचनात्मक बातें आती, जिससे विद्युत परिषद को वास्तव में सुधार हो पाता तो ज्यादा ठीक होता है। मैं पिछले वर्ष के कार्यकलाप की तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहूंगा। जो प्लान्ट लोड फैक्टर पिछले साल इसी अवधि में था उसमें आज आज की अवधि में 8-10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यह सन्तुष्टि के काबिल नहीं ह क्योंकि हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक लक्ष्य प्राप्ति का सवाल है, ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हो, पारेषण का लक्ष्य हो, पिछले 4 वर्षों को आप देखे, जो साहित्य उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्धरण भी दिया गया, लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई है। 84–85 में इसमें थोड़ी कमी आयी है लेकिन इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि विद्युत परिषद की तरफ से कमी रही, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो आर0 ई0 सी0 10 करोड़ रुपया मिलना था उसमें केवल 50 करोड़ रुपया मिल पाया। अब जो उपलब्ध हुआ है, आने वाले महीनों में उससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने कंम्यूटर के बारे में कहा कि 6 लाख का बिल आ गया। मैं नहीं कहता कि नहीं आया। 6 लाख का बिल आ जायेगा तो हर आदमी उसकी त्रुटिपूर्ण समझेगा। कोई भी नयी तकनीक लायेंगे, इस हाल में जो विद्युत दौड़ रही है और बाहर दूसरी जगहों पर दौड़ रही है, इसको हर आदमी नहीं चला सकता। मेरे जैसे नासमझ आदमी को तो तुरन्त करेंट लग जायगा। तो कम्प्यूटर प्रणाली अभी इन्ट्रोड्यूस हुई है। उसमें काफी कमियां सामने आयेंगी। लेकिन 22 लाख उपभोक्ताओं वाले इस प्रदेश में उनके बिल, शुरू करने के पहले की तारीख ली जाय तो 6 महीने का गैप है और यहां पर परिषद में पहुंचने के लिये कि कितनी विद्युत की सप्लाई हुई और कितनी विद्युत का राजस्व प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी परिषद का काम चलाने के लिये डाटा एकत्रित करने

के लिये कम्प्यूटर नहीं लगायेंगे तो परिष, को नहीं चला पायेंगे। यही नहीं श्रीमन्, जहां कम्प्यूटर की बात है, जिस गलती की ओर मा0 सदस्य ने उल्लेख किया, उसमें में सुधार किया जा रहा है। एक खण्ड में पहले ही वह प्रणाली लागू कर दी गयी है कि किसी उपभोक्ता का कम्प्यूटर का बिल ज्यादा हो जाय या बिल्कुल प्राप्त न हो तो पहले के 6 महीनों का औसत निकाल कर बिल भेजने का प्राविधान कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी उपभोक्ताओं पर यह प्रणाली लागू की जायगी, जिससे किसी को शिकायत नहीं रहेगी।

श्रीमन्, ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युत् करण में हमारे सामने बहुत कठिनाइयां हैं। यहां के गांव काफी दूर दूर बसे हुये हैं। कपिल साहब ने हरियाणा के गांवों की बात बताई, वहां के गावों की जनसंख्या पांच पांच हजार है, जबकि हमारे यहां के गांवों की जन संख्या कम है। वहां एक लाइन दो किलोमीटर की बनाने पर पूरे गांव को बिजलीप्राप्त हो जाती है। हमारे यहां गांवों में 500-700 से औसत ज्यादा आबादी नहीं है गांव भी दूर दूर है अतः कई किलोमीटर की लाइने उतनी ही आबादी को लाभान्वित करने हेतु गांवों के विद्युतीकरण के लिये डालनी पड़ती है। यह मंत्री जी का दोष नहीं है। गांव छोटी आबादी की संख्या में बसे हैं। यही कमी पारेषण की कठिनाइयों को भी पैदा करती है। जितनी अधिक लाइनें होंगी उतने ही डिफेक्ट बीच में आयेंगे। वैसे अधिक से अधिक गांवों में विद्युतीकरण हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से यदि सरकार करना चाहती है क्योंकि खर्च ज्यादा आ रहा है तो इस पर गौर करे। आपने दो फेज की बिजली देने का प्राविधान किया है। उसे पूरी रात्रि के लिये दिया जाय क्योंकि बहुत भारी लोड ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। उसमें इतना भारी लोड नहीं है तो सारी रात के लिये आप दे देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन लेंगे। जो ग्रामीण उपभोक्ता कनेक्शन लेना चाहते है उनके लिये मीटर उपलब्ध नहीं है। इसलिये उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। आप उनके लिये सीधी लाइन डाल दें और फ्लेटरेट से बिल दें जब मीटर उपलब्ध हो परन्तु दे दें और इस बीच में वसूली के लिये दूसरा सिस्टम लागू कर दें। इससे राजस्व बढ़ेगा और ग्रामीण विद्युतीकरण की हानि कम होगी। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के जो नलकूप है यदि उनको रात्रि में बिजली देते है तो 6 घंटे की बिजली से 3 घंटे की बिजली के बराबर सिंचाई होती है। यह समस्या किसानों की तो है ही कि रात में इतनी कठिन परिस्थितियों में पानी लगाना मुश्किल होता है पर यह राष्ट्रीय हानि भी है कि 6 घंटे की बिजली से 3 घंटे का लाभ मिले। इस लिये मेरा निवेदन है कि सांयकाल 6 बजे से 10 बजे तक पीक लोड होने के कारण ट्यूबवेल को तो बिजली दी ही नहीं जाती है तो शेष रात में भी बिजली न दें और प्रातः 5 बजे या 6 बजे से सांयकाल 6 बजे तक बिजली देने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कह कर निवेदन करूंगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिजली उत्पादन कैसें बढ़ायें, घाटा कैसे पूरा हो, चोरी कैसे रोकी जाय आदि जिससे विद्युत जो जनजीवन का अंग बन गयी है उसको पूरा कर सकें। इन चीजों को देखते हुए मान्यवर, जो हमारे ऊर्जा मन्त्री ने जो नयी व्यवस्था कायम की है उसमें उन्होंने उत्पादन के लिये, वितरण के लिये और राजस्व के लिये अलग व्यवस्था की है। मान्यवर, जो हमारी 17यूनिटें है उनमें कुल उत्पादन 4100 मेगावाट की अधिकतम क्षमता है जिसमें 200 मेगावाट ही हमें उपलब्ध होती है जबकि आवश्यकता 2700 मेगावाट की है प्रदेश की। मान्यवर, इसको देखते हुए 1500 मेगावाट की बिजली

की कमी है। मान्यवर, इस हिसाब से आवश्यकता के अनुकूल मात्र 30 प्रतिशत विद्युत सप्लाई कर पा रहे है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंगरौली की जो केन्द्रीय यूनिट है उसमें से एक तिहाई बिजली हम 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लेते है और उसमें से बिहार को भी कुछ अंश हम 40 या 45 पैसे के हिसाब से बेचते है। मान्यवर, उसके बावजूद भी इतना बड़ा घाटा है। मान्यवर, इस विद्युत परिषद पर 25 अरब का कर्जा है और 8 अरब रु0 का घाटा है, वही हम को 319 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ता है। जो तमाम बकाये है उसका। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेश हम से आगे हैं और पूरे हिन्दुस्तान में हमारा उ0 प्र0 दूसरे नम्बर पर है। मान्यवर, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु यह सब हम से आगे हैं। मान्यवर, कर्नाटक तो अपना 16.40 करोड़ प्रति वर्ष मुनाफा दे रहा है। मान्यवर, हमारा विद्युत परिषद बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोयला और जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गयी है यही सब घाटे के बहुत बड़े कारण है। मान्यवर, नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर और अहरी स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता और 3 निदेशक रखे गये है इसके अलावा 10 चीफ इंजीनियर भी खड़े हो गये हैं—इस तरह से एक बहुत बड़ी पलटन खड़ी करके विद्युत परिषद के ऊपर बोझ लादा गया है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्र सेन—

घाटे का मान्यवर, एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमारी 22 प्रतिशत बिजली चोरी चली जाती है जबकि पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर यह केवल 15 प्रतिशत है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि रेणु कोट में जो बिड़ला यूनिट है उसमें 9 प्रतिशत घाटा होता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह इतनी बड़ी बिजली की चोरी होती है, उस पर कोई व्यापक नियंत्रण नहीं है इसके अलावा जो व्यवस्था है उसका भी सही अनुरक्षण नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जो इस विद्युत परिषद के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, हिन्दुस्तान के पैमाने पर ट्रासफारमर को 25 साल काम करना चाहिये लेकिन इस विद्युत परिषद में ट्रासफारमर 8 साल ही काम करता है। इसके बाद भी डेंटिंग पेंटिंग करके इनके अधिकारी उन पुराने ट्रांसफारमर्स को 3 बार परिषद को बेचते हैं दूसरों के माध्यम से मेरा यह मत है कि इन सब अव्यवस्थाओं को देखने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन हो।

श्री अधिष्ठाता—

मित्रसेन जी, अब आप बैठे।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, अन्त में मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि गांवों में बिजली सस्ते रेट पर किसानों को देने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों संस्थाओं ऊपर जो करोड़ों रु0 बकाया है, उसको वसूल करने की कोशिश की जाय न कि किसानों के ऊपर ज्यादतियां की जायं और साइटेशन काटे जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, जब से माननीय शास्त्री जी इस विभाग को देख रहे है, तब से विद्युत परिषद दिन प्रति दिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। चोरी कैसे रोकी जाय, प्रगति में कौन से उपकरण सहीं हों—इस दिशा में भी प्रयत्नशील है। मान्यवर, ग्रामीण

विद्युतीकरण का जहां तक सवाल है, मान्यवर, मैं शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई शहर नहीं आता। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में सरकार को तेजी लानी चाहिये। उसकी वजह यह है कि सिंचाई या उद्योग बिना बिजली के यह संभव नहीं है। किसानों को पूरे वक्त बिजली मुहैइया होने से ही किसान की प्रगति जुड़ी हुई है। मान्यवर, किसानों की रहनुमाई हमारी पार्टी करती आयी है और कर रही है। यह सुझाव है, मान्यवर, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, ऊबड़, खाबड़ क्षेत्र है, डकैत ग्रस्त क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, यह पार पट्टी का क्षेत्र है तीन नदियां सिंध, पहुज और जमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, इसके बीच में कोई शहर नहीं है, यह पूर्ण रूप से ग्रामीण इलाका है, यहां पर बिजली का बहुत अभाव है, इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह सुचारु रूप से विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति करने की विशेष कृपा करें।

मैं अपने विधान सभा के क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माधवगढ़ जनपद जालौन में कोई बिजली का सब स्टेशन नहीं है, इसलिये वहां पर माननीय मंत्री जी अपने पुनीत कर कमलों द्वारा एक बिजली का सब स्टेशन स्थापित करने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र दूसरी ओर मध्य प्रदेश लगता है माननीय नेता विरोधी दल भी पड़ोस से ही चुन कर आते हैं। मध्य प्रदेश में जब हम बत्ती देखते हैं तो अपने इस क्षेत्र में हमें अंधेरा नजर आता है। यह सही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने व हमारे दल की सरकार ने भारत और प्रदेश के नक्शे में काफी विकास किया है। जैसा कि बरार साहब ने कहा कि गांवों में विद्युत 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गयी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र को देखता हूं तो यह मुझे शत प्रतिशत गलत लगता है।

मान्यवर, औद्योगिक क्रान्ति के बारे में कहना चाहता हूं। जब तक हमारे ग्रामीण अंचलों में अधिकतम सीमा तक बिजली उपलब्ध नहीं कराई जायगी तब तक औद्योगीकरण की बात करना नाइन्साफी होगी। बड़े अदब के साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय ऊर्जामंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है, पार-पट्टी के क्षेत्र है, वहां पर अधिकतम सीमा तक बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाय। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो अवसर दिया, उसके लिये आपको बधाई देता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो बिजली का बल्ब लटक रहा है, वह बन्द पड़ा है, जिससे रोशनी कम हो रही है, और हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपके इस व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो गया है।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, ऊर्जा पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? इस पर तो आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर भी ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दिया जायेगा।

(3 बजकर 45 मिनट पर)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, विद्युत का सम्बन्ध जनजीवन से है। विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत इस बात की प्रतीक है कि वह समाज, वर्ग और

स्थान कितना विकसित है। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है। पंजाब में यह 336.5 है, हरियाणा में 256.59 है, गुजरात में 252.35 है और उत्तर प्रदेश में केवल 106.52 है। पूरे देश का औसत प्रति व्यक्ति 145.95 है। ऐसी परिस्थिति में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में विद्युत का उपभोग का होना इस बात का द्योतक है कि प्रदेश विकास और तरक्की में सबसे पीछे है। आश्चर्य होता है कि विद्युत मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, जिन्होंने नारा दिया था 'जय जवान, 'जय किसान' हमें कष्ट होता है कि 'जय किसान' का नारा देने वाले भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के पुत्र किसानोंके और गांवों के विरोधी क्यों हो चले हैं? मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 1985-86 में 4600 गांवों का विद्युतीकरण करना था किन्तु 1765 का किया गया, हरिजन बस्तियों में वर्ष 85-86 में 4220 का करना था, किन्तु 2433 का किया गया। वर्ष 86-87 में इनका लक्ष्य केवल 3610 गांवों का है और हरिजन बस्तियों का 3457 का है।

राजकीय नलकूप 1-2-86 तक 25,085 थे, जिसमें से मात्र 24,415 का ही विद्युतीकरण हुआ, 670 ऐसे नलकूप हैं, जिनकी लाइन प्राप्त नहीं हो पायी। निजी नलकूप 1-2-86 तक 4,98,452 थे, जिसमें से विद्युतीकरण मात्र 4,84,509 का हुआ है। इस प्रकार, निजी नलकूप 13,943 बिना विद्युत के रह गये हैं। एक तरफ किसानों के हित का नारा देने वाले, गांवों को विकास रास्ते पर ले जाने वाले हमारे विद्युत मन्त्री हैं, फिर गांव और किसान ऐसी स्थिति में क्यों हैं, आश्चर्य है? ऐसी हालत में आप कहते हैं कि सुझाव दीजिये। हम तो सुझाव देते चले जा रहे हैं किन्तु आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए।"

दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात निर्विवाद है कि हमारी विद्युत परिषद घाटे पर है। यह बात साफ है कि विद्युत की चोरी हो रही है। इस व्यय को पूरा करने के लिये किसानों का रेट बढ़ाकर 27.50 रु0 प्रति हार्सपावर कर रहे हैं। इस प्रकार चोरी और घाटे को किसानों के कन्धे पर रखकर पूरा कर रहे हैं। यह किसान विरोधी नीति है। जब आप किसान को नियमित रूप से समय के साथ विद्युत नहीं देते हैं तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि शैड्यूल रेट के अलावा दूसरी दर पर बिजली का चार्ज ले सकें। विद्युत का घाटा 2.50 अरब रु0 के बकाये से है। आपने बताया है कि सबसे अधिक बकाया निजी नलकूपों पर है, मेरी दृष्टि से सबसे अधिक बकाया बड़े उद्योगों पर है, लेकिन आप बड़े उद्योगों से न तो वसूल करना चाहते हैं और न लेना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसानों पर बकाया दिखाकर उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं।

बलिया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। वहां पर विद्युत की आपूर्ति नियमित नहीं होती है। आपने जौनपुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया को मिलाकर एक जोन बनाया है, उसका मुख्यालय जौनपुर में रखा है। मेरा सुझाव है कि व्यवस्था और प्रशासन की दृष्टि से उसे गाजीपुर में कर दें जिससे वह बीच में पड़े।

हमारे यहां विद्युत का स्टोर गोरखपुर में है, जहां से सामान समय से नहीं पहुंच पाता है, जिससे विद्युतीकरण में कठिनाई होती है। इसे आप बलिया में ही करें और विद्युत की लाइनें जो पुरानी और डिफेक्टिव हैं उसे ठीक करें। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयनारायण तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने पर होने वाली चर्चा में समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं बड़ी देर

से देख रहा था और मैं इस बात का समर्थक हूं और इस बात की ताईद करता हूं कि आज जो कटौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्य रख रहे हैं वो माननीय भूतपूर्व विद्युत मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं तथा जनता पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया तो हम इधर के बैठने वाले सदस्यों के मनमें एक ललक थी, एक भावना थी कि वह शिष्ट व्यक्ति हैं, एक मर्यादित आदमी है उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देकर स्वीकार किया और उनका आदर किया वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी जिस समय भाषण कर रहे थे वे पूरे प्रदेश का विश्लेषण कर रहे थे इस आदरणीय सदन के सामने, उस समय उनको थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये था कि आलोचना तभी किसी बात की की जानी चाहिये, तुलना तभी की जानी चाहिये या जब हम प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन करते है या उत्तर प्रदेश की अन्य दूसरे प्रदेशों से तुलना करते हैं तो हमें वहां की आबादी को भी ध्यान में रखना चाहिये और उसके बाद तुलना करनी चाहिये।

(इस सयय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आज हम बिजली के बारे में तमाम बाते करते हैं और तमाम जीवनोपयोगी चीजें भी बिजली पर निर्भर करती हैं। उधर के सभी सम्मानित सदस्य मेरी बात की ताईद करेंगे कि आज से दो साल पहले यदि आप बिजली की उत्पादन की क्षमता को देखे तो आपको पता चलेगा कि आज हम बिजली की उपलब्धि में उससे आगे है और उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन की क्षमता जो कि आज से साल भर पहले थी उसके लिये माननीय रेवती रमण सिंह जी ने स्वीकार किया ह कि गाड़ी पटरी पर है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आज ऊंचे किस्म का डिस्कशन कम से कम इस सदन में आ तो रहा है और सत्य को स्वीकार करना भी चाहिये। यह हर्ष की बात है कि आप सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

हमारे विद्युत मंत्री जो कि बहुत ही योग्य हैं उनको मैं अपने यहां के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं। मैं सुल्तानपुर से आता हूं। मैं ऊर्जा राज्य मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं खासतौर से अपने जनपद की तरफ कि वहां धनपतगंज नाम का ब्लाक है। जब श्री श्रीपति मिश्रा जी यहां के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उस विकास खण्ड में एक पावर स्टेशन स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। मेरी निश्चित जानकारी है और मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसके बाद वे चले गये और पता नहीं कहां वह फाईल दबी पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि आप उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

जब कोई भी सम्मानित सदस्य अपने क्षेत्र में जाता है तो तमाम ट्यूबवेल खड़े मिलते हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सारे टयूबवेल्स 6 माह से खड़े हुए है लेकिन आज तक इस पर ट्रान्सफारमर नहीं लगाये गये है। यह सही है कि सरकार सही ढंग से उत्पादन की वृद्धि की ओर बढ़ रही हैं लेकिन आज उसमें कुछ सुधार लाने की भी आवश्यकता है।

दूसरी चीज मान्यवर, यहां ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही गयी। बस एक मिनट और लूंगा। ग्रामीण विद्युतीकरण और हरिजन बस्ती को विद्युतीकरण के बारे में यहां पर कहा गया। मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 1977में यह लोग इधर बैठे थे और माननीय रेवती रमण सिंह जी विद्युत मंत्री थे, उनको आपसी लड़ाई से ही मौका नहीं मिला, जो कुछ कर सकते, उनकी जानकारी तो बिजली के बारे में है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की है, इसलिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता और माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

सभी लोग 5-5 मिनट बोल लें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

*श्री सत्यपाल सिंह---

माननीय, उपाध्यक्ष, महोदय मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, विद्युत की आजकल स्थिति यह है कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा की भांति हर एक के जन जीवन से जुड़ी हुई है, आप विद्युत की आवश्यकता को दिन पर दिन बढ़ा रहे है, नगरों के अन्दर जो कुयें थे वह सब समाप्त हो गये हैं और उनके स्थान पर बिजली आ गयी है। आज हम बिजली पर आश्रित हो गये हैं। इस समय अगर कोई विद्युत में कमी हो जाये, लेकिन आने वाले समय गर्मी में अगर एक मिनट में जहां आप बैठे हैं बिजली चली जाती है, तो आपकी कमी महसूस होने लगती है, आप बैठे है और बिजली चली गयी तो खटकने लगता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि एक भला विद्युत मंत्री है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी भलमंसाहत की छाप विद्युत पर भी डाले, जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता आपसे आशा करती है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कटौती का प्रस्ताव रखते समय कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि रेवती रमण सिंह जी भी विद्युत मंत्री थे, उन्होंने डेटा के साथ और रचनात्मक सुझाव दिये और स्वस्थ आलोचना की, अभी एक माननीय सदस्य ने हेल्दी डिस्कशन की बात कही, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये गये और जो कमियां है उन्हीं की ओर इशारा किया गया है। मान्यवर, आपके विभाग में 16 करोड़ रुपये का घाटा है, इसको पूरा करने की योजना आपके दिमाग में जरुर होगी, आप जब जबाब दें तो इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करें कि आने वाले समय में आप किसानों पर या उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का टेक्स नहीं लगायेंगे, कोई बिजली की बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे और अगर आप को घाटा पूरा करना है तो आप कोई दूसरी तरकीब निकालें। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बजट जब पास हो जायेगा तो बिजली की दरें बढ़ा दी जायेगी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा न करें। मेरा कहना है कि हिन्डालको को 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और आपकी बिजली की कीमत 40 पैसे आती है, तो इसका क्या कारण है। आप इस चीज को समाप्त करें। आप अपने उपभोक्ताओं को बिजली 53 पैसे पर दे रहे है। कनोडिया केमिकल्स को भी आप सस्ती बिजली दे रहे है, तो मेरा निवेदन है कि जो समझौते हुये है उनको आप समाप्त करे और उत्पादन लागत से कम बिजली न दें। मान्यवर, मेरा कहना है कि कि आप पर 230 करोड़ रु0 का कर्जा है, अगर आप अपनी सारी वसूलियां कर लें तो आप का बहुत सारा घाटा पूरा हो सकता है। मान्यवर, शाहजहांपुर की नगरपालिका पर 6 लाख रुपया बिजली का बकाया है और जब उनके ऊपर नोटिस गयी तो उन्होंने उल्टे नोटिस दिया कि 24 ट्रांसफारमर का 12 लाख की नोटिस दे दी, तो जो सरकारी विभाग है वहां बेईमानी कर रहे है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये और जो कल्याण कारी योजनायें है, उनको आपको चलाना चाहिये।

(व्यवधान)

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, एक मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है, और वह बोलने जा रहे है।

श्री बाबू सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत जैसे बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने विद्युत विभाग में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है, प्रदेश में जो विकास के लिये एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रास्ता खोला है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, विद्युत की चोरी भारी पैमाने पर हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश में विद्युत की चोरी भारी पैमाने पर नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी ने हमारे साथियों ने इस तरह के आंकड़े आपके माध्यम से प्रस्तुत किया, मेरा सुनिश्चित मत है कि यदि बिजली की चोरी रोक दी जाय तो एक साल के अन्दर हमारे पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हो सकता है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों माननीय मंत्री युवा है, नवजवान है विद्युत के। आप पूरे प्रदेश में इस तरह का दौरा करें कि आकस्मिक कि आप स्वयं वह चोरी पकड़ लें और जिस अधिकारी के क्षेत्र में चोरी बिजली की मिले वह अधिकारी तुरन्त टर्मिनेट किया जाय, बरखास्त किया जाय।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के लिये अवश्य बिजली दी जाय। बिजली के बगैर ग्रामीण बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी महसूस करते है, बगैर बिजली के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में मुश्किल प्रतीत होती है। जब शहर के बच्चे उस फायदे को उठा सकते है तो गांव के बच्चों को भी वह सुविधा मिलनी चाहिये। मान्यवर, इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि कम से कम निजी नलकूपों को 10 और 12 घंटे से कम विद्युत आपूर्ति न की जाये। यदि 12 घंटे से कम विद्युत की आपूर्ति की जायेगी तो इस समय जो बिजली का मूल्य प्राप्त किया जाता है उसमें किसानों को बहुत घाटा रहेगा। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो बहुत पुरानी लाइन विद्युत की है उनके तार बदले जायं क्योंकि रोशनी डायलूट होती है विद्युत उसमें कमजोर पहुंचती है इसलिये उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, अन्त में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा विद्युत विभाग में एक आमूलचल परिवर्तन करने की जो योजना बनायी गयी है माननीय मंत्री जी इसमें प्रत्येक जनपद में सुनिश्चित कर लें कि जिस जनपद के अधिकारियों के तहत बिजली की चोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को परेशान करने की प्रक्रिया, कुछ लोगों से मिली भगत करके अधिक बिजली देने की योजना प्रत्येक जनपद में चलायी जा रही है ऐसे अधिकारियों से सख्ती से काम लें। बस मैं आपको अन्त में धन्यवाद देता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सब को बुलवा दूंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी---

मैंने सबसे पहले लिख कर आपको दिया है.....

(व्यवधान)

मैं कई बार खड़ा हुआ हूं। यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका अधिकार है खड़ा होना....

श्री अवनीश कुमार सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौतीके प्रस्ताव के समर्थनमें बोलनेके लिये अवसर दिया है। मान्यवर, विद्युत विभाग के अन्तरिम आंकड़ों से पता चलता है कि गत वर्ष राज्य विद्युत परिषद् को 75 करोड़ रुपयेका घाटा हुआ था मान्यवर, यह घाटा पिछले वर्षकी तुलना में 27.10 करोड़ रुपया अधिक था। यह घाटा लगातार बढ़ रहा है और बिजली का उत्पादन घटता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन और उसका वितरण राज्य सरकार और विद्युत परिषद दोनों के बाहर की बात हो गई है। इस विभाग की खस्ता हालत हो रही है। जिसकी वजह से 32 अरब रुपयेका कर्जा इसके ऊपर है और ढाई अरब रुपया केवल ब्याज का ही इनको देना पड़ता है। यह विद्युत विभाग तकनीकी उपायों को बढ़ाने के बजाय प्रशासनिक उपायों के

बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अपने विभाग के प्रशासन तंत्र को बढ़ाने से, उसके अन्दर प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लम्बी चौड़ी फौज खड़ी करने से बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। इसलिये बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तकनीकी उपायों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस रूप में सोचना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपके विद्युत गृहों में जो संयंत्र लगे हुये है उनमें कभी बायलर खराब हो जाता है, कभी टरबाइन खराब होता है तथा कभी कभी पूरी इकाई ही खराब हो जाती है। प्रदेश के अन्दर आपके पास 4 प्रमुख तापीय इकाइयां है-ओबरा, पनकी, सिंघरौली और हरदुआगंज। ओबरा में आपका सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है जिसकी क्षमता 1150 मेगावाट है लेकिन यंत्रों की खराबी के कारण आप उसमें कुल 400 मेगावाट विद्युत पैदा कर पा रहे हैं। पनकी विद्युत गृह की चारो इकाइयों की आज जर्जर हालत हो गई है और यही हालत हरदुआगंज की है जहां के 10 जेनेरेटर्स आज लड़खड़ाती हालत में चल रहे है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बिजली के संयंत्र लगे हुये है वे अपनी क्षमता से 40 प्रतिशत कम उत्पादन कर रहे है। मैं तो यह चाहता हूं कि जो आपकी नई परियोजनायें चल रही है उनको रोककर जो पहले आपकी पुरानी परियोजनायें है उन्हीं से पूरा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। इससे बिजली के उत्पादन की कमी किसी हद तक दूर हो जायेगी। इससे क्या होता है कि आप बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात सोचते है। जहां एक दूसरी ओर इस नई परियोजनाओं से पूरा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1975 से सन् 1984 के बीच उद्यमियों को दी जाने वाली बिजली में पूरे प्रदेश में 318 प्रतिशत की वृद्धि हुई और घरेलू कार्यों हेतु दी जानेवाली बिजली में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वृद्धि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये कदम उठाये जायं।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बड़ी अव्यवस्था है। इस बारे में मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि और मंत्री जी से कहा था कि मंत्री जी, राजकीय नलकूपों को कम बिजली दी जाती है जिसकी वजह से गांवों में इस बिजली के ऊपर बड़ी लड़ाई होती है, कत्ल तक हो जाते हैं। इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि जिस तरह से आप कोल्ड स्टोरेजेज को 18 घन्टे बिजली देते है उसी तरह से राजकीय नलकूपों को भी 18 घंटे बिजली दें। शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को बिजली की बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बिजली की चोरी रोकने के लिये आपने कानून बनाये है, लेकिन आपके कर्मचारी सही तरह से काम नहीं कर रहे है (व्यवधान) 2 मिनट का समय और दे दें।

बिजली की चोरी आप के अधिकारी व कर्मचारी ही कराते हैं। जब तक अधिकारी और कर्मचारियों को ठीक नहीं करेंगे चाहे कितना कानून बना दें आप चोरी रोक नहीं सकते हैं। चोरी अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से होती है।

अन्त में मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है इसलिये उस पर आधारित परिमाणविद्युत गृह बनाये जायं। इसी तरह से सोलर इनर्जी का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठिये।

श्री अवनीश कुमार सिंह---

बड़े विद्युत गृह अगर उत्पादन नहीं कर रहे है तो आप छोटे-छोटे विद्युत गृह निजी क्षेत्रों में बनाने की मंजूरी दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती कमला साहनी---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। तमसो मा ज्योतिगमय अंधकार से प्रकाश की

*वक्ता ने भाषण का पुनःवीक्षण नहीं किया।

तरफ ले जाने का वायदा हमारी सरकार ने किया था और आज भी किया है उसको पूरा करनेका प्रयास हमारी सरकार कर रही है इसमें कोई संदेह नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 1लाख 12 हजार से ऊपर गांव हैं उनमें से आधे से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। जहां पर बिजली के बल्व जगमगा रहे है, ट्यूबवेलों से पानी मिल रहा है और उससे किसान खुशहाल है, वह खेती कर रहा है और उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है। मान्यवर, हमारे विद्युत् मंत्री एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है जो माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी उन्नति हो रही है। तमाम नयी योजनाओं तापीय और जल विद्युत की कई क्षेत्रों में योजनायें चल रही हैं और उनमें से बहुत से अपना लक्ष्य पूरा करने वाली है। जब वह लक्ष्य पूरा कर लेंगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी ऊर्जा की मांग पूरी हो जायेगी।

मान्यवर, मैं एक चीज की तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी वास्तव में चरम सीमा पर है अगर उस चोरी को रोक दिया जाय तो काफी मांग पूरी हो जायेगी इसमें कोई संदेह नहीं है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील की तरफ आकर्षित करना चाहती है। मान्यवर, नौगढ़ पूर्वांचल में नैपाल की सीमा से सटा हुआ है। वहां पर सब-स्टेशन न होने के कारण किसानों और उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, उन लोगों को बांसी जाकर अपने बिलों का भुगतान करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि नौगढ़ में एक सब-स्टेशन खोल दें। सोहरतगढ़ और बढ़नी मेंभी सब-स्टेशन खोलना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहां पर बिजली की शिकायतें बहुत होती हैं।

इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के कुछ गांवों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं जहां पर बिजली अभी तक नहीं लगी है। वहां की जनता बिजली न लगने से बड़ी परेशान है जैसे नौगढ़ तहसील में कोड़री, मिसरौला, सीतारामपुर आदि गांवों में 5-6 सालों से खंभे लगे है लेकिन बिजली नहीं पहुंची है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोधी करती हूं।

*श्री राम सरन---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि श्रीमती कमला साहनी के बाद मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी कमला साहनी कह रही थीं कि यह सरकार अपना वायदा पूरा कर रही है। मान्यवर, इनके यहां कोई भी आदमी नहीं है, आप भी नहीं हैं, कि किसी का कोई वादा पूरा करें। हम कहां जायं। उधर से कोई वायदा पूरा नहीं कर रहा है।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अच्छे आदमी हैं और बहुत बड़े बाप के बेटे है, यदि उनकी परम्पराओं को यह निभाना चाहते है तो 4-5 कामों पर आप कंट्रोल करें, जिनको मैं अभी बता रहा हूं। (व्यवधान)

मान्यवर, हमारे सामने कठिनाई है कि कोई आदमी बाहर पागल हो जाये तो हो जाये लेकिन मंत्रि मंडल का एक आदमी पागल हो जाय तो उसका क्या इलाज किया जाये और वह है प्रमोद कुमार तिवारी। मान्यवर, मंत्री जी को चाहिये कि एक तो वह बिजली की चोरी बंद कराये। दूसरे बड़े बड़े कारखानों, जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर जो बिजली का 40-40 लाख रुपया बकाया है उसको राइट-आफनकरें क्योंकि श्री महिपाल शास्त्री जब विधान परिषद् में थे तो उन्होंने राइटआफ के संबंध में कहा था,तो मैं चाहूंगा कि बकाया राइट आफ न हो। तीसरा काम करें कि बिजली की फिजूल खर्ची बंद करायें और चौथा काम विभाग में रिश्वतखोरी बंद कराये। मंत्री जी यदि इन चार कामों पर कंट्रोल कर लें तो लाल बहादुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शास्त्री जिनका बड़ा नाम है, उनके नाम को आप रोशन करेंगे और उनके नाम में चार चांद लगायेंगे और आपका नाम इस प्रदेश में और बढ़ेगा ।

मान्यवर, अभी उधर से बड़ी ढोल पीट रहे थे; उधर दो पक्ष तो यह काम कर रहे थे लेकिन यह तीसरा पक्ष जो ढोलकिया बैठा है उसको मान्यवर, आप बंद करायें क्योंकि यह किसी की बात के सुनने नहीं देता है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही है तो यदि ऐसा ही यह ग्रामीणों का विद्युतिकरण करेंगे तो कैसे काम चलेगा चूंकि मेरे ब्लाक में घसौती गांव है वहां आज शिक्षा सचिव जगदीश चन्द्र पंत हैं, वह हमारे यहां के पहले कलेक्टर थे उन्होंने उस गांव में विद्युतीकरण का उद्घाटन किया था तो वहां जगदीश चन्द्र पंत के नाम का पत्थर लगा है जिसमें लिखा है कि –"जे0सी0 पंत, कलेक्टर ने अपने कर कमलों द्वारा फला दिनांक को उद्घाटन किया" । तो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 15 साल से वही पत्थर और खंभा गड़ा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो यदि ऐसा ही इनका ग्रामीणों का विद्युतिकरण है तो मैं कहूंगा कि सारे जहां का विद्युति करण हो गया है ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का सवाल है । श्री राम सरन ने कहा कि जे0सी0 पंत, कलेक्टर द्वारा उद्घाटन किया गया, तो क्या किसी ग्राम का विद्युतीकरण का उद्घाटन कलेक्टर कर सकता है ? ऐसा सरकुलर नहीं है कि कलेक्टर उद्घाटन करे ।

श्री उपाध्यक्ष---

करते सकते है । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राम सरन--

तो मान्यवर, मंत्री जी इस तरह का विद्युतिकरण बंद करायें । मेरे क्षेत्र नकुड़ में आपके जो इंस्पेक्टर हैं वह ठेकेदारी कर रहे हैं । 2-4 हजार रुपये किसान से पहले ही लेकर कहते हैं कि कनेक्शन दिलवा देंगे, इस तरह ठेकेदारी चल रही है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह से सरकारी विभाग द्वारा यह ठेकेदारी बन्द करायें मान्यवर, खम्भे नहीं मिल पा रहे हैं । जिन लोगों ने एन0टी0पी0सी0 से लोन लिया है, उन पर ब्याज चढ़ रहा है । उनके एस्टीमेट्स बने हैं, लेकिन खम्भे की कमी के कारण उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है । इसके अलावा आप बिजली के मामले में शादी-ब्याह में बिजली की फिजूलखर्ची को रोकिये और हमेंशा दीवाली न मनवाइये । मुझे बस इतना ही कहना था ।

(व्यवधान)

*श्री अजीत सिंह सेठी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने महत्वपूर्ण बजट पर-विद्युत् पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । यह विद्युत् परिषद् एक बहुत बड़ी इकाई है प्रदेश की जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । हम हमेशा प्रदेश के उत्थान की बात करते हैं, वह जिस शक्ति से होती है वह शक्ति विद्युत् के पास है । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है । अब मैं इसका कुछ विश्लेषण पेश करना चाहता हूं । गुजरे साल में इस विभाग में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिये ताकि आगे और अच्छी इससे उपलब्धि हो सके । इसमें 147 करोड़ रुपयों से जो कई इकाइयों के नवीनीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है, वह एक बहुत अच्छा कार्य है और उससे बहुत अधिक बिजली मिलने की सम्भावना है । जो दुर्घटनाग्रस्त इकाईयां थीं, उनको शीघ्र ही इन्होंने सुधारने का और उन्हें पुनः चालू करने का जो काम किया है, मंत्री ने अपनी पूरी शक्ति लगाकार जो इसको ठीक किया है, उसके कारण से हमारा बिजली विभाग सही लाइन पर आया है । जनवरी, 86 में हमारी जो सप्लाई है, जनवरी, 85 के मुकाबले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में उसमें 35 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। वह इनके प्रयासों से ही हुई है।

बिजली चोरी को रोकने के लिये इन्होंने जो अध्यादेश लागू किया है, यह बहुत जरूरी चीज थी। पर इसको लागू करने में एक प्रेरणा चाहिये और वह प्रेरणा मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं। वह बहुत बड़ी फैमिली और राष्ट्रीय फैमिली के पुत्र हैं, इनके पिता ने भारत में और विश्व में बहुत अच्छे और बड़े काम किये हैं। बिजली चोरी की जो बुराई है, वह तब ही रुक सकती है जब उसे रोकने की क्षमता हो, केवल अध्यादेश से नहीं रुक सकती है। आपके होते हुए अध्यादेश पर ऐसा कार्य होगा, जिससे बिजली चोरी रुकेगी, यह मुझे आशा है। इससे हमारे घाटे की पूर्ति होने की भी सम्भावना हो सकती है।

मैं प्रसन्न भी हूं और प्रशंसा करता हूं कि आपने अपने कार्य से उत्तर प्रदेश में विशेषकर 6 महीनों में बिजली में इतनी वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही अपने उत्तर प्रदेश में जो निजी नलकूपों की संख्या है, वह 4,58,452 है, राजकीय नलकूपों की संख्या 25,085 है, हरिजन बस्तियों का जो विद्युतीकरण किया गया उसकी संख्या 32,034 और अन्य ग्रामों के विद्युतीकरण की संख्या 64,84 है। यह एक वाकई प्रशंसा योग्य आंकड़ा है। अब सुधार की केवल जरूरत है। इसकी जो क्रय या परचेज प्रणाली है, इसको आपको दुरुस्त करना, है क्योंकि सबसे ज्यादा कोयले का क्रय यह करते है। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि आपके कई पावर स्टेशनों पर वेब ब्रिज की व्यवस्था नहीं है, जिससे आपका काफी नुकसान हो रहा है। तो सभी जगह पर तौलने की मशीनों की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये। क्रय प्रणाली आपकी दुरुस्त हो तो आपका सारा कार्य दुरुस्त हो जाए। मैं वितरण की प्रणाली पर यह कहना चहता हूं कि उसमें भी अच्छा सुधार चाहिये, हालांकि इस प्रदेश को तीन खण्डों में बांट कर इस पर काफी ध्यान दिया गया है। लेकिन अभी वितरण प्रणाली उपभोक्ता को उतनी सहूलियत देने में समर्थ नहीं है जितनी सहूलियत मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अजीत सिंह सेठी---

इसके अतिरिक्त जो आपने सौर्य उर्जा पवन उर्जा और बायो गैस के बारे में जो कार्यवाही की है वह श्लाघा योग्य है। इससे ग्रामीण जनता को बहुत फायदा पहुचेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका अनुमोदन करता हूं।

श्री राजकिशोर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री जी न जो बजट पेश किया है तो हर साल जब बजट पेश होता है तो घोषणायें होती हैं, नयी नयी योजनायें बनती हैं और अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन की बात कही जाती है लेकिन बजट के बाद सारी चीजें कागज पर रह जाती हैं। हमारे माननीय सदस्य उधर के लोग जो हैं उन पर "हिज मास्टर्स वायस" वाली बात चरितार्थ होती है। यहां पर वाजा बजाना खूब जान गये हैं। बाजा बजाना है तो बाहर जाकर बजाइये। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी देश हो, प्रदेश हो उसके विकास के लिये तरक्की के लिये बिजली एक बहुत आवश्यक चीज है। अब तक एक मंत्री थे अब दो नौजवान मंत्री हो गये हैं जोड़ा फूट गया है। पहले शास्त्री जी ही थे, अब प्रमोद तिवारी भी हो गये हैं। बड़ी मजबूती से काम होगा। साल भर तक हम इंतजार करेंगे।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद---

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जोड़ा फूट गया है तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री जी नौजवान हैं उनका जोड़ा लगा दें।

श्री राज किशोर सिंह---

मान्यवर, बिजली की वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है। इससे न केवल किसानों का नुकसान है बल्कि जो उद्योग लगे हैं

उनके लिये भी यह व्यवस्था हानिकारक है। देश को गरीबी दूर करने क रास्ते में बिजली की दुर्व्यवस्था खड़ी हुयी है। देश की गरीबी दूर करने क लिये और कृषि उत्पादन बढ़ाने केलिये तथा देश के उद्योग धंधों का उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली एक अनिवार्य वस्तु है। अगर आप इसको बढ़ान के लिये नयी-नयी योजनायें नहीं बनायेंगे और छोटे-छोटे कारखाने जहां कहीं संभव हो वहां नहीं लगायेंगे तो प्रदेश की बिजली की समस्या हल नहीं होगी आज हालत क्या है। आप 10 घंटे बिजली देने की बात करते हैं लेकिन किसान को 10 घंटे बिजली नहीं मिलती है उसको मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली मिलती है वह भी लगातार नहीं मिलती है मिलती भी है तो जाड़ में रात को मिलती है उससे किसान को बहुत कष्ट होता है। तो किसानों को लगातार 10 घट बिजली दीजिये, जाड़े में रात को उनको बिजली मत दीजिये। दूसरी चीज किसानों को जो बिजली मिलनी चाहिये वह टाइम पर मिलनी चाहिये। कहीं पर कनेक्शन कट जाता है कहीं बोरिंग फेल हो गयी कहीं ट्रांसफारमर नहीं आया है लेकिन तब भी बिजली का चार्ज लगा देते हैं और हजारों पयों का बिल आता है पिछली मर्तबा उर्जा मंत्री को मैने एक केस दिया था जिसमें एक कनेक्शन कटा था फिर भी 18 हजार रुपये का बिल आ गया जो बाद में दुरुस्त किया गया। तो इस तरह गांव के अन्दर किसानों के साथ बिजली विभाग द्वारा अन्याय हो रहा है इसको उर्जा मंत्री देखें। जो बिलिंग सिस्टम है वह दोषपूर्ण है इससे देहात के किसान और शहर की जनता भी परेशान रहती है। इसको बिजली मंत्री ठीक करें जिससे आम जनता को कष्ट न हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये बिजली की व्यवस्था ठीक से नहीं हुयी है। जो ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही जाती है और आप तो हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की बात करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप सबको बिजली दीजिये ताकि हरिजनों को बिजली मिल सक।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिये मैने विशारद जी को बुलाया है।

श्री राज किशोर सिह--

आप हर ब्लाक में और हर कांसटिच्युऐन्सी में अधिक से अधिक गांवों को चयनित कीजिये और बिजली दीजिय तभी जाकर हमारी बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकेगी मुझे उम्मीद है, कि हमारे उर्जा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ हैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद्---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मा0 ऊर्जा नंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मा0 सदस्य इलाहाबाद श्री रेवती रमण सिंह का कटौती का भाषण मैने बड़े गौर से सुना इनके भाषण को सुनकर मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे एक पराजित टीम के कप्तान के स्वर में बोल रहे हैं और ऐसे स्वर में जो उन्होंने 6 ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ शंकाए प्रकट कीं। इससे मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है कि पंचवर्षीय योजना केबारे में ऐसी बातें क्यों कहते हैं आप को विदित है कि इनके बल ने 6 पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं पायी थी और बदलें में रोलिंग प्लान बनाया था और छठीं पंचवर्षीय हमारी योजना 3 वर्ष बाद बन पायी, जिसके कारण कार्यान्वयन विलम्ब हुआ जिससे हमारी 6 ठी पंचवर्षीय योजना में काफी फर्क पड़ गया और इसकी वजह से प्रदेश 3 वर्ष पीछे हट गया। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने जिन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं इस 7वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई हैं इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और मैं उन योजनाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि यदि इन योजनाओं

का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो गया। तो प्रदेश की बिजली की समस्या हल हो जायगी। अब प्रश्न यह है कि हमारे उ0 प्र0 के पास वर्तमान जो संसाधन हैं, उसको देखते हुए यह प्रदेश अपन उत्पादन को बढ़ा सकता है या नहीं में मैं इस प्रश्न के उत्तर के संबध में यह कहना चाहता हूं कि यदि जो संसाधन हमारे पास हैं, उनका उपयोग ठीक ढंग से होगा तो उत्पादन अवश्य बढ़ जायेगा। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माह सितम्बर में मा0 बीर बहादुर सिंह जी ने मुख्य मंत्रित्व का भार को संभा था तो उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश एक दुरुस्त और चुस्त शासन देंगे। तो मान्यवर, जैसा कि उन्होंने कहा था उसके परिणाम भी हमारे सामने आये हैं। खासतौर से मैं विद्युत् उत्पादन के सिलसिले में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अक्टूबर में 28.0, नवम्बर में 31.4, दिसम्बर में 36.15, जनवरी में 42.05 और इसी प्रकार मान्यवर, फरवरी में 42.5 तो मैं मान्यवर, कहना यह चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का ऐसा ही चुस्त प्रशासन चलता रहा तो इसी प्रकार से आगे भी कुशलता से कार्य होता रहेगा। और हमारे प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं वह अवश्य पूरी होती रहेंगी इसके साथ ही मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी उन्नाव जनपद के संबंध में दो-एक सुझाव भी रखना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में एक हजार सीमेंट के कमेड 500 पिन्स इन्सुलेटर तथा 15 ट्रांसफारमर 25 के0वी0 एस0 के0 दिए जाएं तथा सुमेरपुर ब्लाक में आर0ई0सी0 ग्रामीण क्षेत्र की विद्युतीकरण की योजना लागू की जाए। धन्यवाद।

(घोर व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

मा0 मूलचन्द्र जी आप बोलिये मा0 यदुनाथ सिंह जी आप इंजीनियर हैं आप को भी मौका दिया जाएगा इन्हें पहले बोल लेने दीजिए कृपया बैठें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मुझे भी मौका दीजिए।

(शोर)

*श्री मूलचन्द--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

(श्री काशी सिंह ऐरी व अन्य कई मा0 सदस्यों के द्वारा एक साथ खड़े रहने पर)

*श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग खड़े ही रहेंगे, जब मैं बोलवाऊंगा जब बोलेंगे या जबरदस्ती बोलेंगे? समय के अनुसार मौका दिया जायेगा, कृपया आप लोग बैठ जाइए।

श्री मूल चन्द--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने उन किसान भाईयों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने मूल चन्द जी को बुला लिया है। आपको बोलने का मौका मिलेगा इस समय कोई व्यवस्था नहीं।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है उनको आप मौका दे रहे हैं और उनके कई मेम्बरों को मौका दे रहे हैं, परन्तु मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, मुझे आप मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। आपको भी मौका मिलेगा इस समय मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

जब मैं कह रहा हूं कि आपको भी मौका मिलेगा तो आपके माइक पकड़ कर खड़े हो जाने से आपको मौका मिल जायगा? आप बैठें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मूल चन्द--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं किसानों केसंबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, शायद आप भूल गये होंगे, लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो उन्होंने एक नारा दिया कि " जय किसान, जय जवान सीमा पर जवान, खेत में किसान। तो किसने अपना कूबत दिखाया ? माननीय मंत्री जी, मैं आशा करूंगा कि वह किसान को नहीं भूलेंगे। किसानों को ज्यादा सुविधा देना इनका नैतिक दायित्व है। जिस देश की प्रगति कृषि पर आधारित हो, वहां के किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहिये, क्योंकि यह नियम बिजली बोर्ड का है कि तीन महीने तक की बिल न जमा हो, तो लाइन काट दी जाय। मगर 10-10 हजार रु0 तक बकाया कैसे रहता है ? यह आपके विभाग की लापरवाही है। जब किसानों के खेत की फसल की जवानी आती है, तो ये विभाग वाले लाइन काट देते हैं, तो किसान परेशान होता है, तो नाजायज पैसा ले कर तब लाइन जोड़ते हैं, तलाइन कटाई बलर से लेते हैं, जोड़ाई अलग से लेते हैं फसल नष्ट अलग हो जाती है। यह दु: ख का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--

मूल चन्द जी, आसन ग्रहण करें।

श्री मूल चन्द--

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भदोही का क्षेत्र ऐसा है जो कालीन का औद्योगिक क्षेत्र है। मैं भदोही की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जबकि आपको मालूम है कि भदोही एक कालीन औद्योगिक क्षेत्र है इसलिये मैं चाहूंगा कि हर ग्राम सभा का विद्युतीकरण हो, 20 घंटे तक लाइन वहां पर दी जाय। तो जो सरकार को विदेशी मुद्रा 150 करोड़ तक अर्जित हमारा क्षेत्र करता है, तो वह बढ़कर 300 करोड़ तक विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है। अब मान्यवर, मैं हरिजन आरक्षण कोटा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ओबरा, मिर्जापुर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अधिकारी-कर्मचारी-आपके विभाग के यह लेटर भेजे हैं कि हम आरक्षण कोटे के मुताबिक पदोन्नति नहीं हो रही है, रोक दी गयी है और आरक्षण कोटा भी नहीं पूरा किया गया है। इससे हम लोग 14 अप्रैल के पहले सरकर ने कुछ अगर आश्वासन नहीं दिया, तो हम लोग धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर हो जायेंगे। ऐसी सूरत में हम आपसे निवेदन करेंगे कि यह हरिजनों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनको उचित स्थान देने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विद्युत् विभाग के बजट का विरोध करता हूं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय की पहचान की तथा बिजली की चोरी रोकने के लिये मुख्य मंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद अध्यादेश किया। मान्यवर, बिजली की चोरी रुकने लगी और बहुत कम योजनायें प्रभावित हो रही है। विद्युती की चोरी रोकने तथा विद्युतीकरण की क्षमता हेतु हमारी सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं। मान्यवर, हरदुआ गंज, ओबरा की क्षतिग्रस्त और अग्निग्रस्त मशीनों को ठीक कराकर तथा मशीनों के लोडफैक्टर की वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत को छूने का प्रयास किया कार्यक्षमता को हमारे ऊर्जा मंत्री ने बढ़ाया है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय स्तर को छूने का प्रयास किया है। मान्यवर, 256 करोड़ विद्युत देय बाकी है, जिसमें 58 करोड़ जलनिगम, सिंचाई विभाग और 125 करोड़ औद्योगिक घरानों पर, सरकारी विभाग पर बकाया है उस सम्बन्ध में मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग है कि उसको उनके विभागों के बजट से काटकर विद्युत विभाग को वापस कर दें। हमारी सरकार ने बहुत योजनायें चलाई है, ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाया है जो गांधी जी का लक्ष्य था,

ग्रामों का विकास किया जाय उसे पूरा कर ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। मान्यवर, गोरखपुर सहजनवां में 440 मैगावाट थर्मल पावर स्वीकृत था। मेरी मांग है कि गोरखपुर के सहजनवां में इसको स्थापित किया जाय जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो क्योंकि वहां पर पिछड़ा हुआ इलाका है। मान्यवर, ऊर्जा का संकट राष्ट्रीय संकट है। पूर्वी उत्तर प्रदश के विकास के लिये ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा के संकट को दूर किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हुं।

(श्री काशी सिंह सूरी का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े होने पर यदुनाथ सिंह जी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय यदुनाथ सिंह आपको 2 बिजट का समय ज्यादा दिया जायेगा।

(श्री यदुनाथ सिंह जी सदन के फ्लोर पर लेट गये कुछ क्षण उपरान्त श्री शतरुद्र प्रकाश और अन्य कई सदस्यों के प्रयास से श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

[4 बजकर 45 मिनट]

*श्री काशी सिंह ऐरी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे विद्युत विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय सदस्या श्रीमती कमला साहनी बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि यह विभाग प्रकाश देने वाला है अर्थात् अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले है। तमसो मा ज्योतिगमय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले असतो मा सद्गमय भी है। उस पर भी माननीय सदस्या विचार कर लें। इस कटौती प्रस्ताव पर हम चाहे जितना बोले मुझे मालूम है कि कि वह नामंजूर हो जायेगा। लेकिन यदि विजली की सप्लाई की यही व्यवस्था रही, ग्रामीण विद्युतीकरण की यही व्यवस्था रही और किसानों से दो गुना तीन गुना भुगतान वसूलने की कोशिश रही तो जनता जो कटौती का प्रस्ताव रखेगी उसको कोई ना मंजूर नहीं कर सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। तापीय विद्युत गृहों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। यह कोयला खराब मिलता है और कोयला कब तक मिलता रहेगा। इस बिजली की कमी को देखते हुए जलीय विद्युत की योजनाओं की तरफ ध्यान देना देना चाहिये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जलीय विद्युत की विपुल सम्भावनायें है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जलीय विद्युत की परियोजनाओं पर ध्यान दें, ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।

श्री गजराज सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं तो माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह के बारे में सोच रहा था कि वे वर्तमान विद्युत मंत्री को बधाई देंगे, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा किया। जिस समय रेवती रमण सिंह ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने कोई भी राष्ट्रीय सराहनीय कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे प्रदेश में जो बिजली है वह दूसरे प्रदेशों से बहुत कम है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में 6,731 गांव है, पंजाब में 12,188 गांव, तामिलनाडु में 15,735 गांव, केरल में 1,268 गांव है। इस प्रकार कुल गांव 35,922 है। यू0पी0 में 1 लाख 12 हजार 568 गांव हैं। जिसमें से आधे गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है इस प्रकार गांवों की तुलना में उ0प्र0 में काफी अच्छा कार्य हुआ है।

मान्यवर, मैं कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से हरिजन बस्तियों को 5 हजार रुपया विद्युतीकरण के लिये दिया जाता है, वह बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी से इसको कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाये। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने कार्य भार सम्भाला है, उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, सितम्बर में प्लान्ट शेड फैक्टर 25-2 था और आज मार्च के अन्त में यह 45 होने की सम्भावना है। इसमें दुगुनी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से निजी नलकूप परिषद गठन के समय में 2,810 थे, सातवी योजना के प्रारम्भ 4 लाख 84 हजार 509 और वर्तमान में 5 लाख 1 हजार 60 हो गया है। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण परिषद गठन के समय 836 गांव थे, सातवीं योजना के प्रारम्भ में 63 हजार 75 गांव वर्तमान में 65 हजार 469 हो गया है। इसी प्रकार हरिजन बस्तियों का सातवीं योजना के प्रारम्भ मे 29,601 था और वर्तमान 32 हजार 795 हो गया है मान्यवर, इसी प्रकार से राजस्व के हिसाब से परिषद के गठन के समय राजस्व प्राप्त 6.76 करोड़ रु0 था। 7वीं योजना के प्रारम्भ में 614.14 करोड़ रु0 हो गयी और वर्तमान में 667.19 करोड़ रु0 हो गयी है। इस प्रकार मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूं जिनके समय में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है।

श्री उपाध्यक्ष----

अपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री गजराज सिह---

इसी के साथ ही मैं म0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री यदुनाथ सिह का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है आप इस तरह से सदन के फ्लोर पर आने वाले लोगों को अवसर देकर एक गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिह---

मान्यवर, इस तरह, की

[× × ×]

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं म0 उपाध्यक्ष से बात कर रहा हूं। इस तरह से मैं भी सदन के फ्लोर पर आ सकता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं किसी की धौंस में आने वाला नहीं हूं। आप फ्लोर पर आना चाहते है तो आ जाये, आपको कौन रोकता है? आपकी धौंस नहीं चलेगी। मैं आपको भी बुला लूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिह सोलंकी---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस तरह सदन के फ्लोर को क्रास करने वालों को अनुमति देकर एक गलत परम्परा डाल रहे हैं। ऐसी अनुशासनहीनता करने करने वालों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये आप सर्वोच्च कुर्सी पर है। आप इस मामले में व्यवस्था दें। इस तरह से फ्लोर पर आने वालों को तरजीह देने से संसदीय परम्पराओं के टूटने का भय है।

श्री यदुनाथ सिह---

सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों को शर्म आती है। तो फ्लोर पर आ जांय मैं तीन बार चुन कर आया हूं। जिन लोगों ने यहां पर अव्यवस्था की है यह बुद्धि को मैं जानता हूं। उन्हें संसदीय परम्पराओं की जानकारी नहीं है। मैं तीन बार चुनकर आया हूं। मुझे मालूम है कि क्या होता है?

(श्री यदुनाथ सिह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

मान्यवर, विरोध स्वरुप मैं सदन से जा रहा हूं।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित सदन त्याग कर चले गये।)

नोट-(× ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रस्तुत बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं यहां कुछ बातें रखना चाहता हूं।

मान्यवर, जितनी भी यूनिटें है चाहे वह थर्मल हो, हाइड्रोलिक हो, उसमें जितना भी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस समय लक्ष्य से कहीं कम उत्पादन हो रहा है। मान्यवर, लेनिन ने कहा था "गांव-गांव में विद्युतीकरण कर दें तो समाजवाद जायेगा। मान्यवर, मिर्जापुर जनपद प्रदेश के अन्य जनपदों के मुकाबले बिजली का उपादन सबसे अधिक करता है लेकिन, वहां के गांवों के विद्युतीकरण का जो टारगेट है,वह टारगेट पूरा नहीं हो पा रहाहै वहां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य का बहुता कच्छप गति से हो रहा है। मान्यवर, अगर एक रुपया दिया जाय और उसमें से 56 पैसे का नुकसान हो, तो मंत्री जी उसमें कहते है कि यह 56 पैसे का लास नहीं है, बल्कि जो लाइन लासेस है वही 45 प्रतिशत के आस-पास है।

मान्यवर, चाहे बिजली की चोरी हो या लाइन लासेस का प्रश्न हो, मैंने अन्य सूबों में कहीं भी इतनी अव्यवस्था नहीं पायी। चाहे, कर्नाटक हो, आन्ध्र प्रदेश हो, केरल हो पंजाब हो, हरियाणा हो--कहीं भी इतने ने लाइन लासेसस और चोरी आदि नहीं है: जितनी की यहां उत्तर प्रदेश में है।

मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली के संबंध में जनता को किसी प्रकार की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, होता क्या है लोग लाइन पर बांस डालते है, बिजली की तार कट जाती है, रात भर बिजली उस क्षेत्र की गायब रहती है, जब तक अगले दिन कोई मिस्त्री आकर उसे ठीक न कर दें। भेड़, बकरी, गाय, भैंस चराने वाले अपने जानवरों को खुला छोड़ देते है यह, जानवर बिजली के खंभों को हिलाते डुलाते है। जिस कारण भी बिजली चली जाती है। इसलिये मेरा यह मत है कि अगर जनता में बिजली के संबंध में ट्रेनिंग की व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से इसमें कमी आयेगी।

मान्यवर, इनके जो ट्रांसफार्मर है, यह चेकोस्लोवाकिया और अन्य दूसरे फ़ारेन कंट्रीज से आयातित होते है। मान्यवर, साहुपुरी में आग लगी थी, वहां जो ट्रास फारमर था, वह चेकोस्लोवाकिया से आयातित था। मान्यवर, चाहें पोटेंशियल ट्रांसफारमर हो या करेंट ट्रांसफारमर होते है वह सब बाहर से ही आयातित करते हैं। मान्यवर, बिजली विभाग का कार्य इंडस्ट्रीज को चालू रखना है, अन्य जो आवश्यक चीजें है, उनकी पूर्ति में निरन्तरता बनाये रखना है। मान्यवर, मिर्जापुर में जब पेयजल का अभाव होता है, थ्रेशिंग का कार्य होताहै, उस समय जरूर बिजली का अभाव होगा और बिजली केवल 6 घंटे ही मिलेगी।जब कि थ्रेशिंग और पेयजल के अभाव को देखते हुए, बिजली की आपूर्ति ज्यादा घंटे होना चाहिये ताकि ट्यूबवेल और अन्य माध्यम से लोगों को जल उपलब्ध हो सके और थ्रेशिंग का कार्य अधिक से अधिक हो सके।मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि चुनार में जो सीमेंट फैक्ट्री है, वह केवल 6 मेगावाट ही कंज्यूम कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठे जायं। आपका समय समाप्त।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हू कि केवल चुनार तहसील को ही 4 मेगावाट बिजली की जरूरत है। वाराणसी जो कवाल टाउन में में है, वहां भी 80 मेगावाट के आस पास विद्युत की आवश्यकता है। लखनऊ में भी 10 मेगावाट के आस पास विद्युत की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह जी अब आप समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, जितनी आवश्यकता है उस क्षेत्र में विद्युत की उतनी विद्युत उपलब्ध नहीं की जाती। मान्यवर, वाराणसी मंडल के आयुक्त श्री डी0 एस बग्गा बनारस गये थे और वहां पर लोगों ने विद्युत की कम आपूर्ति की उनसे शिकायत की थी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हिन्डालको आदि जैसे बड़े पूंजीपतियों पर जो 16 करोड़ का बकाया है, उनका आप विद्युत कनेक्शन नहीं काटते है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों का विद्युत कनेक्शन नहीं काटते जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया है, गरीब किसान जिनके ऊपर 3 हजार या 4 हजार का बकाया है, उनका विद्युत कनेक्शन बिना नोटिस दिये के काट देते है। मेरा यह कहना है कि यदि किसी पर बकाया है, तो आप उन्हें नोटिस दे और उसको कुछ समय दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन अलग हो, वितरण अलग हो, ट्रांसमीशन अलग हो, आपने यह जो ट्रांसमीशन मिला दिया है, इसमें मेरा कहना है कि यह जो दाल भात में मूसरचन्द वाली कहावत है, उसको आप इसमें खत्म करें और इसे अलग रखें। ग्रामीण विद्युतीकरण में उत्तर प्रदेश में जितने ब्लाकों को गांवों को लिया गया है, बरसात के पहले उन्हें आप पूरा करें। इसके अतिरिक्त जो खंभे खराब हो गये है, बिजली के तार खराब हो गये है, उनकी तरफ आपका ध्यान हो ताकि लाइन लासेस कम हों।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में गर्मी के दिनों में एक लीटर पानी 2 रुपये मिलता है, यह सब बिजली की कमी की वजह से होता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिन ट्यूबवेलस को बिजली नहीं दी है, उन्हें तत्काल बिजली उपलब्ध करायी जाय। इसी के साथ ही हमारे विद्वान सदस्य व भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती है और सम्मानित सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रताव रखा है उसका विरोध करती हूं। मान्यवर, मैं तो सोच रही थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया ह, उसे हमारा यह सदन सर्वसम्मति से पास कर देगा, लेकिन विरोध पक्ष के सदस्य ने इस पर कटौती का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा बजट पेश किया गया जिसमें किसी भी क्षेत्र को विद्युतीकरण से छोड़ा नहीं गया है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने 1985-86 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे कहीं अधिक सफलता उन्होंने प्राप्त की है। यह सही है मानव जीवन, कृषि और मशीनों आदि सभी चीजें ऊर्जा पर निर्भर करती ह। ऊर्जा के बगैर सब अपंग से लगते हैं। यद्यपि हमारे देश में और प्रदेश में ऊर्जा के बजट में काफी घाटा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मंत्री जी ने हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नलकूपों का विद्युतीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरणकरने का पूरा प्रयास किया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं बिजली की चोरी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि इनको कैसे रोका जाय। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि जो बिजली कर्मचारियों के यूनियन्स है जो बिजली की चोरी को बढ़ावा देती है और अधिकारियों पर हावी हो जाते हैं। यदि इसे रोकने का का प्रयास किया जाता है तो वे यूनियन के हड़तालें कर देते है इन्हें रोका जाय गैर कानूनी करार दिया जाय। दूसरा यह है कि फोर्थ क्लास कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति अपनाई जाय। तीसरा सुझाव यह है कि मार्च-अप्रैल के महीने जब बच्चों के इम्तेहान होते है तो उस समय से बिजली की कटौती न की जाय और न ही पेयजल में कटौती की जाय। क्योंकि पेयजल आपूर्ति भी बिजली पर निर्भर है। मुरादाबाद में जो बर्तनों का उद्योग है उसमें बहुत कमी आई है। कमी आने का कारण यह है कि वहां पर उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। इसलिए ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध ह कि मुरादाबाद शहर में जो वर्तन उद्योग है उन्हें उचित मात्रा

में बिजली उपलब्ध कराई जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री देव कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर बाद आपने मेरे ऊपर कृपा की इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से प्रदेश की जनता की तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर देश की बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी का समाधान करना है तो उसके लिये विद्युतीकरण का व्यापक प्रसार करना पड़ेगा। अक्टूबर के महान समाजवादी क्रान्ति में लेनिन ने यह कहा था कि इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स कम्प्यूनिज्म। मैं यह बात शास्त्री जी से इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर वह इस प्रदेश के अन्दर समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं और प्रदेश की गरीबी और भुखमरी को दूरकरना चाहते हैं तो विद्युतीकरण की योजनाओं को उन्हें व्यापक तरीके से इस प्रदेश के अन्दर लागू करना होगा और इसके साथ ही साथ कृषि उद्योग मानकर कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है। उद्योगों का प्रसार आवश्यक और इन दोनों कार्यों के लिये बिजली की नितान्त आवश्यकता है। जिस गति से विद्युतीकरण का काम चल रहा है और जिस तरह से विद्युत उत्पादन की समस्या प्रदेश के सामने है, उसमें अगर आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया गया, क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया गया तो जिस गति से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उस गति से बहुत साल लग जायेंगे। अगर 21 वीं सदी में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या 21वीं सदी में ऐसे ही जायेंगे, ऐसा ही देश और अन्धेरे गांवों को लेकर जायेंगे, गरीबी और ऐसे ही मुल्क को लेकर प्रवेश करेंगे? अगर देश को तैयार करना है तो विद्युतीकरण का प्रसार होना चाहिये।

शास्त्री जी का ध्यान उन विद्युतीकरण की योजनाओं की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं जहां कागज पर विद्युतीकरण हो गया है। राम सरन दास जी उदाहरण दे रहे थे, बहुत से गांवों में विद्युतीकरण की योजना को कागजों में पूरा कर लिया है। बिजली के खम्भे किसी गांव के किनारे तक गाड़ दिये गये तो गाड़ दिये गये, लेकिन गांव की आबादी तक बिजली नहीं गयी है, सड़कों के किनारे गयी है, जिससे खेती और उद्योग के लिये बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आंकड़ों के जालमें नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से जांच करवायें। जिस तरह से उद्योगों के लिये बिजली सस्ती दर पर दी जाती है, अभी कानपुर के उद्योग पतियों के लिये 60 करोड़ रु0 दिया गया, बीमार मिलों के सुधार के लिये, इसी तरह से खेती के काम के लिये सस्ती दरों पर किसानों को बिजली उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ बोलने का अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री महमूदुल हसन अन्सारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने उर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया है, आभारी हूं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है, उसका विरोध करता हूं।

मैं क्षेत्र अफ़जलगढ़ जिला--बिजनौर से जीत कर आया हूं। यह एक बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है। शेरकोर्ट बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर एक बड़ा बिजली घर बनाया जाय। क्षेत्र अफ़जलगढ़ में बिजली की बहुत कमी है, वहां पर बिजली पहुंचायी जाय। क्षेत्र अफ़जलगढ़ में रेहड़ और जसपुर के दरम्यान जहां बिजनौर और नैनीताल की सीमा मिलती है एक खेत में, जो नैनीताल में आता है, उस पर तो बिजली होती है, लेकिन दूसरे खेत का दूसरा कोना, जो बिजनौर में आता है, उसमें बिजली नहीं होती है। अगर नैनीताल वाले खेत का तार दूसरे खेत से जोड़ दिया जाय तो वहां के किसानों को भी बिजली मिलने लगेगी। इसके साथ ही मेरी मांग है कि देहातों में 2-फ़ेस बिजली पहुंचाई जाय ताकि उन लोगों को सहूलियत मिल सके। मैं मांग करता हूं कि बिजनौर बहुत पिछड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ जिला हैं, वहां पर बिजली की सहूलियत दिलायी जाय। एक और सुझाव है कि ग्राम रामजीवाला थाना बढ़ापुर में बिजली नहीं है किन्तु उससे मात्र आधा किलोमीटर के फ़ासले पर श्री क्रान्ति कुमार का फ़ार्म है वहां पर बिजली है। मेरी मांग है कि उससे इन गांवों को बिजली पहुंचाई जाय। इस के साथ ही आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को केवल सुझाव देना चाहूंगा। एक ही बात पूछना चाहूंगा कि फ़िरोजाबाद में 100 यूनिट बिजली जाय तो 57 यूनिट बिजली लीकेज में और चोरी में चली जाती है, आप इसकी जांच करालें और आपके यहां से जो बिल बनते है पूरी बिजली मिलने के वह 43 प्रतिशत है। वहां 5 मीटर रीडर है, जो बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी करते है। पूरे विभाग से उनके सम्बन्ध है, इसलिये 12 वर्ष से उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वहां पर इतनी जबर्दस्त चोरी होती है, जिसका कोई ठीक नहीं। मेरी मांग है कि इसकी आप जांच करा लें।

दूसरे मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विद्युत परिषद् ने जो चार्ट प्रस्तुत किया है उसमें बिजली के रेट की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है जिसके द्वारा किसानों के ट्यूबवेल पर 27 1/2 रु0 प्रति हार्सपावर के हिसाब से वह आती है मैं चाहूंगा कि आप किसानों के हित में उसे वापस करें और जो पुराने रेट आपके थे उन्हीं की घोषणा करें ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके।

आपका जो बिजली घर चिल्ला में है वहां पर आपने अनेक इन्जीनियर एवं 300 आदमियों को मशीनों की खराबी को ठीक करने के लिये रखा था लेकिन उन 300 कर्मचारियों ने काम न करके ठेकेदारों के द्वारा मशीनों को ठीक कराने का काम किया है जिसमें आपका 11 लाख रु0 का खर्चा एक साल में आया है और तीन वर्षों में इस तरह से आपका 40 लाख रु0 ठेकेदारों को देने में व्यय हुआ है और आपके कर्मचारी निठल्ले बैठे रहे और आप उनको वेतन देते रहे। यह मामूली घपला नहीं है इसी तरह घाटा बढ़ता जा रहा है।

तीसरी बात कि पिछले बजट सत्र में आपने कहा था कि तीन बड़े आदमियों पर कनोडिया, हिन्डालको और मोदी इन पर आपका तीन तीन करोड़ रुपया का बकाया है और इसके लिये मुकदमा चलाया जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि उन पर मुकदमा चलाया गया या नहीं? और उनमें क्या फैसले हुए आप जीते या हारे।

विधान सभा के प्रश्न के संबंध में आपने कहा था कि 34 इकाइयों पर 10-10 लाख के बकाये की धनराशि पड़ी हुई है। तो उस सबंध में आपने क्या कार्यवाही की? मैं कहता हूं कि आपका वह रुपया इसलिये बकाया पड़ा हुआ है कि आप लोग उनसे चुनाव में चन्दा लेकर काम चलाते हैं और इसी से उनको वसूल नहीं कर पाते हैं। मैं पुनः अपने सुझावों पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वे अपना उत्तर देते समय इन बातों का जिक्र करेंगे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की समर्थन करता हूं।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मान्यवर, मैं कानपुर से आता हूं वहां देखता हूं कि शहरों में, केवल कारखानों में गांवों में हरिजन बस्तियों में सब लोग बिजली से फायदा उठा रहे हैं। हर जगह पर विद्युतीकरण हुआ है सिंचाई के संबंध में मैं यह कहूंगा कि उनके घरों में बिजली लगाने का मौका मिल गया है जो कि कभी नहीं मिला था, हमेशा अन्धेरा रहता था, वहा आज बिजली लगा दी गयी है

एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि वहां एक क्षेत्र बिल्हौर है कानपुर में जिसमें कि 20 ब्लाक हैं। उसमें से एक ब्लाक ककवन नाम से है वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ककवन का क्षेत्र पूरा सूना और अन्धेरा पड़ा हुआ है मंत्री जी वहां पर विद्युतीकरण करवा दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां बिजली के खम्भे लगा दिये गये हैं लेकिन तार नहीं है। मंत्री जी वहां तार दौड़ाने की व्यवस्था करा दें वहां जिला एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की मीटिंग होती है उसमें कहा जाता है कि सामान नहीं है, संसाधन नहीं है और बहुत जरुरत पड़ने पर भी संसाधन सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां विद्युत की आवश्यकता है वहां संसाधन अवश्य भेजे जांय इसी के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बलराम यादव---

मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन है कि जब 1984-85 में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो आजमगढ़ कांस्टीटुयेन्सी के अन्तर्गत तमाम हरिजन बस्तियों में बिजली के खम्भे बांट दिये गयेथे लेकिन आज तक उन बिजली के खम्भे द्वारा वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि जब वे अपना भाषण दें तो निश्चित रुप से घोषणा करें कि वहां जितने खम्भे पार्लियामेन्ट के चुनाव के समय लगाये गये थे उसमें वे विद्युतीकरण करवा देंगे। दूसरी बात आपने यह कही कि 87-88 में टांडा थर्मल पावर काम करने लग जायेगा, लेकिन वहां पर काम ठप पड़ा है। अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है समूचा विभाग निष्क्रिय बैठा है। मान्यवर, 1978-79 में आजमगढ़ के दोहरी घाट पर थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने के लिये सर्वे हुआ था लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक सब स्टेशन अतरौलिया में ही है, एक और सब स्टेशन कोयलसा ब्लाक में स्थापित करने की घोषणा माननीय मंत्री जी करने की कृपा करें इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

चौधरी भगवती प्रसाद---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने विद्युत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं मिर्जापुर की जनता की ओर से विद्युत मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मान्यवर, मिर्जापुर में एक केतित शरीफ का मेला लगता है विन्धाचल में नव रात्रि में मेला लगता है, इसलिये विद्युत आपूर्ति के संबंध में नगर को उन्होंने कारपोरेशन का दर्जा दिया है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और आशा है कि यह दर्जा आगामी वर्षों के लिये भी बरकरार रहेगा। मान्यवर, मिर्जापुर विद्युत के मामले में एशिया की राजधानी है। यहां पर जो विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाते हैं तो वहां के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है और उनको मुआवजा दिया दे जाता है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको क्षणिक सुविधा प्रदान न करके कोई ट्रेनिंग सेंटर आदि उनके लिये खोला जाये जिससे वहां के लोगों का स्थायी कल्याण हो सके। मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हमारे यहां पर प्रगति पर नहीं है, उसमें प्रगति आनी चाहिये, पिछड़े हुये इलाके होने के कारण वहां पर ट्रन्सफारमर नहीं पहुंच पाते हैं और उनके अभाव में कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है, और इसी लिये बिजली नहीं पहुंचती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं

श्री औसान सिंह---

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विद्युत मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, आप देखें कि बिजली की दरों में पिछले एक दशक में लगभग ढाई गुनी बढ़ोत्तरी हो गयी है, परन्तु फिर भी यह विभाग घाटे में जा रहा है, बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह स्थिति मंत्री जी की और सरकार की गलत नीतियों एवं गलत नियोजन के कारण पैदा हुई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप बिजली की चोरी को नहीं रोकेंगे, चाहे जितनी दरें आप बढ़ा दें आप कन्ट्रोल नहीं पा सकते हैं और आपका विभाग मुनाफे में नहीं चल सकता है

अगर आप चोरी की रोक दें तथा बकाया वसूली कर लें तो जो आपका घाटा है वह पूरा हो जायगा और विभाग मुनाफे में होगा मान्यवर, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन पर बिजली का करोड़ो रुपया बकाया है, उनकी वसूली आप नहीं कर पाते हैं और अगर किसी किसान पर 100 रुपया बकाया हो गया तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और उससे रुपया जबरन वसूल कर लिया जाता है। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि विद्युतीकरण में असंतुलन समाप्त किया जाय। आज गांवों में स्थिति यह है कि वे कहते हैं कि हमने 80 फीसदी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 फीसदी भी गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इनका कहना है कि जिस गांव से विद्युत् की लाइन पास हो जाय उस गांव को मान लेते हैं कि विद्युतीकरण हो गया। हरिजनों के गांव में अगर 100 घर है और एक घर में कनेक्शन हो गया तो ये मान लेते कि सारे हरिजन गांव म विद्युतीकरण हो गया। मान्यवर, किसानों को कम दर पर बिजली दी जाय और दरों में बढ़ोत्तरी न की जाय और यदि बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है तो मिल मालिकों पर बढ़ोत्तरी करें टाटा, डालमियां, बिरला जैसे लोगों पर बढ़ोत्तरी करें।

मान्यवर, विश्वबैंक को 18 घंटे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित है उसी तरह से स्टेट, ट्यूबवेलों को भी 18 घटे की विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करें। मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में विद्युत् रात्रि में न देकर दिन में दें। रात्रि में किसान पानी लगाता तो पता नहीं चलता कि पानी खेत में जा रहा या खड्ड में। इसके साथ साथ मान्यवर, मैं कहूंगा कि हमारे यहां बिधूना में 16 ग्रामों में वर्ष 1985-86 में विद्युतीकरण होना था जिसमें से मात्र चन्दरपुर मात्र एक गांव में अधूरा विद्युतीकरण हुआ है। यह प्रगति बहुत ही असंतोषजनक है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर राज—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उर्जा ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्रीजी जिस ईमानदारी और कर्मठता तथा सजगता से इस विभाग को चला रहें है उससे निश्चित ही इस विभाग में प्रगति होगी इसमें हमें निश्चित आस्था और विश्वास है। जिस तरह से उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ वह किसी से छिपा नही है मान्यवर, जो यो नाए बनाई गई है उससे और 1986-87 में सुधार होने की पूर्ण सम्भावना है। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि घाटे की कमी के प्रयास किये जा रहे हैं इसमें तेल की खपत व कोयले की खपत में प्रभावी कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जनता पार्टी के नेता माननीय रेवती रमण सिह जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राजस्व परिषद् में घाटा है मान्यवर, अगर देखा जाय तो इनके शासन काल में वर्ष 1979-80 में सबसे अधिक 387.10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मान्यवर, यही नहीं आपने 'हरिजन गांवों के विद्युतीकरण की बात कहा है यदि आप देखें तो 1979-80 में 14014 गावों में केवल विद्युतीकरण हुआ था लेकिन 1986 में 32 हजार 34 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी मैं कुछ कह नहीं पाया हूं एक मिनट समय और देने की कृपा करें। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में विकास खण्ड पसगवां एव मोहम्मदी आता है जिसके अन्तर्गत सैकड़ों ऐसे गांव है जहां खम्भे लगे हुए हैं तथा तार लगे हुए हैं, उसकी चोरी हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है अतः यहां उन ग्रामों में विद्युतीकरण करने की कृपा करें। इसी तरह से गोला गोकरणनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में प्रमुख तीर्थस्थल है, यहां पर 132 के0बी0 सबस्टेशन की मांग बहुत दिनों से की जा रही है परन्तु अभी तक

इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कृपया 132 के0 बी0 का सबस्टेशन लगाने का कष्ट करें। इसी प्रकार हमारे ही क्षेत्र के जंगबहादुर गंज में 33 के 0 बी0 की मांग बहुत दिनों से की जा रही है। आपने आश्वास भी दिया था परन्तु अभी तक नहीं बन पाया है कृपया इसे 1986 87 में बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी जगलों से घिरा हुआ शहर है तथा यह जिला सीमा पर स्थित है यहां से नैपाल को विद्युत् जाती है परन्तु लखीमपुर खीरी को विद्युत् नहीं मिलती है। इसे "सी" क्लास में रखा गया है। इसमें वांछित सुधार कर अन्य बड़े शहरों की भांति विद्युत् दिलाने की कृपा करें। इसके साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हू कि हमारे क्षेत्र में बरबर में एक केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसका शीघ्र उद्घाटन होने वाला है इससे जनपद को लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेंगे।

श्री जवाहर सिंह यादव--

मान्यवर, मैं विद्युत् मंत्री महोदय का ध्यान इनके विभाग की दो-एक बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 65 हजार गांव और 35 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। यह आपने कैसे कहा है। शायद आपके अफसरों ने जो आंकड़े आपको बनाकर दे दिये, उसी के आधार पर आपने कहा है। दो-चार गांवों की भी चेकिंग आपने नहीं की। यह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जो बड़े गांव उनमें किसी गांव में सबर्णों को रोशनी दी गई और हरिजन बस्ती को अंधेरे में छोड़ दिया गया है और कहीं हरिजन बस्तियों को रोशनी दी गई तो सवर्णों को अंधेरे में छोड़ दिया गया है। आज इस प्रदेश के 90 प्रतिशत गांवों की यही हालत है। दूसरी जगहों पर भी यही काम किया गया है। यदि एक गांव में 2/4/10 पुरवे हैं और एक पुरवे में बिजली दे दी गई है तो कह दिया जाता है कि 10/12 गांवों में बिजली दी गई है। इस तरह से आप आंकलन करेंगे तो उस हिसाब से पूरे के पूरे गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। इसलिये मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिस गांव को बिजली दी जाय, उसे पूरी तरह से बिजली दी जाय, विद्युतीकरण किया जाय। इसी वजह से गांवों में झगड़े होते हैं और लोग सोचते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में बिजली की इतनी ज्यादा चोरी हो रही है कि अगर एक गांव में 3/4 ट्यूबवेल हैं, पंपिंग सेट हैं तो वह सारा का सारा गांव बिन बिजली का कनेक्शन लिये बिजली जला रहा है। आपके इंस्पेक्टर्स और इन्जीनियर्स वहां लोगों से मिले हुये होते हैं और लोगों से 50-50, 100-100 रुपये ले लेते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर बराबर चेकिंग नहीं होती है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इसके लिये आप यहां पर अपने विभाग में एक ऐसा विभाग खोलें जो सीधे आपके अधीन काम करे और सी0 आई0 डी0 की तरह ऐसे मामलों की जांच करे और उन लोगों को पकड़े। इस तरह से करोड़ों रुपये का जो आपको नुकसान हो रहा है वह न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रेवती रमण सिंह--

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि जो माननीय सदस्य बोल नहीं पाये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग अपने सुझाव मंत्री जी के पा भेज दें।

श्री शारदा प्रताप--

भेजने से हो जायेगा। एक तो आपकी दृष्टि कभी इधर नहीं पड़ती है.... हम लोगों की तरफ नहीं पड़ती ह।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी एक बिल है और दो घंटे की चर्चा बाकी है। शारदा प्रताप जी 9 बजे जायेंगे। ..... (व्यवधान) आपकी भावना को समझ गये। ढाई तीन घंटे अभी और लग जायेंगे।

श्री शारदा प्रताप--

आप समय बढ़ा दें। .....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

हम अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं। समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुला लिया है। कृपया अब बैठें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य अपने सुझाव लिखित रूप में दे दें और उसे आप कार्यवाही में सम्मिलित कर लें .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

9 बजे तक काम चलेगा।

एक सदस्य--

यह मेरा आरोप है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने घर में ले जाओ इस आरोप को। ..... (व्यवधान)

श्री पारस नाथ यादव--

जो पुराने सदस्य हैं उन्हीं को आप समय दे रहे हैं। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं। (श्री पारस नाथ यादव सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री लक्ष्मी नारायण श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री वीरेन्द्र सिंह भी सदन से उठ कर चले गये।)

श्री सूर्य प्रताप शाही---

हम लोगों से क्या बहुत नाराजगी है क्या? क्या विशेष नाराजगी है?

श्री उपाध्यक्ष--

सब को नहीं बुलाया जा सकता। ... (व्यवधान)।

ठीक है अगर इसी तरह से सदन चलाना चाहते हैं तो चलायें। बोलें आप लोग...

(श्री सूर्य प्रताप शाही के कहते रहने पर)

माननीय कल्यान सिंह जी, इससे तो परम्परा बिगडती है। मैं किसी को बोलने के लिये मना तो नहीं करता हूं। लेकिन काम बहुत ज्यादा है। आज सदन रात के 9 बजे तक चलेगा। शाही जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया। आप मुझे बता दें कि किस तरह से चलेगा। क्या कोई बिना बोले नहीं रहेगा, सभी बोलेंगे? क्या यही तय किया है आप लोगों ने? इस तरह से कैसे सदन चलेगा?

श्री शारदा प्रताप --

अपने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था के बारे में हमको कहना है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो इस तरह से कैसे सदन चलेगा? कृपया आप लोग बैठ जांय।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, धन्यवाद दूंगा, उन्होंने चाहे इस बजट का समर्थन विहप की वजह से किया हो लेकिन मन, कर्म और बचन से हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसके लिये वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को थोड़े सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने कहा है कि आपने बोर्ड का विकेन्द्रीयकरण किया है। लेकिन कागज में भले ही किया हो व्यवहार में नहीं हुआ है। आपने एरिया चीफ़ तीन बना दिये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले भी ज़ोनल इंजीनियर कार्यरत थे तो उसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। तीन एरिया चीफ़ बनाने से मैं चाहूंगा कि इसको कार्यरूप में

विकेन्द्रीकरण करने के लिये विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है। इतने बड़े प्रदेश में बोर्ड केवल नीति का संचालन करे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि नीचे के स्तर पर कहां पर विकास कार्य पूरा हुआ, कहां पर काम नहीं हुआ, किसानों की क्या दिक्कतें हैं, उद्योगों की क्या दिक्कते हैं उनको बोर्ड का मेम्बर या बोर्ड का चेयरमैन व्यावहारिक रूप नहीं दे सकता है उनके लिये यह सब करना असंभव है। मैं चाहूंगा कि नीचे के अधिकारियों को छोटे मोटे कार्यों के लिये बोर्ड के पास न आना पड़े और यह काम नीचे के स्तर पर हो जाय। आपने एरिया चीफ़ बनाये है उनको यह अधिकार दें और उनके नीचे के स्तर के लोगों को भी दें। जब तक आप विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे, लखनऊ में बैठ कर साढ़े 12 करोड़ लोगों के प्रदेश को जिसमें 57 जिले हैं को आप यहां से सुविधा नहीं दे सकते हैं, उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों का यह अनुभव है कि किसानों को महीनों तक ट्रांसफ़ारमर नहीं मिल पाता है, अगर वह खराब हो गया हो या नया लगना है तो उसमें महीनों लग जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ट्रांसफारमरों के उत्पादन की क्या स्थिति है लेकिन यह कमी है। अगर यहां पर उत्पादन नहीं हो रहे हैं तो वहां पर और फ़ैक्ट्री खुलवाइये, इसके उद्योग लगाईये इससे लोगों को काम भी मिलेगा। मैं चाहूंगा कि किसानों को ट्रांसफ़ारमर मिलने में एक महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिये। जहां पर एक महीने से ज्यादा समय लगे वहां पर किसान से पैसा न लिया जाय और उसका शुल्क माफ़ कर दिया जाय। इस बात की आप आज यहां पर घोषणा करें।

इसके साथ-साथ आपको यह भी चाहिये कि अगर आप चाहते हैं प्लान्ट लोड फ़ैक्टर बढ़े तो आप यह भी देखिये कि केवल तेल का उपयोग करके उत्पादन न बढ़े इसमें खर्च अधिक आता है मेरे पास आंकड़े हैं पिछले 10 महीनों में इस वजह से साढ़े 18 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। उत्पादन में इतना नहीं लगना चाहिये इस खर्च को कम करना होगा। इसके साथ-साथ अपने विभाग को इस तरह बनाइये कि आम आदमी को, किसान कोदर से दर की ठोकर न खानी पड़े। अभी तक आपके सहायक इंजीनियर तहसीलों पर नहीं रहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब एस0 डी0 एम0 और मुन्सिफ़ तथा और तमाम आफ़िसर्स तहसीलों पर रहने लगे हैं तो क्यों नहीं आप भी अपने सहायक इंजीनियरों को वहां पर रखते हैं।

इसके साथ-साथ आपके विभाग में नीचे के स्तर पर बहुत वैस्टेड इंटरेस्ट है। आप उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं करते हैं? आप एक नीति क्यों नहीं बनाते है कि एक जिले, एक शहर में 5 साल से ज्यादा कोई नहीं रहेगा? इससे हो रहा है कि बड़े-बड़े अधिकारियों के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उन्होंने तमाम गड़बड़ियां पैदा कर रखा है। मान्यवर, अभी एक चतुर्वेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेक्चरार है, उनके पास 40 हजार रुपये का बिल आया है, सी0 ओ0 एक पुलिस के हैं उनके पास 13 हजार रुपये का बिल आया है।

(इस समय 5 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफ़रान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हम मान सकते है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है लेकिन रोजमर्रा यह गड़बड़ियां हो रही है और दफ्तर में कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें एक इंजीनियर की ड्यूटी लगाई अधिशासी अभियन्ता की ड्यूटी लगायें, जो इस प्रकार की गड़बड़ियों को देखें टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है लेकिन जान बूझ कर गड़बड़ी हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये जिससे आम जनता में मालूम हो सके कि आपका विभाग उनके प्रति समर्पित है। लेकिन आज लगता है कि आपके विभाग से जनता से कोई मतलब नहीं है। हम लोग मीटिंग करते हैं तो आपके विभाग के इंजीनियर भी उसमें नहीं जाते हैं। इसलिये चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि मीटिंग करें तो आपके अधीक्षण अभियन्ता, ज़ोनल चीफ़ मीटिंग में जायें और जनता से सीधा संपर्क स्थापित करें।

मान्यवर, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने विभाग में एक ऐसी प्रणाली देंगे जिससे जनता के कष्टों का निवारण हो सके और बिजली अनवरत अविरल गति से आम आदमियों को मिलेगी। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि जब बिजली चली जाती है तो लोग कहते है कि शास्त्री जी चले गये और उसी समय जब आ जाती है तो कहते है कि शास्त्री जी आ गये। हम चाहेंगे कि आप आते ही रहें और पर्मानेन्ट आते रहें जाने की बात न हो। इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि आज जो स्थिति है उसको बदलने के लिये केवल केन्द्र सरकार पर, प्लानिंग कमीशन पर अपने को आश्रित न रखें और जैसा श्री शतरुद्र प्रकाश ने सुझाव दिया, था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1043 मिलियन यूनिट, जैसा आप कहते है, बिजली की कमी रहेगी और आठवीं योजना अभी दूर है, तो सातवीं योजना में कोई नई यूनिट भारत सरकार ने नहीं दिया है, पुरानी पर ही पैसा दिया है, तो यह कमी आठवी योजना में कैसे पूरी आप कर लेंगे मान्यवर, इटावा और औरय्या और मथुरा के कोसी में जो टरबाइन यूनिट लगाने की बात है उसका इसमें जिक्र नहीं है कि कब यह यूनिट लग जायेंगे। जो पीकिंग परेशानी है वह कैसे दूर होगी, इसके बारे में आप बतायेंगे।

मान्यवर, मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रदेश में गर्मियों में बिजली में किसी प्रकार की कटौती आप नहीं करेंगे। मान्यवर, जैसा श्री वर्मा जी ने कहा है तो साढ़े 27 को कम कर दें चूंकि किसानों का गेहूं धान का मूल्य तो आप दे नहीं सकते है, तो यह कमी कर दें विद्युत में कमी कर दें। सिंचाई में बिजली के रेट कम कर दें जिससे किसानों को सही माने में बिजली मिल सके। मान्यवर, मेरा यह भी आग्रह है कि बहुत से गांवों में खंभे गिरा दिये गये है, तो कहना चाहूंगा कि जहां खंभे गिरे है वहां के लिये आपकी तरफ़ से आश्वासन हो गया कि विद्युतीकरण करा दिया गया। उन गांवों में तो आप जरुर ही विद्युतीकरण करा दीजिये ताकि आपकी साख रह सके और लोग आप पर विश्वास रख सकें कि आप कहते ही नहीं करते भी हैं। हमें उमीद है कि आज आप सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि उन गांवों में अवश्य विद्युतीकरण करा देंगे, जहां खम्भे लगा दिये गये हैं। इसके साथ ही आप यह क्यों नहीं सोचते है कि कोई बाण्ड एन0टी0 पी0 सी0 की तरह सरकुलेट करें, ताकि आपको पैसा मिल सके जिससे आप अपनी तापीय और जल विद्युत योजनाओं के कार्य को करा सकें, उन्हें पूरा करा सकें। यदि आप नहीं कर सकते है, तो आप प्राइवेट सेक्टर से ही बात क्यों नहीं करते हैं। आप केन्द्रीय सरकार से भी बात करें कि आठवी पंचवर्षीय योजना में कम से कम विद्युत संकट उत्तर प्रदेश में न रहे। इन सुझावों के साथ, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी बातों का समर्थन किया और ऊर्जा मंत्री से उम्मीद करता हूं कि वह सदन को कुछ नई चीजें बतायेंगे बजट से अलग चीजें, जिससे प्रदेश की जनता को लगे कि ऊर्जा मंत्री जी ने आज जनता जनार्दन के लिये कुछ अच्छी घोषणा की है।

*श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी के प्रति जिन्होंने यहां पर कटौती का प्रस्ताव रख कर कुछ ऐसे सुझाव दिये है जिनसे इस विद्युत परिषद के कार्यकलापों में सुधार लाने के लिये मुझे जानकारी प्राप्त हो सकी है। साथ ही साथ मैं आभारी हूं अपने सभी माननीय सदस्यों का- सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का, जिन्होंने अपने विचार यहां पर प्रकट करके कई अच्छे सुझाव हमारे समक्ष प्रस्तुत किये है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सुझावों के द्वारा हम लोग अपने प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। उसमें और गति आयेगी और हम तेजी से प्रगति करके प्रदेश को विद्युत संकट से निकाल सकेंगे।

यहां पर मैं एक बात माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 1985 में जब इस विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुन वीक्षण नहीं किया।

के द्वारा नई-नई मशीनों को लगाने और क्षतिग्रस्त मशीनों को चालू करने का प्रयास किया गया, बहुत-सी कठिनाइयां समय-समय पर उपस्थित हुई, लेकिन केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क बनाते हुए इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया कि हम मशीनों को ठीक से और समय पर चालू हालत में कर लेंगे। मैं एक बात और अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। प्लान्ट लोड फैक्टर के सम्बन्ध में कि पिछले वर्ष यानी दिसम्बर, 85 मे यह जहां 35.5 प्रतिशत था, यह दिसम्बर, 86 में बढ़ कर 36.1 हुआ है। उसी तरह जो जनवरी, 85 में 31.2 था, वह जनवरी, 86 में 42.5 हो गया। फरवरी, 85 में 35.1 था वह बढ़ कर फरवरी, 86 में 42.4 हो गया। मार्च, 85 में जो प्लान्ट लोड फैक्टर 35.6 था, अब उसके स्थान पर हमारा लक्ष्य मार्च, 86 के लिये 50 प्रतिशत का है। तो श्रीमन्, यह इस बात का संकेत है कि कैसे हम विद्युत की कमी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से हम विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर रहे हैं। अभी हमारे शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि इस वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1700 मेगावाट की कमी आयेगी, जबकि हमारे अनुमान के अनुसार यह कमी 1722 मेगावाट की होगी। [5 बजकर 45 मिनट] लेकिन श्रीमन्, इसकी पूर्ति के लिये हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो केन्द्र सरकार द्वारा हमारे विद्युतगृहों का निर्माण हो रहा है उनमें जो हमारा शेयर 45 प्रतिशत होता है उसके द्वारा हम इस कमी की पूर्ति करें। इस संबंध में माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि एन0टी0पी0सी0 के द्वारा जो विद्युत गृह बनाये जा रहे है उनमें सिंगरौली विद्युत गृह की क्षमता 2 हजार, रिहंड बिजली घर की क्षमता 1 हजार और नरोरा एटामिक पावर हाउस की क्षमता 460 मेगावाट और इटावा में जो गैस टरबाइन से बिजली पैदा होगी उस बिजली घर की क्षमता 500 मेगावाट होगी तो इस तरह से लगभग कुल अधिष्ठापित क्षमता जो केन्द्र सरकार द्वारा की जायगी वह 4 हजार मेगावाट होगी और उसमें 45 प्रतिशत हमारा हिस्सा होगा और उसके द्वारा हमें 18 सौ मेगावाट बिजली मिलेगी। तो इस प्रकार से जो 1722 मेगावाट की कमी है उसकी पूर्ति करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुये मशीनों के रखरखाव का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया है कि आगे आने वाले वर्षों में हम लगभग 50 से 51 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर बनाये रखें। अभी यहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात कही गयी थी, माननीय सदस्य वर्मा जी ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा तो जो 3 बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके बारे में मैंने सदन में कहा था कि 2 करोड़ रुपये से अधिक उनके ऊपर बकाया है।

मैं बता देना चाहता हूं कि कनौडिया का जो मामला है और जो हिन्डालको का मामला है वह दोनों न्यायालय में विचाराधीन है। इनके निस्तारण के संबंध में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। मोदी के संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि उनसे सबंधित केस हम ने न्यायालय से जीत लिया है और 2 करोड़ 30 लाख रुपये उनसे वसूल कर लिये हैं। इसके अलावा मोदी के ऊपर हमने रेड किया और यह पाया कि यह पीक आवर में जब बिजली का प्रयोग करने पर रिस्ट्रिक्शन होता है बिजली का उपयोग कर रहे थे तो जो उन्होंने इसका वायलेशन किया इसके तहत उनका चालान किया गया और पेनाल्टी लगायी गयी और उनसे 2 लाख 20 हजार रुपये वसूल कियेगये।

(मेजों की थपथपाहट।)

यह मैंने इसलिये कहा है कि इससेस्पष्ट है कि हमारे शासन का उद्देश्य हैकि अगर कोई अनियमित तरीके से बिजली प्रयोग करता है यदि अनियमित तरीके से विद्युत देयों को नहीं देता है तो हम उसके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करके वसूली करेंगे। श्रीमन्, यहां पर एक मद जो माइको प्रोजेक्ट है उनके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने इस संबंध में नहीं कहा था, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय इस तरह के 16 माइक्रो हाइडिल पावर स्टेशन है जिनके द्वारा 7.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य माइक्रोहाइडिलस्कीम्स है जिन पर काम कर रहे है। 2.4 मेगावाट की क्षमता आगे

आने वाले एक-दो वर्ष में इनसे हम बढ़ा लेंगे। इसके साथ ही साथ माइक्रोहाइडिल स्कीम्स को महत्व देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम माइक्रो हाइडिल द्वारा अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक माइक्रो हाइडिल कारपोरेशन गठित किया है जिसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस समय इसके पास 4 ऐसी परियोजनायें हो गयी है जिनके द्वारा 4.3 मेगावाट की क्षमता बढ़ेगी।

श्रीमन्, इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में और जो हमारे ग्रामीण अंचल है उनमें हम किस प्रकार बिजली पहुंचा सकें इसको देखते हुये इन सब माइक्रोहाइडिल परियोजनाओं पर ते जी से काम हो रहा है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी श्रीनगर जल विद्युत गृह परियोजना है उसकी जो क्षमता थी वह 200 मेगावाट थी। हमने इस संबंध में एक सर्वेक्षण कराया, एक स्टडी करायी गयी और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि किस तरह से हम उस पानी का अधिक से अधिक उपयोग कर लें और वहां पर 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करें। तो यह जो 100 मेगावाट की वृद्धि है यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में होगी। इसी के साथ-साथ ओबरा विद्युत गृह के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। वहां की क्षमता 1550 मेगावाट है। हमारे पास वहां पर ऐसी 5 मशीने है जो 200 मेगावाट की है। उनके द्वारा हम विद्युत उत्पादन करते हैं, हमारा जो कोल हैण्डलिंग प्लान्ट है वह इस तरह से डिजाइन किया गया है हमें "ए" तथा "बी" ग्रेड का कोयला प्राप्त होगा, लेकिन वह कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिये पूर्ण क्षमता से उस कोल हैण्डलिंग प्लान द्वारा उन 5 मशीनों तक नहीं पहुंच पा रहे है। इसी कारण हम पूर्ण जो क्षमता से उत्पादन किया जाना चाहिये था, वह नहीं कर पा रहे हैं। इसी संबंध में हमने एक योजना बनाई है 50 करोड़ रु0 की वर्ल्ड बैंक की सहायता से। यदि हमने ऐसा कर लिया और वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग प्राप्त हो गया तो कोल हैण्डलिंग से हम पांचों मशीने को एक साथ चला सकेंगे। साथ ही साथ हरदुआगंज, विद्युतगृह है, वहां पर ए0 पावर हाउस की सबसे पुरानी मशीने है, उसके विस्तार की योजना हमने तैयार की है, जिसने हम कुल 90 मेगावाट की पूर्णरुप से क्षमता स्थापित कर सकें।

दूसरे मान्यवर, जो पारेक्षण के संबंध में कुछ बातें कहीं गयीं कि जो लाईन हानियां होती है यह सही है कि यहां पर 18 प्रतिशत लाईन हानियां हो रही है लेकिन यह हानियां केवल यहीं पर नहीं हो रही है और भी बहुत से प्रदेश है, जहां पर हमसे ज्यादा लाईन हानियां हो रही है। इस संबंध में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट वर्ष 1984–85 है, इसमें दिये गये कुछ आंकड़ों से आपको अवगत कराऊंगा और ऐसे भी दो प्रदेश है जहां पर हमसे कम हानियां हो रही है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में 12.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 12.3 प्रतिशत और जो शेष प्रदेश है उनकी हानियां उत्तर प्रदेश से भी अधिक है। कर्नाटक में 20 परसेंट, बिहार 23 परसेंट और पंजाब जिसका जिक्र भी यहां आया उसका भी 20 परसेंट और राजस्थान में 21.50 परसेंट है। इसलिये हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने यहां की 18 प्रतिशत की हानि से संतुष्ट है। नहीं हमारा यह प्रयास है कि इसे हम घटाएं और घटाकर 15.16 प्रतिशत तक करेंगे भी। और दूसरी बात गलत तरीके से अनियमित ढंग से बिजली की चोरी हो रही है या लोग आपूर्ति कर लेते है, तो इस संबंध में भी हम पूरी तरह से सजग रहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के प्रति कठोरतम कार्यवाही करके अपने उपभोक्ताओं को बिजली सुचारु-रुप से पहुंचाएं और आप लोगों को याद होगा कि इसी सिलसिले में मैंने पहले एक अध्यादेश जारी किया फिर उसे यहां विधेयक के रुप में प्रस्तुत किया, जिस में यह था कि जहां एक ओर चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी वहीं दूसरी ओर चोरी कराने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा और

उनके ऊपर भी कठोरतम कार्यवाही की जायेगी चाहे वह कोई हो, हरेक के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमन्, इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाईयों के संबंध में कहा गया तो इस संबंध में यह कहना है कि ट्रांसफ़ारमर कहीं काम नहीं कर रहा है और वह लाईन 30 दिन से अधिक खराब रही और 30 दिन तक उस लाईन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां के किसान को छूट देते हुए फ़िक्स चार्जेज उनसे लेते हैं, साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि जहां पर निजी नलकूप की बोरिंग हो गयी हो और उस पर यदि किसान ने पैसा जमा कर दिया हो, तो अगर यह बोरिंग सही न हो तो 6 माह के अन्दर किसी दूसरे स्थान पर उसी पैसों पर किसान दूसरी बोरिंग करा सकता है और उसी खर्चे पर उसका विद्युतीकरण हम करा देंगे। साथ ही साथ मान्यवर, वितरण योजना (डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टेम) पर नोयडा जो हमारे गाजियाबाद जनपद के एक ओर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ है वहां पर हम लोगों के 17 मेगावाट का प्लान्ट लगाने की योजना बनाई है। हालांकि अभी वहां वालों की मांग तो 17 मे0 वा0 की है जो आगे चलकर 25 मे0 वा0 हो जायेगी। तो इस प्रकार से हम उन्हें 17 मे0 वा0 की बिजली दे देंगे। वितरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और वितरण के बाद जो राशि होगी वह उसे वसूल करेगें। तो इस प्रकार का हमने इक्सपेरीमेन्ट शुरू किया है इसे हम नोयडा क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं। अगर यहां पर हमको सफ़लता मिलती है, तो और भी औद्यगिक क्षेत्रों में इस योजना को लागू करेंगे, जिसके द्वारा हम औद्योगिक क्षेत्रों को पूर्ण रूप से बिजली से सुनिश्चित कर सकेंगे। एन0 टी0 पी0 सी0 की स्वीकृति मुरादनगर में हुई थी, उसे दादरी में लगाये जाने की योजना बनाई गयी थी। इसमें जो हमारे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, वह पूरी कर ली गयी है। जो हमारा हिंडालको औद्योगिक संस्थान है, उसके साथ 50 मेगावाट का एक एग्रिमेंट बनाया गया है। अगर उन्हें 50 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता होगी, तो हमें देना होगा। इस समय हम उन्हें 5 मेगावाट की बिजली दे रहे हैं। 65.5 मेगावाट की एक यूनिट और लगाने हेतु हिंडालको ने केंद्रीय सरकार से अनुमति मांगी है जैसे ही यह स्वीकृति मिल जायगी, तैसे ही हमारा एग्रिमेंट समाप्त हो जायगा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये 26 करोड़ रुपया हमने 86-87 में आबंटित किया है, जिसके द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से पूरी कर सकेंगे। उसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम लोगों ने पारेषण को और मजबूत रखने के लिये कार्यवाही की है। यह पारेषण 18 प्रतिशत है। हमने 132 के0 बी0 के सब-स्टेशन पूर्वी क्षेत्र में 12 और पश्चिमी क्षेत्र में 6 लगाने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की है।

हमारे माननीय जय नारायण तिवारी ने धनपतगंज में 33/11 के0 वी0 के सब-स्टेशन लगाने की बात कही है। इसका निर्माण शीघ्र किया जायगा और उसका ऊर्जीकरण भी शीघ्र होगा। हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने गाज़ीपुर के बारे में जिज्ञासा जाहिर की। मैं गाज़ीपुर को स्पेशल कटेगिरी में ले जाऊंगा, जिससे वहां पर अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति हो सकें। श्रीमन्, यहां पर बिजली की दरों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। श्रीमन्, यहां पर जो बिजली कीदरें बढ़ाई गयी हैं, उसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि निजी नलकूपों के ऊपर और घरेलू बिजली के ऊपर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है। लघु उद्योग पर 8.5 पैसे की वृद्धि की गयी है। मध्यम उद्योग पर 17 पैसे की वृद्धि की गयी है और बड़े उद्योगों पर जो नान-कंटीनुअस हैं 11.8 पैसे की वृद्धि की गयी है और जो कंटीनुअस उद्योग हैं, उन पर 19.4 पैसे की वृद्धि की गयी हैं। जो राजकीय नलकूप हैं, उन पर 17.1 पैसे की वृद्धि की गयी है।

मान्यवर, आसाम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बम्बई में विद्युत की दरें उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा हैं।

हमारे यहां घरेलू उद्योगों के लिये जो बिजली दी जाती है, उस पर हम केवल 57 पैसे ही ले रहे हैं। उद्योगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अभीतक अन्य प्रदेशों में से बिजली की दर ली जा रही है। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि हर चीज़ों के दाम बढ़े हैं, इसके कारण हमारे कोयला, फ़्यूल आदि सबके दाम भी बढ़ना स्वाभाविक है और उसी के अनुरूप हमें बिजली की दरों को भी बढ़ाना था, लेकिन केवल उद्योग के ऊपर इसका भार डाला है अन्य पर नहीं, हमने अपने उत्पादन में, जो विद्युत् का उत्पादन है, जो कास्ट आता था, मान्यवर, विद्युत् उत्पादन की जो प्रति यूनिट कास्ट थी, वह 85-86 में 81.8 पैसे प्रति यूनिट थी और अब 77.3 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। इस प्रकार विद्युत् उत्पादन में हर प्रति यूनिट पर खर्चा कम किया है। इस प्रकार हम लोगों ने निरन्तर प्रयास किया है कि अधिक से अधिक विद्युत् का उत्पादन और आपूर्ति करें। जैसा कि लोगों ने, माननीय सदस्यों ने बताया कि आज प्रदेश में विद्युत् का संकट किस तरह से गम्भीर रूप में है और उससे हम ऊपर उठते जा रहे और अधिक से अधिक हमको सफ़लता मिलती जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम विद्युत् की आपूर्ति सुचारू रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित करने का प्रयास कर रहे है जिससे आगे आने वाली गर्मियों में हमारे उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो। मैं इन शब्दों के साथ माननीय रेवतीरमण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं और उन्होंने बहुत से सुझाव दिये हैं, जरूर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और सर्वसम्मति से इसे पास करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बिजली का जो टेरिफ़ बढ़ा है या घटा है उस पर चर्चा की आपका जो साहित्य है जिसमें मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी की गई है उसमें लिखा है कि जिन श्रेणियों में विद्युत् दरें अभी तक अपरिवर्तित हैं उनका पुनरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर परिषद् के विचाराधीन है। तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि जो बढ़ाया गया है उसको समिति की संस्तुति या रिपोर्ट के बाद और बढ़ाया जायेगा।

श्री सुनील शास्त्री--

अभी यह मामला विचाराधीन है। इसके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसमें कमी भी हो सकतीहै और ज्यादा भी हो सकता है।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी एक उन्होंने अपने उत्तर भाषण में नीति संबंधी घोषणा कीकिवे निजीक्षेत्रमें विद्युत् उत्पादन हेतु हिन्डालकों को और अन्य केस को फ़ारवर्ड कर रहे हैं। श्रीमन्, पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने निजी क्षेत्रों को बिजली घर लगाने की अनुमति नहीं दी थी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पहले निजी क्षेत्रों में विद्युत् उत्पादन गृह लगाने के लिये आपके यहां भेजे गये थे क्या उनको पुनः केन्द्र सरकार को भेजेंगे क्योंकि केन्द्र सरकार ने अभी इस संबंध में अनुमति दी है?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कैपिटल यूनिट के संबंध में हम लोगों ने इसलिए संस्तुति की कि निजी प्रयोग के लिये कोई औद्योगिक संस्थान यूनिट लगाना चाहे तो उसकी अनुमति केन्द्र सरकार दे देती है और यदि ऐसा कोई आयेगा तो जरूर प्रदेश सरकार विचार करेगी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह गांव जो नगरमहापालिका या नगरपालिका की बढ़ी हुई सीमा से आगे गये हैं क्या उनको आर० ई० सी० की योजना के लिये आप प्रोवाइड करेंगे? मेरा निवेदन है कि जो गांव नगरमहापालिका या नगरपालिका की सीमा में आ रहे हैं उनको आर० ई० सी० से न निकालें और उनके विद्युतीकरण के लिये धन दे दिया जाय।

श्री सुनील शास्त्री--

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,87,85,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वर्ष 1986-87 के लिये विधान सभा की विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम निर्देशित करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

1--(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम -229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य नियम-231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य ,

(2) विधान परिषद् तथा विधान सभा द्वारा क्रमश: 7 अगस्त, 1985 और 20 अगस्त, 1985 को पारित संकल्प के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति में 25 सदस्य

(3) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमश: दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं 14 अगस्त, 1974 को पारित संकल्प के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य तथा

(4) मंत्रियों को परामर्श देनें के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि के नियम-1 के खण्ड (ङ) के साथ पठित खण्ड (क) के अनुसार मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये और उसके बाद समय-समय पर उनकी आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई,हों पूर्ति के लिये विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने का उपबन्ध है ।

2--उक्त सम्बन्धित नियमों तथा संकल्पों के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1986-87 के लिये सदन की उक्त समितियों संयुक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये सभी स्थाई समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है ।

3--सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1986-87 के लिये विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम. निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है यह सदन उसे स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अनम्मुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि(द्वितीय संशोधन विधेयक, 1986

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1985 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, अननुमोदन का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जनता का जो मूलभूत अधिकार है, उनके ऊपर यह सरकार अंकुश लगा रही है । वह भी अध्यादेशों के द्वारा। स्थानीय निकायों का अपना महत्व है। पिछली बार जब अध्यादेश लाया गया था तो मैंने अननुमोदन प्रस्ताव रखा था और शासन की ओर से वादा किया गया था कि आगे इसको नहीं बढ़ाया जायेगा लेकिन फिर अध्यादेश आ गया। अध्यादेश के द्वारा एक वर्ष की अवधि चुनाव के लिये बढ़ा रहे हैं। अननुमोदन के लिये इसलिये कह रहा हूं कि हम और हमारी पार्टी की यह मान्यता है कि स्थानीय निकायों का प्रशासन प्रशासकीय अधिकारियों के हाथ में नहीं होना चाहिये। इसका प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिये। जब उनकी कालावधि समाप्त होती है, उसे पहले जरूरत यह थी कि चुनाव करा दिये जायं और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, वह अपने स्थानीय निकायों का संचालन करें । ऐसा इसलिये है कि प्रशासकों के द्वारा जो संचालन हो रहा है, उसमें जनता की भावनाओं का आदर नहीं होता है। इसीलिये प्रदेश में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अपने तर्क की पुष्टि के लिये मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी मेरे जिले से आती हैं। उनको स्मरण होगा कि सीतापुर नगरपालिका में 8 लाख रुपये का तारकोल खरीदा गया। स्वायत्त शासन सचिव के यह निर्देश थे कि यह तारकोल पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से खरीदा जायगा, लेकिन इस आदेश की अवहेलना करके सीतापुर नगर पालिका के लोगों ने सीधे तारकोल खरीद लिया। हम लोगों ने शिकायत की कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया गया है।

आपको आश्चर्य होगा कि कई वर्षों तक मामला दबा रहा। एक प्रशासक आये, उन्होंने उन खरीद करने वाले अधिकारियों को माफ़ कर दिया, केवल दो के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी। अब 8 लाख की खरीद मानक के विपरीत की गयी, इतनी भारी गलती के लिये केवल एक एडवर्स एन्ट्री देना कहां का न्याय है? लेकिन इसका कारण यह है कि इसमें खरीद करने वाले बड़े अधिकारियों के हाथ खुद भ्रष्टाचार में रंगे थे। इसी प्रकार मिश्रिख में एक कैशियर पर 50 बोरी सीमेंट के मामले में आरोप लगाया गया। मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने यह एडमिट किया कि शीघ्र फ़ैसला किया जाय। उसके बाद एक प्रशासक ने उनके टर्मिनेशन के आदेश कर दिये। उसके बाद दूसरे प्रशासक आ गये। दूसरे प्रशासक ने तत्काल उनको बहाल कर दिया। सोचना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक प्रशासक ने टर्मिनेट कर दिया तो दूसरे ने उसे बहाल क्यों कर दिया। इसी प्रकार लहरपुर में पानी की टंकी के लिये जमीन ली जा रही थी पच्चीस हजार में सौदा हुआ। लेकिन उसके बाद जमीन बदल कर दूसरी जगह घटिया जमीन 75 हजार रुपयों में ली गयी। यह क्यों है? मान्यवर, मैं इस भ्रष्टाचार की बहुत चिन्ता नहीं करता क्योंकि, यह कर्मचारियों का भ्रष्टाचार है, जब चाहे रोक दिया जायगा, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इनके डिपार्टमेन्ट की शीर्ष स्थान से लेकर मंत्री जी तक घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांति बनाएं रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर, मैं आरोप लगा रहा था। मान्यवर, उस दिन जब लोक आयुक्त के बारे में मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मैंने आरोप लगाया था कि कुछ मंत्रियों के मामले लोक आयुक्त के पास हैं। उस समय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि उनके किसी भी साथी के खिलाफ़ कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। जब यह समाचार अखबारों में छपा, तब न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आईं और कहा गया कि गुप्ता जी आपको गलत उत्तर दिया गया। मुरादाबाद से एक उत्तर आया, जिसमें लोक आयुक्त को दिये गये प्रतिबाद की तारीख है। उसमें लोक आयुक्त के हस्ताक्षर थे। उसमें भ्रष्टाचार का आरोप पद्मा सेठ खिलाफ़ लगाया गया है। आरोप पत्र सर्व हो चुका है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा एक हाथ में लिए कागज-दिखाने पर)

संसदीय राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक कागज जो मा० गुप्ता जी हाथ में लिये दिखा रहे हैं....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह कागज अध्यक्ष पीठ के पास है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस कागज का हवाला दिया गया है, वह कागज क्या कोई सर्टिफ़ाइड कापी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह कागज मैं दिखा रहा हूं। यह शिकायत की सर्टिफ़ाइड कापी है। जो शिकायत लोक आयुक्त के यहां दी गयी है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह जो कागज है, जब तक यह नमालूम हो कि क्या है ? इसका कोई संदर्भ न लिया जाय और न कार्यवाही में लिखा जाय।

श्री अधिष्ठाता---

मेरे पास यह एक फ़ोटोस्टेट कापी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त----

यह आपके पास जो फ़ोटो कापी है, लोक आयुक्त में दिये गये प्रतिवेदन की सर्टिफ़ाइड कापी न हो, उसके ऊपर लोके आयुक्त कार्यालय, लखनऊ की मुहर न लगी हो, तो मैं क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं। मान्यवर, मैं इसकी एक कापी माननीय संसदीयकार्य राज्य मंत्री जी को भी भिजवाये देता हूं। मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं कि आपस्थिति को देखकर के, इसकी आप सतर्कता विभाग से जांचकरा लें। मान्यवर, जो माननीया मंत्री जी को जो मिला है, उसके बारे में वे खुद ही यहां कह दें।

श्री अधिष्ठाता----

यह जो आपत्ति उठायी है वह अपने लिहाज से इसलिये भी उचित है कि लोकायुक्त को कहीं कोई मामला संदर्भित है तो वह अभी संदर्भित ही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

नहीं मान्यवर, आप इसमें देख लें लोकायुक्त के रिसीव के हस्ताक्षर भी मौजूद है।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें जो यह लिखा है संलग्न है तो वह भी इसमें संलग्न नहीं है कुछ। आप तो यूं भी कुछ बात कह सकते हैं। लेकिन इसका कोई कागनीजेंस नहीं लिया जा सकता।

इसका मैं कागनीजेंस नहीं लेता हूं।

(नगर विकास राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त तो कर दूं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल दता हूं।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, प्रदेश की चार नगर महापालिकायें--कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को वर्ष 1973 में अपगमित कर दिया गया था और 1974 में इलाहाबाद भी कर दी गयी थी और तब से वहां पर प्रशासक नियुक्त करदिये गये हैं। इसी प्रकारमान्यवर, प्रदेश के समस्त स्थानीय निकाय अपगमित हैं। मान्यवर, अध्यादेश अधिनियम जारी करके इसे बढ़ाया जाता रहा। पिछली बार यह कार्यकाल 31-12-85 तक केलिये बढ़ाया गया था। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से यह चुनाव नहीं हो सका इसलिये अंतिम बार यह कार्यकाल अध्यादेश द्वारा 31-12-86 तक के लिये बढ़ाया जा रहा है। उस अध्यादेश को इस विधेयक के द्वारा पुर:स्थापित किया जाना है।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन का प्रस्ताव रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, पिछले वर्ष भी महापालिकाओं का चुनाव संशोधन द्वारा एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया था। मुझे तो लगता है कि सरकार ने चुनाव न कराने के लिये एक वर्ष बढ़ाने का तरीका निकाल लिया है। महापालिकाओं, पालिकाओं और टाउन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक कर रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, घूसखोरी और भाई-भतीजावाद फैला हुआ है। जनता इन प्रशासकों के पास नहीं पहुंच पाती है। ये लोग उनकी पूरी अवहेलना करते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों की सफाई करना खम्भों में बल्व लगाने के लिये और सीवर लाइनों की सफाई के लिये उन्हें जन-प्रतिनिधियों के पास आना पड़ता है। अगर महापालिकाओं में जन प्रतिनिधि होते, तो वे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का ख्याल रखते।

मान्यवर, इस समय चुंगी की चोरी अपनी चरम सीमा पर है, जिसका हिस्सा चुंगी के मुहर्रिर से लेकर महापालिका के प्रशासक तक पहुंचता है। अकेले बरेली जैसे महापालिका में 8 से 10 हजार रुपये की चुंगी की चोरी प्रति दिन होती है। महापालिकाओं द्वारा जो भवन बनाये जाते हैं उनमें भी काफी धांधली होती है। इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

मान्यवर, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है प्रवर समितिको सुपुर्द करने का उसमें कोई फोर्स नहीं है। इस बिल में ऐसा कोई कम्लीकेशन भी नहीं है जिसकी वजह से इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। माननीय मंत्री जी ने तो दिसम्बर 1986 के अन्त तक चुनाव कराने के लिये तो कहा है। मैं माननीय गुप्ता जी से एक निवेदन कर दूं, वैसे भी उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि इस तरह से लाइटली चार्ज नहीं लगाना चाहिये भ्रष्टाचार का। म एक जज की बात कहना चाहता हूं। "आई एम नाट कनवेन्सड आफ एनी ला एण्ड फैक्ट अनलेस आई हैव हर्ड बोथ दि पार्टीज।" दोनों व्यक्तियों को सुनकर गहराई से किसी तथ्य पर जब तक न जाया जाय तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये। जो आपने एक सार्टिफिकेट दिया, वह एक प्रकार से लड़कपन है और वह सार्टीफाइड भी नहीं था। जब तक कोई चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सील्ड बाई प्रिसाइडिंग आफिसर नहीं होती, तब तक उसे वैध कैसे माना जायेगा ।

माननीय गुप्ता जी एक टीचर भी है उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये मुझे बड़ा दुख होता है ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी जो बात कह दी गई है, उसे आप रिपीट न करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान हुकूमत का ध्यान लोक संस्थाओं के महत्व से हटता जा रहा है । लोक संस्थाओं का इन्तजाम जन प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिये था लेकिन उनसे इनका विश्वास हटता जा रहा है । ये उनका चुनाव नहीं कराना चाहते है इनकी मंशा यह है कि यदि इस वक्त चुनाव कराते हैं तो इनकी पराजय निश्चित है । मान्यवर, आपके माध्यम से दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक में किसी भी परिस्थिति का आकलन नहीं किया गया है कि इस समय शासन के सामने कौन सी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं करा पा रहे है । क्या कोई भुखमरी की परिस्थिति आ गई या फिर कोई बाढ़ की परिस्थिति आ गई और या फिर कोई जाड़े की परिस्थिति आ गई । इस प्रकार की कोई भी विवेचना असामान्य परिस्थिति की इसमें नहीं की गई है । क्या शासन के सामने प्रशासनिक कठिनाई आ गई थी इस समय तो सरकार के सामने ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि शासन को चुनाव कराने चाहिये, जबकि परिस्थितियां इसमें कुछ नहीं कहीं गई है । माननीय मंत्री जी न भी अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है और लाल प्रताप सिह जी ने भी केवल माननीय सदस्यों से अनुरोध ही किया है कि एक साल के लिये टाल दिया जाय । अगर शासन के आगे चुनाव न कराने की कोई विशेष परिस्थितियां होतीं, तो हम विचार करते । चूंकि कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है, इसलिये मैं अननुमोदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, कई बार महापालिका के चुनाव टाले गये । माननीय गुप्त जी जब बोल रहे थे तो लगता था जैसे कोई ऊब हो गयी है । हर छः माह, एक साल, दो साल के बाद ऐसा अध्यादेश लाया जाता है । इसका कारण यही है कि भारत के संविधान में जो ढांचा है, दो खंभों पर आधारित है । जनतंत्र जब तक स्थानीय स्तर पर नहीं लाया जायगा तब तक स्थानीय संस्थायें राज्य सरकार की कठपुतलियां बनकर रह जायेंगी । भारतीय संविधान में ऐसा संशोधन होना चाहिये कि जैसे लोक सभा और विधान सभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही नगरमहापालिकाओं के भी होने चाहिये । यह राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिये कि चुनाव करायेंगे या नहीं । अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक फायदे का अनुमान जब सरकार कर लेती है तब चुनाव को टालने या कराने के बारे में फैसला करती है । जिस तरह से लोक सभाओं और विधान सभाओं के चुनाव होते हैं, उसी तरह से स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव भी होने चाहिये । जनतंत्र की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर भी होनी चाहिये यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा प्राविधान भारत के संविधान में नहीं हो पाया है । इस समय पूरे प्रदेश में जो नगर महापालिकायें हैं, जहां पर प्रशासक कार्य कर रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

एक ऐसा संशोधन भी पारित होना चाहिये कि चुनी हुई संस्थायें कब तोड़ी जायं ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं निवेदन कर रहा था कि नगरमहापालिकाओं के जो प्रशासक है, ये नगर महा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पालिकाओं में चुने गये प्रतिनिधियों का कार्य 1972 से लेकर आज तक करते-करते शिथिल पड़ गये हैं।

जितनी भी नगरमहापालिकायें है जनता के जबर्दस्त आन्दोलन के कारण, बनारस, कानपुर इलाहाबाद लखनऊ और आगरा जितनी भी नगरमहापालिकायें हैं और जल संस्थान है सारी की सारी नगरमहापालिकाओं की एसेसमेण्ट की कार्यवाही रोक देनी पड़ी क्योंकि जनता की यह मांग थी कि तब तक टैक्स न लगाया जाय, तब तक पानी पर टैक्स न लगाया जाय जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। जल संस्थान नगरमहापालिका, विकास प्राधिकरण, इन सारी जगहों पर सरकारी अफसर बैठे हैं और जनतांत्रिक मूल्यों का लोप हो गया है। हम चाहते हैं कि नगरमहापालिकाओं के चुनाव तत्काल हो जाने चाहिये। आखिर में यही कहना है कि अगर यह सरकार अपने वायदे से नहीं मुकरती है और इसकी जनतंत्र में आस्था है, अगर राज्य मंत्री पदमा सेठ सचमुच में चाहती है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में जन तंत्र रहे, तो चुनाव का ऐलान किया जाय। इस विधेयक को वापस ले लें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को पुकारे जाने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरी मांग है कि इस पर आप वोटिंग करा लीजिये।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

यह तो बहसबंदी का प्रस्ताव है, इसको मान लीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे इसके लिये पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने बहस बन्दी का प्रस्ताव रखा है, इसको तो आपको करना ही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात रखी थी। माननीया मंत्री जी आप कुछ कहेंगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया था, मैं कोई भाषण नहीं देता हू। मैंने कह दिया कि मैं पुनः अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीया मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्रीमती पदमा सेठ--

मान्यवर, शासन ने समस्त स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन तो जिलों में कराने का निश्चय किया है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले नगरपालिकाओं के और उसके बाद महापालिकाओं के चुनाव निश्चित होंगे। लेकिन दिसम्बर में चुनाव कराने से जो अपरिहार्य कारण मैंने बतायें थे वह यह थे--

एक सदस्य--

मान्यवर, आधा घण्टा पूरा हो गया है, अब वोटिंग करा लीजिये।)

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, अभी नही हुआ है। 6.05 मिनट पर यह शुरु हुआ है और 6.35 बजे समाप्त होगा, अभी आप बैठे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आपसे मैंने निवेदन किया था हमने प्रस्ताव भी रखा है। अब आप बहस बन्द करा दीजिये। अब आप उस पर व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने व्यवस्था दे दी कि मैं पहले प्रक्रिया को पूरी करके आपकी व्यवस्था को स्वीकार करूंगा, फिर वोटिंग होगी। लेकिन माननीय गुप्ता जी अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देकर बैठ गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर वोट करा लीजिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जब माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा तो प्रक्रिया में तो वही है । अब उस पर मतदान होना चाहिये ?

श्रीमती पदमा सेठ-

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चुनाव तो जिलों में होना निश्चित किया गया था और यह भी बताया कि पहले नगरपालिका और उसके बाद महापालिकाओं के चुनाव होंगे । लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गयीं कि जो दिसम्बर, 1985 में चुनाव होने थे वह न हो सके । इस तरह से चुनाव का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका, बाढ़ आ गयी बाढ़ भी ऐसी भयंकर कि जैसी पिछले कई वर्ष में ऐसी बाढ़ नहीं आयी थी । उससे काम तो रुक गया । उसके बाद मान्यवर, बिजनौर के बाई एलेक्शन आ गये और उसके बाद यह सत्र शुरु हो गया । मान्यवर, कम से कम 1 माह या डेढ़ माह का समय चाहिये । परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये इसके बाद 1-1-1986 में जो बच्चे 18 वर्ष के पूरे हो चुके है, जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य हो चुके है उनकी भी सूची बननी थी । इन बच्चों की सूची बनाकर पूरी करने का विचार है ।

श्री अधिष्ठाता--

6 बजकर 35 मिनट हो रहा है । समय पूरा हो गया है । माननीया मंत्री जी इसलिये आप बैठें ।

श्री अधिष्ठाता--

डा० जौहरी साहब, क्या आप अपने प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव पर बल देते हैं ?

डा० दिनेश जौहरी--

मैं बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमती पदमा सेठ--

यह जरूरी नहीं है, कि दिसम्बर, 1986 में ही कराये जायें । उसके पहले भी हो सकते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब तो गिन लिया । अब तो करा दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जब आप वहां पर बैठते हैं, तो आप को

[× × ×]

मुझे दुख है कि आप इतने सीनियर मेम्बर है उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

जब तक प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तब तक कैसे किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

शेम शेम शेम

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप मतदान करायें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1986 जसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो

नोट-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किये जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मतदान करायें, मतदान करायें।।

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

घंटी बजाई जाये। घंटी बजने के बीच और कोई बात नहीं होगी।

(घंटी बजायी गयी, घंटी बजते रहने के मध्य।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आपका वहां पर बैठना गलत है। आप पक्षपात कर रहे हैं। यह मेरा आरोप है। मैंने पक्षपात की बात की है, इसको कार्यवाही में लिख लीजिये। (मैं इसको जान बूझकर कह रहा हूं।)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है और यह संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है। मान्यवर, विपक्ष के लोग आज अपना असली रूप दिखा रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

ये विवेक से बात नहीं कर रहे हैं यह पक्षपात की बात कर रहे हैं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

जब घंटी बज रही है तो कोई बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

सत्ता पक्ष के लोग हमेशा ज्यादा रहे है, ज्यादा रहेंगे।

श्री किरन पाल सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

इस सदन की गरिमा को बनाने के लिये आप चले जाइये कोई दूसरा आदमी यहां बैठे। आप पर आरोप लग गया है पक्षपात करने का। मैं आग्रह करूंगा कि आप चले जायं कोई दूसरा आदमी आ जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, रेवती रमण जी ने जिस तरह के शब्द कहे हैं यह सदन की अवमानना है इस को कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान के मध्य घंटी बन्द होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद....

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री औसान सिंह, श्री बदन सिंह तथा श्री मुहम्मद आजम खां इत्यादि द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपने अपने स्थान पर जायं।

(श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री महराज सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां तथा विरोध पक्ष के कई सदस्य अध्यक्ष पीठकीओर बढ़ने लगे जिन्हें विधानसभा रक्षाकों ने रोक लिया किन्तु अत्यधिक शोर के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री महाराज सिंह यादव ने कार्यवृत्त लेखक के पत्रादि डायस की ओर फ़ेंके।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात 6 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी गई। 7 बजकर 12 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 7 बजकर 27 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफ़रान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(कई सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

सदन में इस पीठ की गरिमा बनाये रखने के लिये हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(डा० दिनेश जौहरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर पुनः प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 5 खण्ड। प्रस्तावना और शीर्षक।

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफ़ाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था, अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन (संशोधन) विधेयक 1986

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1986 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफ़ाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में जहां

कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे ।

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसंबर 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन 1978 की धारा 24 का संशोधन

प्रदेश
यादेश
21सन

5--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक खण्ड । प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती पदमा सेठ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासनविधि (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तरप्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें आज प्राप्त हुई थी जिसमें से एक उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के संबंध में श्री कौशिक रमाशंकर की सूचना स्वीकार की गयी है, शेष अस्वीकार की गयीं ।

मद संख्या 16 जनपद बांदा में हुई भीषण ओला बृष्टि तथा मद संख्या 17 अतरौली जनपद अलीगढ़ में पुलिस द्वारा फायरिंग के सम्बन्ध में चर्चा को स्थगित किये जाने की सूचना

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-- शेष मदों को मान्यवर, 11 तारीख के लिए स्थगित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

शेष मद 16 एवं 17 को स्थगित किया गया ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश

6 मार्च, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

जनपद–देवरिया के लिये वर्ष 1980 से 85 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आशय-पत्रों का विवरण––

क्र0 सं0	इकाई का नाम व पता	एल0 आई0 सं0 व दिनांक	उत्पाद का नाम
1	2	3	4
	1––मे0 सोमाइया आरगेनिक्स (इण्डिया) बम्बई।	एल0 आई0 590।80 दिनांक 31–10–80	इण्डस्ट्रियल एलकोहल
	2––मेसर्स परतापुर शुगर इण्डस्ट्रीज लि0, 9, बाबोर रोड कलकत्ता।	एल0 आई0 664।83 दिनांक 19–10–83 (एस0 आई0)	शुगर
	3––मे0 शकर एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0, कलकत्ता।	एल0 आई 314।81 दिनांक 23–5–81	राइटिंग एण्ड प्रिंटिंग पेपर
	4––लोहिया मशीन्स लि0	एल0 आई0 1036।83 दिनांक 3–12–83 (एन0 यू0)	टू-व्हीलर
	5––मे0 पिकप, अशोक मार्ग, लखनऊ	एल0 आई0 405।84 दिनांक 1–6–84 (एन0 यू0)	1––फुरफराल 2––एसिरिन एसिड 3––फोरलिस एसिड
	6––मे0 श्री राजेन्द्र कुमार सोमानी सोमानी भवन 61।27 नौघड़ा नयागंज, कानपुर।	एल0 आई0 829।84 दिनांक 12–11–84	जी0 पी0 जी सी सीट्स
	7––मे0 दिशंकर एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 4।1 रेड क्रास पैलेस कलकत्ता।	एल0 आई0 219।84 दिनांक 23–3–84	शुगर

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

अनुलग्नक "क"

वरीयता की सूची के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित वर्ग के कोटे से चयनित 26 अभ्यर्थियों के नाम व पते की सूची।

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	क्रमांक	नाम व स्थायी पता
1	श्री केसरी नारायण सिंह पुत्र श्री डी0 बी0 राय ग्राम व पो0 बोबी पुरबिया कान्धरापुर आजमगढ़।	10	श्री परमानन्द, पुत्र श्री आर0 एस0 दुबे संवेश निवास, इसौली रोड, पोस्ट–मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर (अमेठी)।
2	श्री अशोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री (स्व0) राजबहादुर मिश्रा ग्राम व पो0 कारनपुर कहमा जिला–लखीमपुर खीरी।	11	श्री सत्य प्रकाश राय, पुत्र श्री राजदेव राय ग्राम कच्छी कला, पोस्ट–कोपागंज जिला–आजमगढ़।
3	श्री दिनेश चन्द्र जयाल पुत्र स्व0 श्री अमरदत्त जयाल काशीरामपुर, नजीबाबाद रोड कोटद्वार (गढ़वाल)।	12	श्री अशोक कुमार शर्मा, पुत्र श्री आर0 सी0 शर्मा, ग्राम व पो0–लौडोह गाजीपुर।
4	जी जामोहन सिंह रावत, पुत्र स्व0 श्री जी0 एस0 रावत ग्राम–पिलवेडी पोस्ट–रिखानीखाल जिला–पौड़ी गढ़वाल (उ0प्र0)	13	श्री प्रदुमन कुमार दुबे, पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ दत्त, ग्राम व पो0–हैदरपुर इटावा।
5	श्री पदमाकर राय, पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र राय ग्राम व पोस्ट–देवकाली बहादुरपुर, बलिया।	14	श्री कमला सिंह यादव, पुत्र श्री के0 एस0 यादव, ग्राम––बगाही पो–नन्दगंज, गाजीपुर।
6	श्री किताबुल्लाह पुत्र स्व0 श्री टी0 एम0 हुसैन ग्राम बैजनोपुर पो0 कलवारी जिला–बस्ती।	15	श्री राम रतन सिंह, पुत्र श्री एस0पी0 सिंह, मोहल्ला–छोटा काजीपुर (इमली का पेड़) गोरखपुर।
7	श्री अशोक कुमार राव पुत्र श्री महताब सिंह, ग्राम नूरपुर पो0 सिकन्दरपुर काकौड़ी, गाजियाबाद।	16	श्री लल्लन राय, पुत्र श्री आर0 डी0 राय ग्राम–खरकोली, पो0––दोहारी घाट, जिला आजमगढ़।
8	श्री फतेह चन्द गंगवार, पुत्र श्री पी0 सी0 गंगवार, ग्राम रामपुर नार्थ, पो0 ओखाली, शाहजहांपुर।		
9	श्री भूपेन्द्र नाथ तिवरी, पुत्र श्री एल0 एन0 तिवारी 23 47, 146, शिवनगर अल्लापुर, इलाहाबाद।		

क्रमांक	नाम व स्थायी पता	क्रमांक	नाम व स्थायी पता
17	श्री फरीद अहमद, पुत्र श्री अब्दुल कयूम खान नायर द्वारा एम0 ए0 खान नियरइबादुल्ला खान (एडवोकेट) मोहल्ला–तुकमानपुर, गोरखपुर।	22	श्री शेष नाथ राय, पुत्र जी राम कृपाल राय, द्वारा श्री विन्ध्याचल राय, ग्रा0 व पो0–करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर।
18	श्री करूनेश पाठक, पुत्र श्री डी0 पाठक, ग्रा0 व पो0 पिन्डी, जिला देवरिया।	23	श्री मुकेश नारायण शर्मा, पुत्र श्री एस0 एन9 शर्मा, 11, सर्कुलर रोड, देहरादून।
19	श्री विष्णु प्रभार शुक्ला, पुत्र श्री बी0 एन0 शुक्ला, ग्राम–कलाही, पो0–डोहा (करछना,) इलाहाबाद।	24	श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, पुत्र श्री एल0 पी0 श्रीवास्तव, ग्रा0–शिवपुर, पो0 भदसर, बलिया।
20	श्री शशि कांत त्रिवेदी, पुत्र श्री जे0 एन0 त्रिवेदी, 171, सुभाषनगर, हरदोई।	25	श्री विनोद कुमार मिश्र, पुत्र श्री आर0 के0 मिश्रा, आजाद नगर, भारतीय स्टेट बैंक के पास, लालगंज, रायबरेली।
21	श्री महेन्द्र स्वरूप पाण्डे, पुत्र श्री गुरुदत्त पाण्डे, मोहल्ला–सग़याना, ग्रा0 व0 पो0–पटियाली, एटा।	26	श्री राम प्रताप चौरसिया, पुत्र श्री पी0 एल0 चौरसिया, 31, बुक मुन्डेरी पोस्ट–बेगम सराय, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

जांच आख्या

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बांदा।

महोदय,

श्रीमती बितैइया पत्नी श्री गामा एवं श्रीमती नन्हैइया पत्नी श्री भइया लाल, निवासी ग्राम मुरालिया का पुरवा एवं रामकिशन प्रधान का पुरवा क्रमश: की नसबन्दी के मामले में पुन: जांच किया गया। तथा यह पाया कि श्रीमती नन्हैइया एवं श्रीमती बितेइया दोनों विधवाएं हैं।

श्रीमती बितइया की उम्र लगभग 35 वर्ष है तथा इसके तीन जीवित बच्चे है तथा सबसे छोटे बच्चे की आयु लगभग सात वर्ष है। उन्होंने अपनी नसबन्दी स्वेच्छा से जमीन की लालच में कराई है, विधवा होने की सूचना नहीं दी।

श्रीमती नन्हइया की आयु लगभग 45 वर्ष है तथा उसके छोटे बच्चे की आयु लगभग 25 वर्ष है। इन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग जिनके नाम श्री गुडवा, श्री जवाहिरा, श्री राम प्यारे और श्री शिव नारायण है, इनको गांव से जबरदस्ती नसबन्दी हेतु जिला चिकित्सालय, पी0 पी0 सेन्टर, बांदा ले गये तथा वहां श्रीमती नन्हइया का आपरेशन हुआ। उन्होंने किसी सरकारी कर्मचारी एवं चिकित्साधिकारी को उपरोक्त के संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उन पर कोई जबरदस्ती नहींली गई थी जैसे कि उन्होंने बताया। नसबन्दी के पूर्व आवेदन-पत्र में उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नसबन्दी करवाने हेतु निशानी अंगूठा लगाया तथा बेसहारा होने की सूचना उन्होंने नहीं दी।

(ह0) अपठनीय
डिप्टी चीफ मेडिकल आफिसर (I)
बांदा।

आख्या से सहमत हूं।
(ह0) अपठनीय
मुख्य चिकित्साधिकारी,
बांदा।

नत्थी "घ"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

बरेली जिले को छोड़ कर शेष उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का जिलेवार प्रतिशत

क्रम संख्या	जिले का नाम	औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत	क्रम संख्या	जिले का नाम	औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	1	2	3
1	उत्तर काशी	1.33	29	इलाहाबाद	6.56
2	चमोली	2.10	30	जालौन	2.34
3	टेहरी गढ़वाल	0.91	31	झांसी	5.83
4	दहरादून	3.10	32	ललितपुर	3.62
5	गढ़वाल	1.18	33	हमीरपुर	3.85
6	पिथौरागढ़	2.40	34	बांदा	2.71
7	अल्मोड़ा	2.29	35	खीरी	1.45
8	नैनीताल	3.06	36	सीतापुर	3.23
9	सहारनपुर	3.23	37	हरदोई	1.95
10	मुजफ्फरनगर	4.13	38	उन्नाव	2.80
11	बिजनौर	8.28	39	लखनऊ	7.38
12	मेरठ	6.50	40	रायबरेली	2.37
13	गाजियाबाद	4.40	41	बहराइच	1.27
14	बुलन्दशहर	4.02	42	गोण्डा	1.53
15	मुरादाबाद	4.91	43	बाराबंकी	4.66
16	रामपुर	2.79	44	फैजाबाद	4.51
17	बदायूं	1.72	45	सुल्तानपुर	3.01
18	पीलीभीत	1.69	46	प्रतापगढ़	2.29
19	शाहजहांपुर	2.01	47	बस्ती	3.18
20	अलीगढ़	6.26	48	गोरखपुर	3.16
21	मथुरा	4.03	49	देवरिया	2.83
22	आगरा	8.92	50	आजमगढ़	8.02
23	एटा	2.71	51	जौनपुर	5.47
24	फर्रुखाबाद	3.43	52	बलिया	4.03
25	मैनपुरी	2.07	53	गाजीपुर	4.82
26	इटावा	2.56	54	वाराणसी	16.47
27	कानपुर	5.71	55	मिर्जापुर	7.52
28	फतेहपुर	2.53			

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 28 वि0 सभा—25-6-86—(746)—1986—813(मैग0)।